हरियाणा विधान सभा
की
कार्यवाही

4 मार्च, 2022 (प्रथम बैठक)

खण्ड–1, अंक–3

अधिकृत विवरण

विषय सूची

शुक्रवार, 4 मार्च, 2022

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

उपाध्यक्ष महोदय तथा हरियाणा विधान सभा के सदस्य को जन्मदिन की शुभकामनाएं

अनुपस्थिति के संबंध में सूचना

सदन के कार्यक्रम में परिवर्तन

शून्यकाल में भाग लेने वाले सदस्यों के नामों के संबंध में सूचना

शून्यकाल में विभिन्न मामले/मांगे उठाना

विधायी कार्य–

पुरःस्थापित किए जाने वाले विधेयक

(1) दि हरियाणा प्रिवैंशन ऑफ अनलॉफुल कंवर्जन ऑफ रिलीजन बिल, 2022

सदस्य का निलंबन

वॉक–आउट

विधायी कार्य (पुनरारम्भ)

दि हरियाणा प्रिवैंशन ऑफ अनलॉफुल कंवर्जन ऑफ रिलीजन बिल, 2022 (पुनरारम्भ)

(2) दि हरियाणा प्रोहिबिशन ऑफ चेंज ऑफ पब्लिक यूटीलिटीज बिल, 2022

वर्ष 2021–22 के लिए अनुपूरक अनुमान (तीसरी किस्त) प्रस्तुत करना

प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

वर्ष 2021–22 के लिए अनुपूरक अनुमानों (तीसरी किस्त) की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

नियम 121 के अधीन प्रस्ताव

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भ

हरियाणा विधान सभा

शुक्रवार, 4 मार्च, 2022 (प्रथम बैठक)

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में प्रातः 10:00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री ज्ञान चंद गुप्ता) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल शुरू होता है।

Construction of Roads

***1502. Shri Lila Ram:** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the following roads in Kaithal Assembly Constituency:-

(i) village Manas to Atela;

(ii) on Kaithal drain from Jind road to Khanouri road;

(iii) Hansi Butana Canal track road from Ambala road to Kurukshetra road;

(iv) village Keorak to Kaithal City on Kaithal Minor track;

(v) village Naucth to Kultaran via Deohra on Kultaran Minor track;

(b) If so, the time by which above said proposals are likely to be materialized?

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala): (a) & (b) (i) Yes, Sir. The work is administratively approved and DNIT is under preparation for calling tenders. Hence, time frame can not be given.

(a) & (b) (ii) to (v) No, Sir. Hence (b) part of the question does not arise.

श्री लीला रामः अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न में तीन–चार सड़कों का हवाला दिया गया है। मैं अपनी पहली मांग मानस से अटेला के बारे में कहना चाहता हूँ कि मानस कैथल हल्के का बड़ा गांव है। जब मैं 20 साल पहले विधायक चुनकर आया था, उस समय भी और अब हर सत्र में भी इसकी मांग रखता आ रहा हूँ। मुझे सरकार से पूरी उम्मीद है कि मेरी यह मांग जल्दी ही पूरी हो जायेगी। अध्यक्ष महोदय, कुरूक्षेत्र से अम्बाला रोड को जोड़ने के लिये जो हांसी बुटाना नहर की पटरी पर सड़क बनी है, उसकी पटरी पर अम्बाला रोड से दयौरा गांव तक पहले ही सड़क बन चुकी है। मेरी इस संबंध में मांग यह है कि उसको कुरूक्षेत्र रोड से अम्बाला रोड को जोड़ने के लिये, उस पटरी पर भी सड़क बनाने बारे सरकार जरूर विचार करे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी व माननीय

उप–मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो पिछली बार मैंने कैथल से क्योड़क गांव जिसकी आबादी लगभग 14–15 हजार के करीब है, उसकी चारमार्गीय सड़क की डिमाण्ड रखी थी, जिसे सरकार ने मंजूर कर ली है और उस सड़क पर दिन–रात काम चल रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अप्रैल, 2022 तक यह सड़क बनकर तैयार हो जायेगी। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार एक डिमाण्ड मैंने खनौरी–मानस–सिरटा–पटियाला रोड से खुराना रोड तक सड़क की रखी थी, उस सड़क को भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पूरा करने का काम कर दिया है। मेरी यह विनती है कि मानस से अटेला और मानस से फर्श माजरा तक गांव को जोड़ने वाली सड़क बनाई जाये क्योंकि सरकार की पॉलिसी भी है कि एक गांव से दूसरे गांव तक कोई भी सड़क कच्ची नहीं रहनी चाहिए। इस डिमाण्ड को भी जल्दी से जल्दी पूरा किया जाये। गांव क्योड़क से रजबाहे की पटरी पर सड़क कैथल शहर तक बनाई जाए। गांव नौच से जसवंती दयौरा से गांव कुलतारण माईनर की पटरी पर सड़क बनाई जाए।

श्री अध्यक्षः लीला राम जी, मैं समझता हूँ कि आपकी काफी डिमाण्ड सरकार ने पूरी कर दी है और उसके लिये आपने धन्यवाद भी कर दिया है। मुझे लगता है कि अगली बार भी आपको अपनी डिमाण्ड के संबंध में धन्यवाद कहने का जरूर मौका मिलेगा।

श्री लीला रामः धन्यवाद सर।

———————

Entries of Ownership in Revenue Record

* **1578. Shri Dharm Singh Chhoker:** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that land of many villages situated alongside Yamuna river in 42 kilometers from village Rana Majra to village Simbalgarh in Samalkha Assembly Constituency, which was eroded due to flow of Yamuna river has now been reclaimed after the change of course in Yamuna river;

(b) whether it is also a fact that entries of ownership of the original owners have not been made by the Government in revenue record

despite of having possession and girdawari of abovesaid land on their name; and

(c) if so, the reasons thereof togetherwith the time by which entries of land owners in revenue record are likely to be made?

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala): (a) Yes Sir.

(b) Yes Sir.

(c) Sir, since ownership of land in question is recorded as 'Shamlat Deh' in revenue record since consolidation, therefore, it is not possible to enter the ownership of land in the names of villagers who are in possession of said land.

श्री धर्म सिंह छौक्करः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहूँगा कि मैं सत्र में प्रश्न तो जरूर लगाता हूँ लेकिन उसका उत्तर क्लीयर नहीं आता है। अध्यक्ष महोदय, किसानों की यह यमुनानगर से पलवल तक बहुत बड़ी गंभीर समस्या रही है। यमुना नदी का बहाव कभी हरियाणा की तरफ आता है और कभी उत्तर प्रदेश की तरफ आता है । वर्ष 1974–75 में यमुना की मलकियत की जमीन जो 1978 में बरामद भी हो गई। वह जमीन हरियाणा और उत्तर प्रदेश की क्लीयर हो गई। वर्ष 1978 में एक स्कीम के तहत चकबंदी हुई और वर्ष 1981–82 और 83 में जमीन तकसीम हुई और मालिकों को वह जमीन दी गई। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1981–82 से लेकर वर्ष 2009–10 तक गिरदावरी भी हुई और किसान लोन भी ले सकता था और नहीं भी ले सकता था लेकिन वर्ष 2012 में इस संबंध में एफ.सी.आर. महोदय का एक आदेश हुआ था कि यह शामलात देह/जमीन जो मलकियत में थी अब उसकी मलकियत नहीं है बल्कि वह शामलात देह/जमीन है क्योंकि इस आदेश के तहत अब उसे कंवर्ट कर दिया गया है । पंचायत की जमीन अलग है और मालकान की जमीन अलग है । मैं कहना चाहूंगा कि यह जमीन मलकियत की है और एफ.सी.आर. के उस आदेश में खुर्द–बुर्द की बरामदगी का कहीं भी जिक्र नहीं था लेकिन उस ऑर्डर के तहत उस जमीन को भी कंवर्ट कर दिया गया जिस पर वर्ष 1981–82 तक गिरदावरी भी थी, रजिस्ट्री भी होती थी और उस पर ट्रैक्टर वगैरह के लोन भी लिये जाते थे । एफ.सी.आर. के ऑर्डर के बाद वर्ष 2012 में उसे बंद कर दिया गया । अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना है कि आज किसानों के पास जमीन है और उसकी गिरदावरी भी उनके पास है लेकिन उन जमीनों की न तो रजिस्ट्री हो

रही है, न उसकी खरीद–फरोख्त हो रही है और न वह उस पर लोन ले सकता है। अतः मेरा निवेदन है कि इसे दोबारा से चैक करवा लिया जाए । एफ.सी.आर. के वर्ष 2012 के आदेश के बाद शामलात भूमि को मलकियत में कंवर्ट नहीं किया गया । यह उस समय थोड़ी–सी त्रुटि रह गई । अतः इसका संज्ञान लिया जाए ताकि किसानों को पुनः अपना हक मिल सके क्योंकि वह जमीन इस्तेमाल/चकबन्दी की है । उस पर इस्तेमाल भी हुआ, चकबन्दी भी हुई । वह जमीन उनको अलॉट है । वे उस पर बैठे हैं और जमीन जोतकर अपना निर्वाह कर रहे हैं । अगर सरकार को उनके मालिकाना हक के बारे में कोई संदेह है तो उसे एक बार चैक करवा लिया जाए । मुझे उस जमीन से संबंधित प्रश्न का हर बार 'ना' में ही जवाब मिलता है । अगर किसान को अपनी जमीन पर लोन भी नहीं मिलता तो फिर उसका क्या फायदा हुआ । अतः मेरा यही आग्रह है कि उसका एज पर रिकॉर्ड संज्ञान ले लिया जाए । वर्ष 1978 में जो इस्तेमाल हुआ था उसका सारा रिकॉर्ड उपलब्ध है । सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं । अतः दोबारा रिकॉर्ड चैक कर लिया जाए ताकि किसानों को अपना हक मिल सके ।

श्री हरविन्द्र कल्याण : स्पीकर सर, यह विषय वास्तव में काफी गम्भीर है और मैंने पिछले सत्र में भी इस विषय को सदन में उठाया था । इस पर कुछ वर्किंग शुरू भी हुई है । यह विषय पूरी यमुना बैल्ट का ही है । इस बारे में मैं भी यही कहना चाहूंगा कि इसका जल्द समाधान होना चाहिए ।

श्री महीपाल ढांडा : अध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र भी माननीय सदस्य छौक्कर साहब के क्षेत्र के साथ लगता है । यह समस्या मेरे, माननीय सदस्य छौक्कर साहब और माननीय सदस्य कल्याण साहब तीनों के क्षेत्र में ही है । अतः इसका जल्द–से–जल्द समाधान किया जाए ।

श्री दुष्यन्त चौटाला : अध्यक्ष महोदय, तीनों माननीय सदस्यों ने सदन में एक समस्या रखी है । यमुना की लैण्ड की बाउंड्रीज दीक्षित अवार्ड के अंडर सील हुई थी और वर्ष 1979 में इसका फाइनल रिकॉर्ड आया था । उसके बाद यमुना नदी ने निरंतर अपना फ्लो बदला और उस समय जो पिल्लर्ज लगाए गए थे उनमें से अधिकतम पिल्लर्ज आज के दिन एग्जिस्ट नहीं करते हैं । सर्वेयर जनरल ऑफ इण्डिया की मदद से हरियाणा सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2020 में एक बैठक की और उसके बाद डिप्टी कमिश्नर्ज जो ऑन बाउंड्रीज थे उनकी जिम्मेवारी लगाई गई थी। रिसैंटली हमने करनाल जिले में एक पॉयलट प्रोजैक्ट

शुरू किया है । डी.सी., करनाल और उसके साथ लगते हुए उत्तर प्रदेश के जिले के डी.सी. ने फाइनलाइजेशन ऑफ पिल्लर्ज की प्रक्रिया शुरू की है । बात आती है कि उस जमीन पर मालिकाना हक किसका था तो वर्ष 2012 में मैं तो इस सदन का सदस्य नहीं था लेकिन प्रश्न उठाने वाले माननीय सदस्य इस सदन के सदस्य अवश्य थे । उस समय क्या हुआ था अगर माननीय सदस्य उसकी इंकवायरी करवाना चाहते हैं तो We are more than happy to enquire about that and to get it rectified कि उस समय के अधिकारियों ने क्या गलती की है और किसके शासन में गलती की है उसकी हमारी सरकार पूरी तरह से इंक्वायरी करवाने के लिए तैयार है । जहां मालिकाना हक के मामले की बात है तो इस बारे में संविधान में भी मैंशन है और सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि शामलात देह/जमीन पर मालिकाना हक पंचायत का है । वह पंचायत के नाम पर ही है और पंचायत की लैण्ड को कोई युटीलाइज तो कर सकता है लेकिन उसका मालिकाना हक ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं है ।

श्री धर्म सिंह छौक्कर: स्पीकर सर, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो बात बतायी है उससे मैं सहमत हूं, लेकिन सन् 1974–75 में शामलात देह पर जिनकी मलकियत थी, वही उसके मालिक हैं क्योंकि वह उनकी दादालाई जमीन है। पहले वह जमीन खुद–बुर्द हो गयी थी और फिर उसके बाद वह जमीन बरामद भी हो गयी। यानी पहले उस जमीन की चकबंदी हुई और उसके बाद वह जमीन अलॉट हुई है। पंचायत की शामलात देह पर किसी का मालिकाना हक नहीं है और न ही वह जमीन किसी को देनी चाहिए और न ही ऐसा कोई कानून है। लेकिन उन लोगों के बाप– दादा की मलकियत वाली खुद की जमीन को सरकार द्वारा सन् 1981, 1982 और 1983 में इस्तेमाल किया गया है। यह उस जमीन की बात है। इसके अतिरिक्त माननीय उप मुख्यमंत्री जी द्वारा मेरे एरिया के यू.पी. के साथ लगते एरिया के पिलर्ज का कार्य शुरू करने के बारे में बताया है। विधान सभा में हर सत्र में संबंधित पिलर्ज का कार्य शुरू करवाने के बारे में कमिटमैंट की जाती है। पिछले विधान सभा के सत्र और उससे पिछले विधान सभा के सत्र में भी कमिटमैंट की गयी थी, परन्तु वह कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है। यह कार्य सिर्फ कागजों में ही हो रहा है। इस सदन में घरौंडा के माननीय विधायक भी बैठे हुए हैं और माननीय सदस्य श्री महीपाल ढांडा जी भी बैठे हुए हैं। इनको भी पता है कि वहां पर पिलर्ज का कार्य शुरू नहीं हुआ है। इसके बारे में माननीय उप मुख्यमंत्री

जी द्वारा पिछले सैशन में भी आश्वासन दिया गया था, परन्तु अभी तक संबंधित कार्य शुरू नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस कार्य को जल्दी से जल्दी शुरू करवाया जाए ताकि हमारे हरियाणा प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोगों का झगड़ा खत्म हो सके। हमारे हरियाणा प्रदेश की जमीन जो हमारे रिवैन्यू रिकार्ड में है, उस पर उत्तर प्रदेश के लोग कब्जा करते हैं और हमारे प्रदेश के लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाते हैं। उस जमीन पर हमारे प्रदेश के लोगों का हक है। हम यह बात डेली देखते हैं कि इसके लिए उत्तर प्रदेश के लोग हरियाणा प्रदेश के लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाते हैं। इसमें हमारा प्रशासन काम नहीं करता है। यदि हम इस संबंध में प्रशासन के अधिकारियों के पास जाते हैं तो वे सुनवाई नहीं करते हैं। एस.एच.ओ. के पास जाते हैं तो वे भी सुनवाई नहीं करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि उनको निर्देश दिये जाएं कि अगर हमारे किसानों के साथ कोई अन्याय हो तो कोई भी जन प्रतिनिधि किसी भी पार्टी का हो, प्रशासन के अधिकारी उसके साथ जाकर समस्या का हल करवाएं ताकि उनको न्याय मिल सके। मेरे समालखा हल्के के लोगों के खिलाफ 5 झूठे मुकदमें जमीन के संबंध में दर्ज हैं, परन्तु वह जमीन हरियाणा प्रदेश के लोगों की है और उसका पर्चा उत्तर प्रदेश में दर्ज हैं। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस संबंध में हमारे प्रदेश के लोगों पर जितने भी मुकदमें दर्ज हैं, उनकी जांच करवा ली जाए। अगर वे मुकदमें हरियाणा प्रदेश की भूमि के संबंध में दर्ज हैं तो उनको कैंसिल कर दिया जाए और अगर उत्तर प्रदेश की भूमि के संबंध में दर्ज हैं तो वे मुकदमें चलते रहें।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पिलर्ज का कार्य करवाने की बात की है। मैं आपके माध्यम से इनके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि रिसैंटली पानीपत के एडज्वाईनिंग उत्तर प्रदेश के संबंध में भी हमारी मीटिंग हो चुकी है और टू बी स्पेसिफिक पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अन्दर 5 रैफरेंस पिलर्ज, 91 सब रैफरेंस पिलर्ज और 423 बाउंडरी पिलर्ज अगले 1 साल में इरैक्ट कर दिये जाएंगे क्योंकि यमुना नहर के फ्लो को भी देखना पड़ता है। हमने सर्वे जनरल ऑफ इंडिया को आलरेडी अपनी रिपोर्ट भेज दी है। जैसे ही जी.पी.एस. कॉ–आर्डिनेशन से फाईनल पोजीशन आ जाएगी तो ये सभी पिलर्ज इरैक्ट कर दिये जाएंगे। इसके बाद हरियाणा प्रदेश की जमीन के संबंध में जो उत्तर प्रदेश में पर्चे दर्ज होते हैं और जो

उत्तर प्रदेश की जमीन के संबंध में हरियाणा प्रदेश में पर्चे दर्ज होते हैं, यह समस्या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी क्योंकि हर चीज की रैफरेंसिंग जी.ओ. टैगिंग के माध्यम से होगी। हम हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली के बॉर्डर्ज के साथ पूरे हरियाणा प्रदेश की लैंड बाउंडरी पर जी.ओ. रैफरेंसिंग पिलर्ज लगवाएंगे ताकि आने वाले समय के केवल हम पानीपत और समालखा तक ही सीमित न रहें बल्कि इसके लिए हरियाणा प्रदेश के किसी भी नागरिक को हरास नहीं होना पड़ेगा। आज जो किसी तरह के लैंड इरोजन की वजह से कन्फयूजन क्रिएट हो रहा है, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को दोबारा से कहना चाहूंगा कि अगर वे चाहते हैं कि वर्ष 2012 की कोई इरेगुलरिटी है और उसकी इन्कवायरी करवायी जाए तो मैं चीफ सैक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की एक कमेटी बना दूंगा। चूंकि उस समय के एफ.सी.आर. ने संबंधित रिपोर्ट बनायी थी तो उनसे सीनियर अधिकारी चीफ सैक्रेटरी हैं। अगर माननीय सदस्य की कोई क्यूरी/कन्फयूजन है तो उस समय की गवर्नमैंट के खिलाफ इन्कवायर करके संबंधित रिपोर्ट आने वाले समय में यहां पर दे देंगे।

———————

To construct Exit Point on the Delhi-Amritsar-Katra Ex-Pressway

***1537. Shri Induraj Narwal**: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that under construction Delhi-Amritsar-Katra Expressway passing from Gohana, Julana road has no exit point on Gohaha-Julana road; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to construct exit point on abovesaid road or to construct both side service lane on main road upto exit and entry point of Meham road togetherwith the details thereof alongwith the time by which the exit point on Gohana-Julana road is likely to be constructed?

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala): (a) Yes Sir.

(b) There is no proposal under consideration of NHAI to construct interchange on Gohana-Julana road or to construct service lane on both side of Delhi-Amritsar-Katra Expressway upto next interchange. No

interchange is proposed on Gohana-Meham road. The nearest interchanges are proposed on Gohana-Rohtak road and Gohana-Jind greenfield road.

श्री इन्दु राजः स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि दिल्ली–अमृतसर–कटरा एक्सप्रेस वे पर चढने– उतरने के लिए रोहतक रोड पर भी प्रावधान है और जींद रोड पर भी प्रावधान है। मेरा पूरा बरोदा हल्का ग्रामीण क्षेत्र है और वहां से एक बड़ा हाइवे गुजर रहा है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वहां पर इन्टरैंस रोड या सर्विस रोड बना दिया जाए जिससे मेरे बरोदा हल्के का विकास हो सके। अगर यह काम हो जाएगा तो यह मेरे बरोदा हल्के के लिए विकास का स्तम्भ साबित होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वहां पर इन्टरैंस रोड जरूर बनाया जाए।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने गवर्नमैंट ऑफ इंडिया के एक्सैस कंट्रोल्ड हाईवे के ऊपर नया इंट्री एग्जिट प्वॉयंट की बात रखी है। हमने पिछले दिनों श्री नितिन गडकरी जी जो संबंधित विभाग के मंत्री हैं, उनके साथ बैठक की थी। हरियाणा प्रदेश में जितने भी नैशनल हाईवेज एक्सैस कंट्रोल्ड हाईवे क्रास कर रहे हैं। वहां पर आज भी इंट्री एग्जिट प्वॉयंट ऑलरेडी अवेलेवल है। जहां तक स्पैसिफिक प्वॉयंट की बात आती है तो जो हमारा गोहाना से जुलाना रोड जाता है, वह स्टेट हाईवे है और उसके ऊपर आज के दिन 13 किलोमीटर एक तरफ और लगभग 15 किलोमीटर एक तरफ एग्जिट नम्बर 35 और 55 पर ऑलरेडी इंट्री एग्जिट प्वॉयंट है। वहां पर हम आने वाले भविष्य में बढ़ते हुए ट्रैफिक को देखते हुए अगर जरूरत पड़ेगी तो जो कनैक्टिंग रोडज है, उनको एक्सटैंड भी करेंगे और स्टैंग्थन भी करेंगे। इसके बाद अगर कोई नागरिक इस एक्सैस कंट्रोल्ड हाईवे पर जायेंगे तो वे इस 13 किलोमीटर का सफर जल्द से जल्द पूरा कर लेंगे।

———————

To Open Government Nursing College

*__1547. Smt. Geeta Bhukkal:__ Will the Medical Education Minister be pleased to State-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open a new Government Nursing College in the State; and

(b) if so, the time by which the abovesaid college at the at the district head-quarter, Jhajjar is likely to be opened?

चिकित्सा शिक्षा एंव अनुसंधान मंत्री (श्री अनिल विज) : नही, श्रीमान जी, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नही है ।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से यह प्रश्न पूछा था कि whether there is any proposal under consideration of the Government to open a new Government Nursing Colleges in the State और बड़ी ही हैरानी वाली करने वाली स्टेटमैंट माननीय मंत्री जी ने दी है कि ''नो सर''। मैंने अपने प्रश्न के 'बी' पार्ट में पूछा था कि if so, the time by which the abovesaid college at the district headquarter, Jhajjar is likely to be opened सरकार ने माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पेज नम्बर 29 पैरा नम्बर 89 में लिखा है कि It is clearly mentioned that my Government proposes to set up a medical college in every district. In addition, a 200 bed hospital is being set up in every district. पैरा नम्बर 90 में कहा लिखा है कि In addition, Government Medical Colleges are being set up in Kaithal, Sirsa and Yamunanagar districts, whereas the process of setting up Nursing Colleges in Kurukshetra, Kaithal, Faridabad, Rewari and Panchkula has started. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि ''नो सर'' कह देना मेरे झज्जर जिले के लिए तो ठीक है लेकिन वहां पर आज के दिन डॉक्टर्ज की संख्या काफी कम है। सरकार द्वारा प्रदेश के हर जिले में मैडीकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा की गई थी और माननीय मंत्री जी ने भी पिछले सत्र में भी इस बात को माना था। सरकार ने इससे पहले भी अपने मैनिफेस्टों में इस बात को माना था। मेरे पास गवर्नमैंट का इकॉनोमिक सर्वे भी है, उसमें भी कहा गया है कि हमारी सरकार प्रदेश के हर जिले में नर्सिंग कॉलेज खोलेगी। शायद माननीय मंत्री जी को मेरे प्रश्न के बारे में कोई कन्फ्यूजन हो गया है। मेरा प्रश्न यह था कि क्या सरकार हर जिले में नर्सिंग कॉलेज खोलने जा रही है और मेरे प्रश्न के 'बी' पार्ट में लिखा गया था कि क्या जिला झज्जर में नर्सिंग कॉलेज कितने समय में खुलने की संभावना है। यह हमारी बहुत ही पुरानी मांग चली आ रही है। सरकार प्रदेश के जिलों में नये नर्सिंग कॉलेज खोलने का काम कर रही है तो क्या मेरे झज्जर जिले में भी सरकार सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोलेगी?

श्री अध्यक्ष : गीता जी, आपका क्वैश्चन और है और सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोलने की बात अलग है।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि माननीय सदस्या थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रही हैं और मुझे यह भी लगता है कि माननीय सदस्या सरकारी कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज को लेकर भी थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रही है। हां हमने कहा है कि हम हरियाणा प्रदेश के हर जिले में सरकारी कॉलेज खोलेंगे। हां माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में 6 सरकारी कॉलेज खोलने की बात कही है लेकिन जहां तक नर्सिंग कॉलेज खोलने की बात है तो वह एक अलग बात है। हमारी सरकार ने प्रदेश के 6 जिलों में नर्सिंग कॉलेज खोले हैं और हमने जितने कॉलेजिज को खोलने का काम किया है उनका माननीय मुख्यमंत्री जी जल्दी ही उद्घाटन करने जा रहे हैं लेकिन माननीय सदस्या का प्रश्न है कि सरकार द्वारा क्या कोई और कॉलेज खोला जा रहा है तो इनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि अभी नहीं खोला जा रहा है।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रश्न वर्ड टू वर्ड पढ़ देती हूं कि– whether there is any proposal under consideration of the Government to open new Government Nursing Colleges in the State; तो जिसका उद्घाटन ही नहीं हुआ यानि जिसका प्रपोजल केवल अंडर कंसीड्रेशन है। नये तो खोले ही जा रहे हैं और सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा हुआ है कि नर्सिंग कॉलेजिज हम खोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना है कि सरकार सभी जिलों में मैडीकल कॉलेजिज खोलने की घोषणा कर रही है लेकिन सरकार ने झज्जर जिले में मैडीकल कॉलेज नहीं खोला है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे मांग कर रही हूं और मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि when there is shortage of staff especially medical staff, at least हम लोग पैरामैडीक्स के लिए नये नर्सिंग कॉलेजिज खोलें ताकि एम.पी.एच.डब्ल्यू. जी.एन.एम. और ए.एन.एम. नर्सिज डॉक्टर्ज के साथ हैल्प करके उनकी एफीशियंसी को इंक्रीज कर सकें इसलिए मेरा मंत्री जी अनुरोध है और मेरा प्रश्न भी स्पष्ट है कि सरकार क्या नये मैडिकल कॉलेजिज खोल रही है तो आपने बताया कि 3 पहले खुले हुए हैं और 6 नये खोल रहे हैं जिनकी बिल्डिंग्ज बन रही हैं। एक तो मेरा यह प्रश्न है और दूसरा मंत्री जी, मेरी आपसे रिक्वैस्ट है इसलिए आप मेरी बात सुन लें।

श्री अनिल विज : बहन जी, रिक्वैस्ट करना अलग बात है और प्रश्न पूछना अलग बात है। मैं आपकी रिक्वैस्ट का जवाब दे देता हूं।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से रिक्वैस्ट कर रही हूं। वर्ष 2020 के नर्सिंग कॉलेजिज के एडमिशंज नहीं हुए है, वर्ष 2021 के भी एडमिशंज नहीं हुए हैं और वर्ष 2022 के भी एडमिशंज नहीं हुए हैं। सरकार ने न्यू नर्सिंग पॉलिसी भी बना दी। अभी तक 30 हजार बच्चे पोर्टल खुलने का वेट कर रहे है । एडमिशंज अभी तक नहीं हुए हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध और रिक्वैस्ट है कि जब आप सभी जिलो में नर्सिंग कॉलेज बना रहे हैं तो झज्जर के लिए भी नर्सिंग कॉलेज की घोषणा कर दें।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, हमने न्यू नर्सिंग पॉलिसी बनाई है। पहले एक–एक कमरे के नर्सिंग स्कूल खुले हुए थे। वे नर्सें टैम्परेचर तक भी नहीं देख पाती थी और यहां तक कि वे टीका भी नहीं लगा पाती थी। हमें नर्सिंसिज की जरूरत है लेकिन हमें क्वालिटी नर्सिंसिज की जरूरत है। हमारी सरकार ने न्यू नर्सिंग पॉलिसी बनाई है। हमने कहा है कि नर्सिंग कॉलेज के लिए 100 बैडिड अस्पताल होना आवश्यक है या एन.ए.बी.एच. अस्पताल 10 किलोमीटर में एफिलियटिड होना बहुत जरूरी है और वहां पर बायोमैट्रिक अटैंडेंस होना भी जरूरी हैं । हमें नर्सें चाहिएं और देश को भी चाहिएं विदेशों में भी चाहिएं लेकिन क्वालिटी नर्सें चाहिएं। जो एक कमरे वाली नर्सें हैं वो हमें नहीं चाहिए। हमने न्यू नर्सिंग पॉलिसी बनाई है और जो मैडीकल कॉलेजिज हैं वहां पर हम चाहते हैं कि नर्सिंग स्कूल खोलें। जो भी हमारे मैडीकल कॉलेज खुल रहे हैं हम उनको इजाजत देना चाहते हैं कि वो नर्सिंग स्कूल खोलें। जहां जहां पर मैडीकल कॉलेज खुलेंगे हम उनको नर्सिंग स्कूल देना चाहते हैं और इसके लिए हमें कोई एतराज नहीं हैं।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, सरकार की पॉलिसी कोर्ट में चेलैंज हुई थी वह विदड्रा हो गई है और कोर्ट के ऑर्डर भी मेरे पास हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, जो हमने पॉलिसी बनाई थी वह हमारी स्टैंड करती है।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, यह मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर है। कल ए.सी.एस. Medical Education and Research, Haryana ने अपनी स्टेटमैंट में कहा है कि policy has been withdrawn by the Haryana Government.

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, उसमें केवल डेट का मामला था बाकी हमारी पॉलिसी स्टैंड करती है।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि वे इस बारे में डिपार्टमैंट से कांइडली अपडेट ले लें । कल ही हाई कोर्ट में यह केस लगा हुआ था और मेरे पास कोर्ट के ऑर्डर की कापी भी है । मंत्री जी, कल आपकी पॉलिसी विदड्रा हो गई है क्योंकि सरकार ने 100 बैड के जो सरकारी अस्पताल थे उनको भी नर्सिंग कॉलेज के लिए मान्यता नहीं दी। मंत्री जी, आप काइंडली अपडेट लें । अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि मेरा इन्ट्रस्ट मेरी कांस्टीच्यूएंसी झज्जर में नर्सिंग कालेज का है। आप इसकी घोषणा कर दें। जो सरकार ने न्यू नर्सिंग पॉलिसी बनाई है that has been withdrawn by the Haryana Government.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, 100 बैडिड एन.ए.बी.एच. अस्पताल होना चाहिए ।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि कल हाई कोर्ट में यह मामला लगा था और हाई कोर्ट के आडर्ज के अनुसार यह पोलिसी विदड्रा हो गई है । अभी तक एडमिशंज का प्रोसैस शुरू नहीं हुआ है। बच्चों को अभी तक वर्ष 2018–19, 2019–20, 2020–21 और वर्ष 2021–22 की स्कॉलरशिप नहीं मिली है और रिजल्ट आउट नहीं हुआ है।

Shri Anil Vij: Speaker Sir, Policy is not withdrawn, only the date has been validated. जो डेट गलत पब्लिश हो गई थी उस डेट के लिए उन्होंने कहा कि 6 महीने का टाइम दो।

Smt. Geeta Bhukkal: Speaker Sir, I will table the High Court orders. As the matter was pending with the Hon'ble High Court and no admission has been given in the Nursing Colleges.

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह कहना चाहता हूं कि अगर वे हाई कोर्ट के इस मामले से सम्बंधित ऑर्डर्ज को सदन के पटल पर रख देंगी तो वे उनको भी मान्य हैं और मुझे भी मान्य हैं लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक हाई कोर्ट का इस प्रकार का कोई ऑर्डर आया ही नहीं है।

श्रीमती गीता भुक्कल : स्पीकर सर, मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से रिक्वैस्ट है कि मैं पिछले 6 साल से लगातार इस प्रश्न को यहां पर लगा रही हूं। मंत्री जी द्वारा यह काम प्रदेश के सभी जिलों में किया जा रहा है। मेरा उनसे यह भी

कहना है कि वे मेरे क्षेत्र के साथ भेदभाव न करें ताकि हमारे सरकारी नर्सिंग कॉलेज में हमारी बहन बेटियां कम फीस में पढ़ लेंगी। पहले ही प्राईवेट कॉलेजिज में एडमिशन बंद हैं। बड़े भाई के नाते मेरी मंत्री जी से यह रिक्वैस्ट है कि वे झज्जर में नये नर्सिंग कॉलेज की घोषणा जल्दी से जल्दी कर दें।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से माननीय सदस्या को यही कहना है कि पहले हम जिन 6 मैडीकल कॉलेजिज का निर्माण करने जा रहे हैं पहले हम उनका निर्माण कम्पलीट कर लें उसके बाद हम माननीय सदस्या की रिक्वैस्ट पर विचार करने का प्रयास करेंगे। इस समय मैं कोई भी झूठी घोषणा नहीं कर सकता। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : गीता जी, आपके प्रश्न का मंत्री जी की तरफ से प्रॉपर जवाब आ गया है इसलिए अब आप कृपया करके बैठ जायें और इसके साथ ही साथ मेरा आपसे यह भी कहना है कि आप मंत्री जी को कोई काम करने के लिए कम्पैल नहीं कर सकते। अब आप कृपया करके बैठ जायें और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दें।

श्रीमती गीता भुक्कल: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय हाई कोर्ट के आर्डर की कॉपी सदन के पटल पर टेबल कर रही हूं। अभी माननीय मंत्री जी ने स्टेटमैंट दी है। मेरे पास सरकार का 4 जून, 2019 का नोटिफिकेशन है जिसको सरकार ने विदड्रा करके 7 दिसम्बर, 2021 को न्यू नर्सिंग पॉलिसी बनायी है। जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, वह चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का ऑर्डर है। यह मैंने सदन के पटल पर टेबल कर दिया है। (इस समय संबंधित ऑर्डर की कॉपी सदन के पटल पर टेबल की गयी।) इसमें सी.डब्ल्यू.पी. 1365–2022 के अलावा और 6–7 सी.डब्ल्यू.पीज. आलरेडी लगी हुई थी। इसमें Haryana Nursing Institutions Association (Regd.) पैटीशनर है और State of Haryana and others रिस्पोंडैंट्स हैं और बाकी पैटीशनर्ज का कोई इशू नहीं है। Sir, this order has been passed by the Hon'ble Chief Justice of Punjab and Haryana High Court. The statement has been given by the ACS, Haryana Medical and Research. इसमें सरकार द्वारा हाई कोर्ट में जाकर स्टेटमैंट दी गयी है। इसमें ए.जी./एडवोकेट प्रैजैंट हैं। इसके अलावा इसमें 6–7 सी.डब्ल्यू.पीज. और हैं। मैं पूरा केस ज्यों का त्यों पढ़कर सुना रही हूँ जो कि इस प्रकार है:–

RAVI SHANKAR JHA, CHIEF JUSTICE (Oral):

CM-1372-CWP-2022,

Application is allowed as prayed for additional affidavit along with annexure P-26 is taken on record.

CM-1388-CWP-2022

Application is allowed as prayed for and documents are taken on record.

CM-2716-CWP-2022

Application is allowed as prayed for and reply on behalf of respondent No.4 is taken on a record.

Main Cases

Learned Additional Advocate General appearing on behalf of the State of Haryana submits that in view of the letter of the Nursing Council of India, State of Haryana has withdrawn the impugned notification dated 07.12.2021, and therefore, nothing further survives for adjudication in the petition.

He has also stated, on instructions from Dr. G. Anupama, I.A.S., A.C.S. Medical Education and Research, Haryana, that the State authorities would be notifying the schedule for registration of institutions as well as for making admissions within a week.

In view of the aforesaid statement made by the Learned Additional Advocate General, Haryana and placing the same on record, the petition is disposed of, in terms thereof.

(RAVI SHANKAR JHA)
CHIEF JUSTICE

(ARUN PALLI)
JUDGE

अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय मंत्री जी की बातों पर तरस आ रहा है।

Shri Anil Vij: Speaker Sir, let me say. इसमें माननीय सदस्या तिल का ताड़ बना रही हैं। Let me say.

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के ऑर्डर के बारे में बता रही हूं।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने प्रश्न उठाया है, इसलिए उसका जवाब देना जरूरी है। विभाग से यह नोटिफिकेशन में गलती हो गयी कि नयी पॉलिसी 10 दिन में लागू होगी। जबकि हमारी अपनी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि वह 6 महीने में लागू होगी, इसलिए हमने उस 10 दिन वाली बात को विदड्रा कर लिया है। माननीय हाई कोर्ट ने भी यही कहा है कि वह पैटीशन विद्ड्रा होती है। इसमें कुछ भी बात नहीं है। माननीय सदस्या को लॉ पढ़ लेना चाहिए ताकि यह बात समझ में आ जाए। (विघ्न)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, मैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की एडवोकेट रही हूं और दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हूं। यह कम से कम 50,000 छात्रों के एडमिशन का विषय है।

श्री अध्यक्ष : गीता जी, माननीय मंत्री जी ने पहले भी कहा है कि कोर्ट के आदेश के खिलाफ कोई नहीं जा सकता है। जो कोर्ट का आदेश होगा, उसका पालन आपको भी करना होगा और इनको भी कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, उन बच्चों की एडमिशन नहीं हो रही है।

श्री अध्यक्ष : गीता जी, माननीय कोर्ट के आदेश के मुताबिक सब कुछ होगा। अब आप प्लीज बैठ जायें।

———

Details of OTS Policy

***1654. Shri Neeraj Sharma:** Will the Mines & Geology Minister be pleased to state-

(a) the details of OTS policy formulated by the Government in Mining Department of State;

(b) the total outstanding amount of Mining Department to wards the traders togetherwith the amount received by the Government after formulating the OTS policy; and

(c) the districtwise details of the traders who have benefited under the OTS policy?

खनन मंत्री (पंडित मूल चंद शर्मा) : श्री मान जी, विवरण सदन के पटल पर रखा है।

वक्तव्य

(क) राज्य सरकार ने खनन क्षेत्र में बड़ी संख्या में बाधाओं के कारण तथा खनन को मुकद्मेंबाजी/विवादरहित सुनिश्चित करने के लिए एक नीति ''विवादों का समाधान'', एकमुश्त निपटान योजना (ओटीएस) तैयार की है, जिसे आदेश दिनांक 03.11.2021 द्वारा अधिसूचित किया गया है। आदेश दिनांक 03.11.2021 की प्रति अनुलग्नक ए के रूप में संलग्न है। इसके इलावा, ओटीएस योजना के कार्यान्वयन के लिए आदेश दिनांक 18.11.2021 के माध्यम से जारी दिशा–निर्देश अनुलग्नक बी के रूप में संलग्न है। अधिक समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आदेश दिनांक 24.02.2022 द्वारा ओटीएस की अवधि 15.03.2022 तक बढ़ा दी गई है, इसकी प्रति अनुलग्नक सी के रूप में संलग्न है।

(ख) अब तक 168 मामलों की जांच उपरोक्त नीति के अनुसार की गई है जिसमें कुल बकाया राशि रूपये 811.91 करोड़ बनती है। ओटीएस योजना के तहत बकाया देय राशि को घटाकर रूपये 148.59 करोड़ की गणना की गई है। जिसमें 158 खनिकों द्वारा कुल राशि 37.39 करोड़ रूपये पहले ही जमा करवा कर 379. 14 करोड़ रूपये की कुल बकाया राशि का निपटान किया जा चुका है। इसके इलावा 03 खनिकों द्वारा स्वतः ही 1.86 करोड़ रूपये जमा करवाकर 12.05 करोड़ रूपये की लम्बित बकाया राशि का निपटान किया जा चुका है।

इसलिए, अब तक ओटीएस के अनुसार अधिसूचित कुल 171 मामलों की जांच/ निपटारा किया गया है, जिसमें कुल बकाया राशि 823.96 करोड़ रूपये और ओटीएस योजना के तहत गणना अनुसार बकाया देय राशि घट कर 150.45 करोड़ रूपये रह गई है। जिसमें कुल 391.19 करोड़ रूपये की राशि का निपटान करते हुए कुल 39.25 करोड़ रूपये ओटीएस योजना के तहत 161 खनिकों से वसूल की जा चुकी है।

(ग) ओटीएस योजना के तहत अब तक लाभान्वित हाने वालों का विवरण अनुलग्नक डी के रूप में संलग्न है।

Annexure A

NOTIFICATION ORDER OF THE SCHEME

Subject: - **"One Time Settlement Scheme" of the State of Haryana to resolve issues pertaining to Mining sector in the State under the policy of the State "Vivado *ka samadhan*"**

The State of Haryana having found large number of roadblocks in mining sector, to ensure smooth mining without or bare minimum litigation / disputes which emanated out of the discussions and deliberations with all stake holders amended some of the related rules of the Haryana Minor Mineral Concession, Stocking and Transportation of Minerals, and Prevention of Illegal Mining Rules, 2012 (the State Rules, 2012), vide notification dated 03.05.2021. Further, for resolution of few other long pending issues, which otherwise could be settled amicably under the policy of the State "***Vivado ka samadhan***", were further deliberated in a meeting held under the Chairmanship of the Hon'ble Chief Minister on 06.08.2021 with all stake holders and concerned Departments. Upon detailed consideration, the State of Haryana has decided to resolve following issues through "**One Time Settlement Scheme**" (OTS). The details of the issues and decisions taken are as follows:-

A. **Issue No. 1 - Dues for period before obtaining Environmental Clearance and Consent to operate:**

Before 22.11.2018, the mineral concessions were granted subject to condition that the period of concession shall commence from the date of grant of Environmental Clearance by the competent authority or on expiry of the period of 12 months from the date of issuance of Letter of Intent, whichever is earlier. Due to procedural issues involved, it takes more than 12 months for getting Environmental Clearances. Even after taking Environmental Clearances, the Consent to Operate from the HSPCB is mandatorily required. Irrespective of the fact that concession holders could not excavate any mineral, huge financial liabilities keep accumulating for the uncommenced period of mining contracts after expiry of the period of 12 months. Keeping in view that the Environmental Clearances and Consent to Operate gets delayed due to procedural issues with other Government department/ agencies, the State Government vide notification dated 22.11.2018, allowed additional time upto 12 months over and above period of 12 months on payment of non-refundable fee. The stake holders requested that the State may consider allowing such concession

holders who could not obtain clearances, also to have benefit of relaxation under said notification dated 22.11.2018.

Decision (OTS- 1)

All mineral concession holders, including those mineral concessions which stand cancelled (who are/ were otherwise not covered under amendment dated 22.11.2018 of the Haryana Minor Mineral Concession, Stocking, Transportation of Minerals and Prevention of Illegal Mining Rules,2012) would be given benefit of amendment dated 28.11.2018. In cases, where Environment clearances and Consent to Operate could not be obtained within 12 months from date of Letter of Intent, they will have option to pay non-refundable fees as per the following, to get additional time maximum up to 12 months for seeking EC/ CTO:

a) Amount of 1% of annual bid amount for each month for first 06 months; and

b) Amount of 2% of annual bid amount for each month for another 06 months

Provided that:

i. They shall pay interest at the rate of 12% per annum on such amount for the period from date of commencement of mineral concession, subject to maximum of 50% of the total amount of non-refundable fee; and

ii. The period of mineral concession will not change i.e. the date of commencement of period of lease/ contract will remain same.

B. Issue No. 2 -Surrender application:

In number of cases, the mineral concessionaires are finding difficulties on issues arising out of disputes of area, local disturbances, quality of mineral, market conditions, the operations getting economically non-feasible etc. In such circumstances they want to surrender the contract and they have applied for the same. But rather than accepting the surrender request, the Department has passed orders of cancellation of concessions. Resultantly, during such period when mining was not undertaken, the financial liabilities got piled up. It was requested that surrender of the mineral concession be allowed to be accepted from the date of application for surrender.

Decision (OTS 2)

In case of mineral concession which were granted prior to amendment dated 03.05.2021, if the concessionaire has sought to surrender the contract/lease, but the request was declined hereon the request for surrender (if surrender sought for whole area only) will be allowed by charging an amount equal to **2-month dues from the date of submission of application** or up to the date of passing of orders of termination, whichever is earlier.

However, in cases where the mining was not stopped even after submission of surrender request, the period of 02 months as per above will be calculated from the date of stopping of mining operation.

C. **Issue No. 3- Dues for suspension period:**

The issue relating todues for suspension period of mines on account of non-payment of dues was raised and sought to be waived of as during such period, mining was not undertaken.

Decision (OTS 3)

In case the mining operations are suspended on account of non-payment of dues and the mining leases/ contracts were terminated after a period more than 03 months, the date of termination of mineral concession will be deemed as the date on which period of 3 months are completed from the date of suspension orders.

D. **Issue No. 4 Non execution of agreement:**

In many of the cases, due to reasons beyond the control of the bidders/ LoI holders, deed/ agreements could not be executed and even the operations of the mine have not commenced. These cases are not covered by the amendment notification dated 22.11.2018 and the Department apart from forfeiture of amount of initial bid security (10% of the bid amount) deposited at the time of auction is demanding the amount of amount of 15% of the bid amount as balance security along with other dues.

Decision (OTS 4)

The cases where after issuance of Letter of Intent, the agreements were not executed and mines could not be operated, in such cases the 10% of the bid amount deposited at the time of auction will be forfeited & no

other penal action would be taken. The contract would be treated as closed.

E. **Issue No. 5 - Refusal of Environmental Clearance:**

In few of the cases, Environmental clearance was refused by the competent authority, in such cases it was sought that being no fault in their part, such grant should be treated as void ab-initio.

Decision (OTS 5)

Where the concession holders have applied for environmental clearance but the competent authority has refused to grant environmental clearance, the mineral concessions would be treated as cancelled by forfeiture of the amount of initial bid security (10% of the bid amount) deposited at the time of auction and cases will be closed with no other penal action.

F. **Issue No. 6 Reduction of the annual contract money/ dead rent in cases where restrictions/modifications have taken place in terms of area post award of Contract:**

There are instances where after the grant of contract,the actual mining areas were found to be less than areas granted *or* permissions for mining (Due to issues relating to environmental clearances) were not granted for part area or for lesser production, or additional areas came under fresh restrictions after the reduction on the proportionate basis was sought.

Decision (OTS 6)

In cases where out of the originally granted area, the actual area of mine is lesser (between 25% to 50% of the originally granted area) for reasons beyond control of contractor/ lease holder;

Or

While granting the Environment Clearance, if the competent authority approves it only for part area reducing the level of production;

And/or

granted EC without reducing the area with lower production level against normal production.

In such cases, the reduction of the annual contract money/ dead rent would be allowed on proportionate basis to the extent of the loss of production, as against the normal production without such area reduced, subject to following:

(a) The part area under dispute was/ is 25% or above of the total area granted/ offered for mineral concession.

(b) During the first 03 years, the actual average production was 90% or above of the approved production level;

(c) The reduction of annual contract money/ dead rent shall not be allowed to be more than 50% of the original bid amount;

(d) Where area of concession or production level is reduced by more than 50% of the original area/ production level, in such cases concession holder will have option to seek surrender by forfeiture of 10% of the bid amount. However, in case he opts to operate the mine, it will not be reduced by more than 50% of the original bid amount.

G. Issue No. 7 -Dues for period CTE/ CTO by refused/ stayed:

In many instances,the Haryana State Pollution Control Board (HSPCB) refused CTE in certain cases. The dues for such period were sought to be waived off.

Decision (OTS 7)

Dues for the period where after grant of Environmental Clearances the HSPCB refused the CTE/ CTO or same was stayed, the dues for such period will be waived of.

H. Issue No. 8 - One Time Relief in interest amount on payment of pending dues

a) In case mineral concessions already **expired as on 31.03.2010**, if whole amount of principal amount is paid within 90 days, the full amount of interest on the delayed payment will be waived off.

b) If the dues pending as on 31.03.2021 of existing mineral concession (including the one which has expired/ cancelled after 31.03.2010), are deposited to the tune of 100% of Principal amount within 90

days, the 50% amount of interest on delayed period as on 31.03.2021 would be waived off, provided further that the remaining 50% of due interest is also deposited in next 90 days.

The relief as afore-mentioned are being allowed with the approval of CMM subject to condition that same shall not be treated as precedent and are allowed only as "one time relief". The cut off date for ascertaining disputes for operation of the scheme shall be 31.03.2021. The scheme shall be operational for three months from today.

(Alok Nigam)
Additional Chief Secretary to Govt. Haryana,
Mines and Geology Department.

Endst. No. 16/01/2021-2IBII Dated: 03.11.2021

A copy is forwarded to the following for information and necessary action: -

1. Additional Chief Secretary, Government of Haryana, Finance Department.
2. Director General, Mines and Geology, Haryana, Panchkula.
3. All the Assistant Mining Engineers/Mining officers posted in the Field Offices of the Mines and Geology Department.
4. Accounts Officer, O/o Director General, Mines and Geology, Haryana, Panchkula.
5. IT Cell for placing the copy of order on website of Department.
6. All mineral concession holders including where mineral concessions already stands cancelled/ terminated in the State.

Superintendent Industries-II
for Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Mines and Geology Department.

3.11.21

Annexure B

Procedure to be followed for One Time Settlement (OTS) under the Policy of the State "Vivado ka Samadhan"

'Vivado ka Samadhan' is an out of Court (out of litigation) dispute settlement mechanism. In all such cases, the Director General, Mining and Geology may undertake fresh calculations keeping in view the relief allowed under the One Time Settlement Scheme (OTS) as notified on 03.11.2021. Based on the same, the revised demand, if any, may be conveyed to the concerned disputant. He will have the option either to agree with the calculations and in such cases he will submit an undertaking as follows:-

(i) About the said issue they are seeking the benefit/ relief as One Time Settlement and this should not be treated as a precedent.

(ii) Any litigation/ claim being perused by them (details of which shall be given in the undertaking) directly or indirectly linked under said OTS has been withdrawn or will be withdrawn for which they shall attached the copy of application submitted before said Court/ authority.

(iii) They will not create any further/ fresh litigation on availing the benefit of One Time Settlement (OTS).

In case, the disputant has any objection, he can raise it within the next 10 working days.

Any dispute in the calculation process will be decided by Additional Chief Secretary, (Mines & Geology) – Administrative Secretary by passing a speaking order.

Dated Chandigarh,
The 18th November, 2021

Alok Nigam, IAS
Additional Chief Secretary to Govt. Haryana,
Mines & Geology Department.

Annexure C

ORDER

The State Government vide its order no. 16/01/2021-2IB-II dated 03.11.2021 has decided to resolve issues in mining sector through "**Vivado ka Samadhan**" One Time Settlement Scheme(OTSS). Further vide orders dated 18.11.2021 directed to undertake fresh calculations in keeping the view of relief allowed under OTSS. The Director General Mines & Geology Department, Panchkula will issue and convey the revised demand if any, to the concerned disputant. The orders of OTSS and guidelines to be followed as per orders dated 03.11.2021 & 18.11.2021 respectively, were sent to all concerned and also placed on the department website for vide publicity.

"Vivado ka Samadhan" is an out of court/out of litigation dispute settlement mechanism and will be operational for 90 days from the date of issue i.e. 03.11.2021. Based on the same the Director General, Mines & Geology Department is undertaking fresh calculations related to all files comes under OTSS and the revised demand, if any, is conveyed to all concerned disputant. Now, lot of cases are still pending for calculations and also the cases which have already been dealt have raised objections qua the calculations and issues decided in the offer letters.

Based on the above facts, the Government has decided to approve the extension period of the policy "**Vivado ka Samadhan**", up to 15th March, 2022. Further the Department is directed to move quickly to complete the formalities related to OTSS calculations at their end.

Anurag Agarwal, IAS,
Principal Secretary to Govt Haryana,
Mines & Geology Department.

Dated Chandigarh, the
24th February, 2022.

ओटीएस योजना के तहत अब तक लाभान्वित होने वालो का विवरण

अनुलग्नक– डी

क्रमांक	ठेकेदार का नाम	ब्लॉक का नाम	अंसबद्व अवधि की वास्तविक राशि (रूपये में)	ओटीएस के तहत भुगतान की जाने वाली राशि (रूपये में)	प्रेषण की तारीख	ओटीएस नंबर/स	जमा राशि
	जिला यमुनानगर						
1.	मैसर्ज मुबारिकपुर रॉयल्टी कम्पनी	बेलगढ साऊथ ब्लॉक / वाई0एन0आर बी –2	8,09,51,509	88,35,750	20.12.2021	**ओटीएस–1**	88,35,750
2.	मैसर्ज डैवेलपमैंट स्ट्रैटेजीज इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड	पोबारी ब्लॉक/ वाई0एन0आर बी–11	1,57,90,391	17,23,500	20.12.2021	**ओटीएस–1**	17,23,500
3.	मैसर्ज कंवलजीत सिंह बतरा	एमटी करहेड़ा ब्लॉक/ वाई0एन0आर बी–13	3,21,06,557	41,61,432	20.12.2021	**ओटीएस–1**	41,61,432
4.	मैसर्ज एलाईट माईनिंग कॉरपोरेशन	गुमथला साऊथ ब्लॉक / वाई0एन0आर बी –17	3,30,83,022	34,46,250	20.12.2021	**ओटीएस–1**	34,46,250
5.	मैसर्ज गंगा यमुना माईनिंग को0	भूड़माजरा ब्लॉक / वाई0एन0आर बी –20	89,85,749	13,20,750	20.12.2021	**ओटीएस–1**	13,20,750
6.	श्री कारज सिंह पुत्र मेजर सिंह	मलिकपुर खदर ब्लॉक / वाई0एन0आर बी –28	5,77,96,067	68,92,500	20.12.2021	**ओटीएस–1**	68,92,500

क्रमांक	ठेकेदार का नाम	ब्लॉक का नाम	अंसबद्व अवधि की वास्तविक राशि (रूपये में)	ओटीएस के तहत भुगतान की जाने वाली राशि (रूपये में)	प्रेषण की तारीख	ओटीएस नंबर/स	जमा राशि
7.	श्री परमजीत सिंह पुत्र हरदीप सिंह	पीपलीमाजरा ब्लॉक / वाई0एन0आर बी –29, 30 एण्ड 31	4,33,28,936	54,22,500	20.12.2021	ओटीएस–1	54,22,500
8.	मैसर्ज नॉरर्थन रॉयल्टी कम्पनी	देवधर ब्लॉक / वाई0एन0आर बी –24	2,51,92,461	39,17,250	22.12.2021	ओटीएस–1	39,17,250
9.	मैसर्ज जेएसएम फुड प्राईवेट लिमिटेड	मंडौली घग्गर ईस्ट ब्लॉक/ वाई0एन0आर बी –3	6,52,37,374	89,23,500	22.12.2021	ओटीएस–1	89,23,500
10.	मैसर्ज जेएसएम फुड प्राईवेट लिमिटेड	मंडौली घग्गर वेस्ट ब्लॉक/ वाई0एन0आर बी –4	8,30,02,465	1,13,53,500	22.12.2021	ओटीएस–1	1,13,53,500
11.	मैसर्ज रूटज़ एण्ड जर्निज़	बीरटापु ब्लॉक / वाई0एन0आर बी –7	7,27,09,689	1,05,52,500	22.12.2021	ओटीएस–1	1,05,52,500
12.	श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री महिन्द्र सिंह	गुमथला नॉर्थ ब्लॉक / वाई0एन0आर बी –16	7,64,50,772	88,98,000	22.12.2021	ओटीएस–1	--
13.	मैसर्ज बालाजी इन्फ्रा	जयरामपुर जगीर / वाई0एन0आर बी –6	5,93,67,472	83,83,500	24.12.2021	ओटीएस–1	83,83,500
14.	मैसर्ज गंगा यमुना माईनिंग को0	भूड़कलां/ वाई0एन0आर बी –19	1,38,38,821	16,44,750	24.12.2021	ओटीएस–1	16,44,750
15.	मैसर्ज कंवलजीत सिंह बतरा (स)	गलौरी ब्लॉक/ वाई0एन0आर बी –39	77,92,749	12,09,000	28.12.2021	ओटीएस–1	12,09,000

क्रमांक	ठेकेदार का नाम	ब्लॉक का नाम	अंसबद्व अवधि की वास्तविक राशि (रूपये में)	ओटीएस के तहत भुगतान की जाने वाली राशि (रूपये में)	प्रेषण की तारीख	ओटीएस नंबर/स	जमा राशि
16.	श्री कुलविन्द्र सिंह प्रो0 मैसर्ज पी0 एस0 बिल्डटैक	जयधरी ब्लॉक / वाई0एन0आर बी –33	5,33,84,550	55,16,250	30.12.2021	ओटीएस–1	55,16,250
17.	मैसर्ज जेपीवाई कन्सोरटियम	धनौरा ब्लॉक / वाई0एन0आर बी –18	84,01,962	19,33,801	30.12.2021	ओटीएस–1	--
18.	मैसर्ज दिल्ली रॉयल्टी कम्पनी (टी)	कोहलीवाला ब्लॉक / वाई0एन0आर बी –21 एण्ड 22	2,13,43,408	33,18,750	31-12-2021	ओटीएस–1	33,18,750
19.	श्री कुलविन्द्र सिंह प्रो0 मैसर्ज पी0 एस0 बिल्डटैक	जठलाना ब्लॉक / वाई0एन0आर बी –12	7,17,95,998	84,10,500	04.01.2022	ओटीएस–1	--
20.	मैसर्ज यमुना इन्फरा डेवेलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	बेगमपुर ब्लॉक / वाई0एन0आर बी –37	20,97,44,560	2,80,93,500	20.01.2022	ओटीएस–1	--
	कुल (ए)		**105,28,22,481**	**13,57,95,733**			**8,84,59,932**
	जिला चरखी दादरी						
21.	श्री दाता राम पुत्र श्री रामेष्वर	असावरी	1,22,80,656	20,08,027	22.12.2021	ओटीएस–1	20,08,027
22.	जय दादा धोहला स्टोन माईन्स	पिचोपा कलान –3	6,57,22,813	69,54,750	22.12-2021	ओटीएस–1	69,54,750

क्रमांक	ठेकेदार का नाम	ब्लॉक का नाम	अंसबद्व अवधि की वास्तविक राशि (रूपये में)	ओटीएस के तहत भुगतान की जाने वाली राशि (रूपये में)	प्रेषण की तारीख	ओटीएस नंबर/स	जमा राशि
23.	मैसर्ज एएसडी आरकेसी –जेवी	खेरीबत्तर –2	12,77,66,979	1,23,15,000	22-12-2021	ओटीएस–1	1,23,15,000
24.	मैसर्ज केयडैन इन्फरा इंजीनियर प्राईवेट लिमिटेड	रामलवास	5,47,08,817	64,59,750	22.12-2021	ओटीएस–1	--
25.	मैसर्ज सैनिक माईनिंग एण्ड एलाइड सर्विस लिमिटेड	पिचोपा कलान –1	20,33,35,820	1,56,00,000	22.12.2021	ओटीएस–1	1,56,00,000
26.	मैसर्ज केयडैन इन्फरा इंजीनियर प्राईवेट लिमिटेड	मानकवास –1	36,68,48,772	2,88,99,000	23-12-2021	ओटीएस–1	--
27.	मैसर्ज ऐसोसियेटेड सोपस्टोन डिस्ट्रिब्यूटिंग कम्प0 प्राईवेट लिमिटेड	कलाली एण्ड कल्याना	54,64,10,322	5,84,10,000	31.12.2021	ओटीएस–1	5,84,10,000
28.	मैसर्ज क्वॅालिटी अर्थ मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड	खेरीबत्तर–1	1,86,62,432	19,75,500	06.01.2022	ओटीएस–1	19,75,500
29.	मैसर्ज एमएसके–जेवी	झोजु कलां	5,89,81,301	64,87,500	11.01.2022	ओटीएस–1	64,87,500
30.	मैसर्ज एमएसके–जेवी	अटेला कलां	18,91,66,677	96,43,057	11.01.2022	ओटीएस–1	96,43,057
31.	मैसर्ज हरी हर माईनिंग को0	माईकला माईखुर्द	3,92,93,827	33,79,500	20.01.2022	ओटीएस–1	--
32.	मैसर्ज एसबीआईपीएल	कल्याना–2	14,67,19,035	1,79,39,250	31.01.2022	ओटीएस–1	1,79,39,250
	कुल (बी)		**1,82,98,97,451**	**17,00,71,334**			**13,13,33,084**
	जिला महेन्द्रगढ़						

क्रमांक	ठेकेदार का नाम	ब्लॉक का नाम	अंसबद्व अवधि की वास्तविक राशि (रूपये में)	ओटीएस के तहत भुगतान की जाने वाली राशि (रूपये में)	प्रेषण की तारीख	ओटीएस नंबर/स	जमा राशि
33.	मैसर्ज निमावत ग्रेनाईट	बखरीजा प्लॉट नं0 3	26,75,85,320	11,50,61,487	29.12.2021	ओटीएस–1	--
34.	मैसर्ज ओम मिनरल्स	महेन्द्रगढ़ यूनिट–1	7,07,87,455	82,62,000	04.01.2022	ओटीएस–1	--
35.	मैसर्ज एचजीईएल इन्टीग्रटेड प्राइवेट लिमिटेड	करौटा	5,86,26,813	50,42,250	17.01.2022	ओटीएस–1	--
36.	मैसर्ज एएनई इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	नारनौल	4,07,58,499	37,57,500	11.01.2022	ओटीएस–1	30,06,000
37.	मैसर्ज मुनीर इन्टरप्राइजिस	अमरपुर जोरासी	20,84,89,639	2,43,27,000	21.01.2022	ओटीएस–1	--
38.	मैसर्ज ग्रेडीएन्ट बिजनैस	बखरीजा –4	8,78,04,377	97,51,500	21.01.2022	ओटीएस–1	--
39.	मैसर्ज हरियाणा माईनिंग को0	गरही	4,09,44,984	0	27.01.2022	ओटीएस–1	--
	कुल (सी)		**77,49,97,087**	**16,62,01,737**			**30,06,000**
	जिला पंचकुला						
40.	मैसर्ज विष्णु एन्टरप्राइजिस	नटवाल ब्लॉक/ पीकेएल बी–17	1,78,03,799	33,27,177	13.01.2022	ओटीएस–1	--
41.	मैसर्ज गोबिन्दपुर रॉयल्टी कम्पनी	गोबिन्दपुर ब्लॉक/ पीकेएल बी–18	23,18,30,840	3,09,82,500	14.01.2022	ओटीएस–1	3,09,82,500
42.	श्री नसीब सिंह	गोरखनाथ ब्लॉक/ पीकेएल बी–1 एण्ड 2	2,98,14,265	31,65,000	14.01.2022	ओटीएस–1	31,65,000
43.	मैसर्ज बरवाला रॉयल्टी को0	कीरतपुर ब्लॉक/ पीकेएल बी–5 एण्ड 6	3,06,62,063	32,55,000	13.01.2022	ओटीएस–1	32,55,000

क्रमांक	ठेकेदार का नाम	ब्लॉक का नाम	अंसबद्व अवधि की वास्तविक राशि (रूपये में)	ओटीएस के तहत भुगतान की जाने वाली राशि (रूपये में)	प्रेषण की तारीख	ओटीएस नंबर/स	जमा राशि
44.	मैसर्ज स्टारैक्स मिन्रलस	श्यामटु –1 ब्लॉक/ पीकेएल बी–11	8,67,23,771	71,03,798	01.02.2022	ओटीएस–1	--
45.	मैसर्ज श्री गणेश रॉयल्टी को0	चरणीया ब्लॉक / पीकेएल बी–4	36,52,926	8,57,063	27.01.2022	ओटीएस–1	--
46.	श्री रणबीर सिंह (टी)	मण्डलाई–1 ब्लॉक / पीकेएल बी–21	3,13,06,709	32,25,000	02.02.2022	ओटीएस–1	32,25,000
47.	मैसर्ज श्री बालाजी माईन्स एण्ड मिनरल्स (ओ)	मण्डलाई–1 ब्लॉक / पीकेएल बी–21	2,24,96,902	49,02,667	08.02.2022	ओटीएस–1	--
48.	श्री सुषील कुमार पुत्र श्री माम चन्द	करणपुर ब्लॉक/ पीकेएल बी–3	2,72,72,285	31,00,201	02.02.2022	ओटीएस–1	--
49.	मैसर्ज पिन्जौर रॉयल्टी कम्पनी	नारायणपुर ब्लॉक/ पीकेएल बी–19	30,00,20,687	4,00,68,000	07.02.2022	ओटीएस–1	--
	कुल (डी)		**78,15,84,247**	**9,99,86,406**			**4,06,27,500**
	जिला करनाल						
50.	श्री राजबीर चौहान **कुल (ई)**	करनाल यूनिट –3	**107,02,88,839**	**5,20,08,375**	04.01.2022	ओटीएस–1	**5,20,08,375** .
	जिला अम्बाला						
51.	श्री देवेन्द्र शर्मा पुत्र श्री गौरी शंकर वशिष्टा	डडयाना ब्लॉक /एएमबी बी–8	**47,58,166**	**6,16,374**	27.01.2022	ओटीएस–1	**6,16,374**

क्रमांक	ठेकेदार का नाम	ब्लॉक का नाम	अंसबद्व अवधि की वास्तविक राशि (रूपये में)	ओटीएस के तहत भुगतान की जाने वाली राशि (रूपये में)	प्रेषण की तारीख	ओटीएस नंबर/स	जमा राशि
	कुल (एफ)						
	कुल (ए+बी+सी+डी+ई+एफ)		**551,43,48,271**	**62,46,79,959**			**31,60,51,265**
	स्वतः जमा की गई राशि						
	जिला यमुनानगर						
52.	मैसर्ज एम0 पी0 ट्रेर्डर्स	नगली ब्लॉक/ वाईएनआर बी–15	3,71,67,155	47,72,636	Suo-moto	**ओटीएस–1**	47,72,636
	जिला चरखी दादरी						
53.	मैसर्ज पॉयोनीर पार्टनर्स	पिचोपा कलान–2	6,05,00,000	1,00,00,000	Suo-moto	**ओटीएस–1**	1,00,00,000
	जिला महेन्द्रगढ़						
54.	मैसर्ज तिरूपति विनियोग प्राइवेट लिमिटेड	बखरीज़ा–2	2,28,60,384	38,71,750	Suo-moto	**ओटीएस–1**	38,71,750
	कुल (जी)		**12,05,27,539**	**1,86,44,386**			**1,86,44,386**
	कुल (ए+बी+सी+डी+ई+एफ+जी)		**563,48,75,810**	**64,33,24,345**			**33,46,95,651**

ओटीएस–2 के अंतर्गत आने वाले ठेकेदार/पद्टेदारों की सूची

सं. क	ठेकेदार का नाम	ब्लॉक का नाम	प्रारम्भ अवधि की वास्तविक राशि (रूपये में)	ओटीएस के तहत भुगतान की जाने वाली राशि (रूपये में)	वितरण की तिथि	ओटीएस नम्बर'एस	जमा राशि
	जिला पंचकुला						
1.	मै0 विष्णु इंटरप्राइजेज	नटवाल–2 ब्लॉक/ पंचकुला बी–17	18,43,33,397	3,47,34,178	13.01.2022	ओटीएस –2	..
2.	श्री. नसीब सिंह	गोरखनाथ–2 ब्लॉक/ पंचकुला बी–1 व 2	20,23,86,744	3,48,64,564	14.01.2022	ओटीएस –2	..
3.	मै0 बरवाला रॉल्यटी कम्पनी	किरतपुर–2 ब्लॉक/ पंचकुला बी–5 व 6	20,01,60,060	2,39,45,783	13.01.2022	ओटीएस –2	..
4.	श्री रणबीर सिंह (टी)	मण्डलाई–1 ब्लॉक/ पंचकुला बी–21	12,13,55,917	5,42,88,811	02.02.2022	ओटीएस –2	..
5.	मै0 पिंजौर रॉल्यटी कम्पनी	नायरणपुर ब्लॉक/ पंचकुला बी–19	20,85,96,243	4,78,12,840	07.02.2022	ओटीएस –2	..
	जोड़ – ए		**91,68,32,361**	**19,56,46,176**			
	जिला अम्बाला						
6.	मै0 देवेन्द्र शर्मा पुत्र श्री गौरी शंकर वशिष्ट (जोड़–बी	ददयाना ब्लॉक/ अम्बाला बी–8	3,70,54,717	1,74,30,604	27.01.2022	ओटीएस –2	.
	जोड़ – ए+बी		**95,38,87,078**	**21,30,76,780**			

ओटीएस–3 के अंतर्गत आने वाले ठेकेदार/पट्टेदारों (एस) की सूची

सं.क्र	ठेकेदार का नाम	ब्लॉक का नाम	प्रारम्भ अवधि की वास्तविक राशि (रूपये में)	ओटीएस के तहत भुगतान की जाने वाली राशि (रूपये में)	वितरण की तिथि	ओटीएस नम्बर'एस	जमा राशि
	जिला महेन्द्रगढ़						
1.	मै0 एचजीईएल इनटेग्रेटिड प्रा0 लि0	करोटा	12,75,78,305	3,12,81,509	17.01.2022	ओटीएस –3	..
2.	मै0 ग्रेडिंट बिजनीस	बखरीजा–.4	99,89,16,059	48,83,50,806	21.01.2022	ओटीएस –3	..
	जोड़		**112,64,94,364**	**51,96,32,315**			

ओटीएस–4 के अंतर्गत आने वाले ठेकेदार/पट्टेदारों (एस) की सूची

सं.क्र	ठेकेदार का नाम	ब्लॉक का नाम	वास्तविक राशि अन–शुरूआत अवधि (रूपये में)	ओटीएस के तहत भुगतान की जाने वाली राशि (रूपये में)	वितरण की तिथि	ओटीएस नम्बर'एस	जमा राशि
	जिला पंचकुला						
1.	मै0 केबीएम ठेकेदार	मण्डलाई–2 ब्लॉक/ पंचकुला बी–22	1,24,33,870	50,85,000	31,01,2022	ओटीएस –4	50,85,000
2.	मै0 घग्गर रॉल्यटी कम्पनी	माणक टबरा ब्लॉक / पंचकुला बी–20	3,76,61,332	40,60,000	08.02.2022	ओटीएस –4	40,60,000
3.	मै0 गणेश इंटरप्राइजेज	श्यामटु–.2 ब्लॉक / पंचकुला बी–12	8,85,85,207	73,75,000	02.02.2022	ओटीएस –4	73,75,000

सं.क	ठेकेदार का नाम	ब्लॉक का नाम	वास्तविक राशि अन–शुरूआत अवधि (रूपये में)	ओटीएस के तहत भुगतान की जाने वाली राशि (रूपये में)	वितरण की तिथि	ओटीएस नम्बर'एस	जमा राशि
4.	मै0 कृष्णा इंटरप्राइजेज	कोट ब्लॉक / पंचकुला बी– 8 व 9	6,22,79,904	51,85,000	08.02.2022	ओटीएस –4	51,85,000
	कुल		**20,09,60,313**	**2,17,05,000**			**2,17,05,000**

ओटीएस–5 के अंतर्गत आने वाले ठेकेदार/पद्टेदारों की सूची

सं.क	ठेकेदार का नाम	ब्लॉक का नाम	वास्तविक राशि अन–शुरूआत अवधि (रूपये में)	ओटीएस के तहत भुगतान की जाने वाली राशि (रूपये में)	वितरण की तिथि	ओटीएस नम्बर'एस	जमा राशि
	जिला सोनीपत						
1.	मै0 दहिया ट्रेडर्स	नन्दनौर रेत इकाई	5,79,47,894/–	1,12,20,000/–	31.01.2022	ओटीएस– 5	1,12,20,000

ओटीएस–6 के अंतर्गत आने वाले ठेकेदार/पट्टेदारों की सूची

सं. क	ठेकेदार का नाम	ब्लॉक का नाम	वास्तविक राशि अन–शुरूआत अवधि (रूपये में)	ओटीएस के तहत भुगतान की जाने वाली राशि (रूपये में)	वितरण की तिथि	ओटीएस नम्बर'एस	जमा राशि
	जिला पंचकुला						
1.	मै0 स्टारेक्स मिनरल्स	श्यामटु–.1 ब्लॉक / पंचकुला बी–11	13,01,97,493	6,22,74,954	01.02.2022	ओटीएस –6	...

पुराने मामलों से ओटीएस–8 के तहत वसूल की गई बकाया राशि–31.03.2010 से पहले

क्रमांक	खदान का नाम	अनुबंध की अवधि	जमा राशी	ब्याज
रेवाड़ी				
1.	धवाना	19.05.97 से 25.05.99	13,936	78,777
2.	कनुका	24.07.86 से 31.03.91	1,420	5,973
3.	डीडोली	08.04.93 से 31.03.96	35,986	53,857
4.	सिहा	1991 से 1994	40,869	1,81,987
5.	मुंडी	1978 से 1981	7,688	39,944
6.	नंधा	04.04.01 से 31.03.04	17,667	83,254
7.	लोहाना	08.04.92 से 31.03.95	17,000	1,53,903
8.	खलेता	01.04.93 से 15.11.93	273	7,071
9.	मुंद्रा	12.04.95 से 31.03.98	29,546	--
		जमा =	**1,64,385**	**6,04,766**
नारनौल				

10.	अदलपुर प्लॉट न0 2	1984-88	12,900	122654
11.	आज़माबाद मोखुता	1987-92	2,688	27120
12.	अदलपुर प्लॉट न0 2	1987-92	18,384	128654
13.	अदलपुर प्लॉट न0 3	1981-84	3,450	27154
14.	बिगोपुर, ख्वाजपुर	1978-91	399	13125
15.	बरदा सुरेहती	1992-95	940	9542
16.	भद्राई	1978-81	750	7852
17.	बिगोपुर, ख्वाजपुर	1981-84	14,600	69125
18.	बरदा सुरेहती	1984-89	569	27125
19.	बखरीजा	1986-91	966	27126
20.	दाताल	1992-95	17,739	69126
21.	डिग्रोटा	1984-88	4,321	69478
22.	डिग्रोटा	1986-91	7,245	63128
23.	दोचना	1993-96	395	6951
24.	घटशेर	1981-84	98	5621
25.	गढ़ा गांव (ताजपुर)	1984-89	680	8954
26.	गुधा	1989-92	713	22551
27.	घटशेर	1983-87	3,140	63125
28.	गंगुटाना	1985-90	1,775	27154
29.	गोलवा	1989-92	187	6521
30.	जखनीस	1985-89	398	7894
31.	खुदना प्लॉट न0 7 सी	1993-96	304	6875
32.	खटोटी सुल्तानपुर	1992-95	30,117	88126

33.	करोटा	1992-95	1,001	33125
34.	खोदमा	1978-81	1,000	27154
35.	किरारोड	1989-92	831	26125
36.	कुक्षी	1991-94	2,070	27252
37.	कुक्षी	1992-95	2,484	27154
38.	कांवि	1992-95	2,218	58424
39.	खुदना प्लॉट नं0 6	1978-81	4,955	68125
40.	खुदाना प्लॉट नं01 7	1994-97	1,224	23158
41.	लेहोरदा	1983-87	530	16551
42.	मारोली	1984-89	216	11562
43.	मारोली	1984-89	374	6822
44.	मेघोट बिंजा	1983-87	1,205	9651
45.	मारोली	1983-88	875	11256
46.	नारनौल	1978-81	1,000	22152
47.	नारनौल	1995-98	1,262	19256
48.	सहलांग	1984-89	2,186	23125
49.	तोताहेरी	1990-93	19,275	113265
50.	तोताहेरी	1993-96	20,556	111326
51.	थानवास, गोत्री	1980-82	1,900	65561
52.	थानवास, गोत्री, नंगल	1984-89	1,439	45621
53.	उष्मापुर	1992-95	1,393	33651
54.	उष्मापुर	1987-92	322	9851
55.	डालनवास	2001-02	1,810	26521

56.	इस्लामपुर	2001-02	1,000	27125
57.	नंगल दुर्गु	2001-02	6,184	33681
		जमा =	**2,00,068**	**17,82,475**
चरखी दादरी				
58.	तिवाला प्लॉट नं0 1	1993-94	15,000	1,00,013
59.	मानकावास प्लॉट नं0 डी	2010-11	6,19,000	20,64,426
		जमा =	**6,34,000**	**21,64,439**
भिवानी				
60.	खनक प्लॉट नं0 5	1989-92	14,150	51,778
61.	खनक प्लॉट नं0 9	2002-03	5,768	24,023
62.	खनक प्लॉट नं0 2	1997-98	58,500	4,32,575
63.	खनक प्लॉट नं0 7	1996-97	15,000	75,931
64.	गागरवास	1981-82	8,500	75,470
65.	नकीपुर	1998-99	9,225	49,948
66.	रिवासा	1980-81	4,250	44,705
		जमा =	**1,15,393**	**7,54,430**
गुरूग्राम				
67.	गैरतपुर बास	1989-92	804	4,717
68.	नौरंगपुर	1982-83	2,411	11,396
69.	कसान	1990-91	2,186	63,425
70.	नैनवाल	1987-91	2,075	7,968

71.	गैरतपुर बास	1984-85	5,604	24,210
72.	कादरपुर	1994-95	5,722	1,289
73.	सेहरावाण	1997-98	1,30,410	34,500
74.	नैनवाल	1983-88	738	3,275
75.	खैरकी दौला	2010-11	8,00,000	22,91,144
		जमा =	**9,49,950**	**24,41,924**
नुंह				
76.	ठेक	1987-88	612	1,966
77.	गेहबर	1982-87	1,971	8,514
78.	कुतुबपुर	1985-90	2,613	11,774
79.	मेवली	1989-92	98,400	2,25,420
80.	पालरी	1985-90	1880	8,122
81.	सीकारपुर	1988-89	1132	4,747
82.	कोटा खंडेवाला	1981-82	2911	8,079
83.	पॉल	1988-89	3558	11,556
84.	नोटकाई	1997-98	226	3,775
85.	खार खारी	1983-87	509	1,057
86.	नगला देवला	1996-99	241370	1,44,630
87.	सुंध	1983-88	1321	5,707
88.	बडेड	1988-89	1852	5,926
89.	चिल्ला	1979-81	146	670
90.	बिस्सार अकबरपुर	1978-81	116	496
91.	करखरी	1993-96	55,771	1,17,576

92.	हाजीपुर	1987-88	11,671	1,295
93.	तुसेनि	1984-85	1733	7,486
94.	लोहिंगा कलां	1981-84	1980	8,353
95.	बीवान	1979-82	184	856
96.	अनचावरी	1982-83	1768	5,394
97.	चिल्ला	1979-82	624	1,687
98.	झिमरावत	1985-86	19155	10,660
99.	सिंगलाहेरी	1982-85	2361	2,664
100.	एफ पी झिरका	1989-90	14,310	26,969
101.	रावली	1989-90	347	1,039
102.	ठेकराका	1987-91	730	2,803
103.	हसनपुर बिलां	1982-83	1071	2,964
104.	पालरी	1983-86	3200	1,402
105.	मालका	1983-84	1235	4,679
106.	महून	1982-83	380	1,728
107.	लोहिंगा कलां	1985-86	1877	7,658
108.	ठेकराका	1989-90	980	2,536
109.	ठेकराको	1986-87	611	1,320
110.	खेरला कलां	1984-89	1350	5,670
111.	खेरकारी दलाका	1991-94	25000	9,756
		जमा =	**5,04,955**	**6,66,934**
		कुल जमा =	**25,68,751**	**84,14,968**

श्री नीरज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि इस प्रश्न के जवाब में हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी का अपमान हुआ है और सदस्य का भी अपमान हुआ है क्योंकि हर सदस्य को हक है कि वह जिस भाषा में अपना प्रश्न लिखे उसे उसी भाषा में उसका पूरा जवाब मिलना चाहिए। मैंने अपना प्रश्न पॉलिसी को लेकर हिन्दी भाषा में दिया था लेकिन मुझे मेरे द्वारा मांगी गई पॉलिसी की प्रति हिन्दी के स्थान पर अंग्रेजी में उपलब्ध करवाई गई है। कुल मिलाकर मेरा बार–बार यही कहना है कि यह हमारी राष्ट्रभाषा का घोर अपमान है। (विघ्न) यह कोई हंसने की बात नहीं है यह एक बहुत ही सीरियस बात है। हम राष्ट्रभाषा हिन्दी दिवस मनाते हैं। क्या हम राष्ट्रभाषा हिन्दी को ऐसे ही प्रोमोट करेंगे?

श्री अध्यक्ष : नीरज जी, आपका यह एतराज बिलकुल जायज है और मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि दोनों भाषाओं के अंदर किसी भी प्रश्न का रिप्लाई आना चाहिए। (विघ्न) कोई भी माननीय सदस्य इस विषय को मजाक में न ले क्योंकि यह एक बहुत ही गम्भीर विषय है। अगर किसी माननीय सदस्य ने कोई प्रश्न पूछा है तो उसका जवाब हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ही आना चाहिए क्योंकि यहां पर ज्यादातर माननीय सदस्य हिन्दी की जानकारी रखते हैं इसलिए खास तौर पर किसी भी प्रश्न का जवाब हिन्दी में ही आना चाहिए। (विघ्न)

श्री नीरज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि मेरे प्रश्न की पूरी बातों को नहीं पढ़ा गया है। मैंने मंत्री जी से यह पूछा था कि कुल कितने मामले हैं? इसका मुझे जवाब मिला 168 मामलों की हमने जांच की। सरकार ने जांच की, इसका मतलब यह है कि ओ.टी.एस. के लिए सरकार के पास कोई आया नहीं। इसकी जनता और ठेकेदारों की तरफ से डिमाण्ड नहीं थी कि उनकी सैटलमैंट की जाये। सरकार ने खुद ही तो इस मामले को पिक कर लिया और खुद ही उनको पत्र लिख दिया। अध्यक्ष महोदय, उस छूट में यह हुआ कि 823 करोड़ रूपये की सरकार ने जांच की और 823 करोड़ रूपये का मामला सरकार ने 148 करोड़ रूपये में निपटा दिया। सरकार को 823 करोड़ रूपये लेने थे सरकार ने खुद जांच की और कहा कि आप 148 करोड़ दे दो और आपको इससे मुक्ति मिल जायेगी। सरकार ने यह एक्सरसाईज की और इसके बाद सरकार के पास महज 39 करोड़ रूपये ही आये। अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से यही कहना है कि यह किस प्रकार से सरकारी पैसे की लूट हो रही है? 100 के किये 60 आधे लिए बांट बचे 30, 10 दूंगा और 10 देता हूं और 10 का लेना–देना

क्या? अध्यक्ष महोदय, अंत में मेरा एक सवाल और है कि हमारे मुख्यमंत्री जी बतौर वित्तमंत्री बजट प्रस्तुत करते हैं। उस बजट के अंदर उन्होंने हमसे सुझाव भी मांगा कि हम उनको ऐसे सुझाव दें कि जिनसे प्रदेश की आय बढ़े। अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारे हरियाणा की आय ऐसे ही बढ़ेगी? (विघ्न) स्पीकर सर, कुल मिलाकर मेरा यही कहना है कि इस प्रश्न के जवाब के हिसाब से यह सरेआम सरकारी पैसे की लूट हो रही है।

पंडित मूल चंद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधायक साथी ने बहुत बड़ी बात कही है। हमने विवादों का समाधान करने का प्रयास किया है। हरियाणा में कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जिसमें विवादों का समाधान समय–समय पर न होता हो चाहे हम एक्साईज की बात करें, टाऊन एण्ड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमैंट की बात करें, फूड एण्ड सप्लाईज डिपार्टमैंट की बात करें या पंचायती राज विभाग की बात करें। यह जो मामला आया है यह मामला बहुत लम्बे समय से कोर्ट्स में चला हुआ था। स्पीकर सर, इसके अलावा मैं अपने विधायक साथी को यह भी बताना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने खनन के क्षेत्र में बड़ी संख्या में बाधाओं के कारण तथा खनन को मुकदमेंबाजी/विवादरहित सुनिश्चित करने के लिए एक नीति "विवादों का समाधान", एकमुश्त निपटान योजना (ओ.टी.एस.) तैयार की है, जिसे आदेश दिनांक 03.11.2021 द्वारा अधिसूचित किया गया है। आदेश दिनांक 03.11.2021 की प्रति अनुलग्नक "ए" के रूप में संलग्न है। इसके अलावा ओ.टी.एस. योजना के कार्यान्वयन के लिए आदेश दिनांक 18.11.2021 के माध्यम से जारी दिशानिर्देश अनुलग्नक "बी" के रूप में संलग्न है। अधिक समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आदेश दिनांक 24.02.2022 द्वारा ओ.टी.एस. की अवधि 15.03.2022 तक बढ़ा दी गई है, इसकी प्रति अनुलग्नक "सी" के रूप में संलग्न है। अब तक 168 मामलों की जांच उपरोक्त नीति के अनुसार की गई है जिनमें कुल बकाया राशि 811.91 करोड़ रूपये बनती है। जिन्होंने माईनिंग नहीं की उनके लिए भी सरकार का मीटर घूमता रहा। इसका विवाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बहुत लम्बे समय से चलता रहा। इसके बाद ओ.टी.एस. योजना के तहत बकाया राशि को घटकर 148.59 करोड़ रूपये रह गई। इनमें से 158 केसिज में खनिकों द्वारा 37.39 करोड़ रूपये की राशि जमा करवाई गई। जिसके बाद 379.14 करोड़ रूपये की कुल बकाया राशि का निपटान किया जा चुका है। इनमें से तीन खनिक साथियों द्वारा स्वतः ही 1.86 करोड़ रूपये की राशि जमा करवाकर 12.05 करोड़ रूपये की

लम्बित बकाया राशि का निपटान किया जा चुका है। इस प्रकार से अब तक ओ.ओ.टी.एस. के अनुसार अधिसूचित कुल 171 मामलों की जांच व निपटारा किया गया है जिनमें कुल बकाया राशि 823.96 करोड़ और ओ.टी.एस. योजना के तहत गणना अनुसार बकाया देय राशि घटाकर 150.45 करोड़ रूपये रह गई है। जिसमें कुल 391.19 करोड़ रूपये की राशि का निपटान करते हुए कुल 39.25 करोड़ रूपये ओ.टी.एस. योजना के तहत 161 खनिकों से वसूल की जा चुकी है। अध्यक्ष जी, जो मेरे विधायक साथी ने यह पूछा है मैं सदन के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इस मामले से सम्बंधित सारे के सारे पेपर्ज इनके समक्ष प्रस्तुत हैं। इसमें जो ओ.टी.एस. स्कीम लाई गई है यह एक ऐसी समस्या थी कि हर आदमी कोर्ट में भागता था। वर्ष 2010 से पहले भी ऐसा ही किया गया है। वर्ष 2010 से पहले जिन लोगों को छूट मिली उन लोगों ने कहा कि उनको इस स्कीम से क्या फायदा? जिन लोगों को 10 करोड़ रूपये देने थे उनका ब्याज 90 करोड़ रूपये बन गया हमने उनको भी इस स्कीम में लिया। जो खनन से सम्बंधित व्यक्ति हैं उन सभी को इस स्कीम में शामिल किया गया है। इस सम्बन्ध में पूरी की पूरी जानकारी इस प्रश्न के जवाब में शामिल की गई है। अगर इसके अलावा भी किसी माननीय सदस्य को कोई जानकारी चाहिए तो उसको भी उपलब्ध करवा दिया जायेगा और भविष्य में जो भी जानकारी उपलब्ध करवाई जायेगी वह अंग्रेजी और हिन्दी दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध करवाई जायेगी। स्पीकर सर, चाहे कोई भी व्यापारी हो हमें उसके ऊपर भरोसा तो रखना ही पड़ता हैं। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने पर्सनल इट्रैस्ट लेकर इस विवाद को सुलझाने का काम किया। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो खनिक हैं उनको भी व्यापारियों की दृष्टि से ही देखा जाना चाहिए। सरकार को उनसे भी रेवेन्यू की प्राप्ति होती है। चाहे कोई भी व्यापारी हो हम सभी को उसके ऊपर विश्वास रखना चाहिए। हमें खनन करने वालों को माफिया का नाम नहीं देना चाहिए। हमें खनिकों से हजारों करोड़ रूपये के रेवेन्यू की प्राप्ति हुई है यह इसीलिए प्राप्त हुई है क्योंकि हमने उनको रोका है और ओ.टी.एस. स्कीम लेकर आये हैं। हमने उनकी प्रोपर्टी गिरवी रखी हुई हैं। अगर किसी का 10 करोड़ रुपये का कांट्रैक्ट था तो हमने 15 करोड़ रुपये की उसकी प्रोपर्टी गिरवी रखी हुई है। मैं इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने स्वयं जा कर इस विवाद को सुलझाने का काम किया है। जो माननीय

सदस्य कह रहे हैं वह ठीक नहीं है। जिसने काम ही नहीं किया उससे हम किस बात का पैसा ले सकते हैं?

श्री नीरज शर्माः अध्यक्ष महोदय, सदन का समय बहुत कीमती होता है। माननीय मंत्री जी ने कह दिया था कि जवाब सदन के पटल पर रखा हुआ है इसलिए इस जवाब को पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने उस लिखित जवाब में से ही अनुपूरक प्रश्न पूछा था लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मैंने प्रश्न पूछा था कि कुल कितने मामले हैं और आपने 168 मामलों की ही जांच क्यों की बाकी मामलों की जांच क्यों नहीं की?

पंडित मूल चन्द शर्माः अध्यक्ष महोदय, अभी 15–03–2022 तक का समय उनके पास है। उसके बाद हम एक–एक मामले को सामने रखेंगे और सभी की पड़ताल की जायेगी।

श्री नीरज शर्माः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सवाल है कि क्या ओ.टी.एस. के लिए किसी की आपके पास अपील आई थी?

श्री अध्यक्षः नीरज जी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो केस चल रहे होते हैं उसमें किसी की अपील की जरूरत नहीं होती है। सरकार उस विवाद को समाप्त करने के लिए कोई बीच का रास्ता निकालते हुए ओ.टी.एस. स्कीम ला सकती है इसलिए आप बैठ जाइये।

———————

Present Status of I.M.T. Kharkhoda

***1633. Shri Jaiveer Singh:** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state the present status of I.M.T. Kharkhoda?

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala) : Sir, A statement is laid on the table of the House.

Statement

1. The HSIIDC had acquired 3217.19 acres of land in the year 2013 in District Sonepat for Development of IMT Kharkhoda. As per the approved existing layout plan dated 19.03.2020, out of 3217.19 acres, 1243.28 acres is reserved for Industrial Plots and balance for other purposes like Institutional use (147.61 acres), Commercial use (171.51 acres), Public utilities / buildings (168.47 acres), R&R Plots (109.29

acres), R&R Pockets & Land Pooling Plots/Housing (163.58 acres) and Green Belts, open spaces etc.

2. There are 2965 plots for the general industry, out of which the Corporation has allotted 788 plots under the general category and 293 plots under the Land Pooling Scheme. As on date, there are 1884 unallotted plots in IMT Kharkhoda and the process of allotment through auction is presently under way.

3. The DPR amounting to Rs. 1904.46 crore for providing infrastructure facilities in the entire area of IMT Kharkhoda measuring 3217.19 acres was approved on 18.09.2020. Environment clearance for IMT Kharkhoda was received on 14.09.2020. In the first phase, the development of master roads was taken up. The work order for construction of master roads (60 meter wide) at IMT Kharkhoda was allotted to M/s PRL Projects & Infrastructure Ltd. with a total financial effect of Rs. 95.67 crores. The agency has executed about 37% of the construction of 60 meters master roads. Simultaneously, the work of development of basic infrastructure over 600 acres of land has also been taken up. DNIT Bid documents amounting to Rs. 237.35 crore for providing infrastructure facilities i.e. road network, water supply, sewerage system, recirculation system, storm-water drainage system, electrification and street light, for an industrial pocket measuring of 600 acres abutting KMP Expressway/ Kharkhoda Delhi Road and area earmarked for allotment under R&R policy adjoining village Rampur Kundal, has been approved. Tenders were floated but there was no response. Revised tender is being issued.

श्री जयवीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब सदन के पटल पर रख दिया है। अपने जवाब में माननीय मंत्री जी ने स्वयं माना है कि आई.एम.टी. खरखौदा में अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। वहां पर केवल एक 60 मीटर की सड़क बन रही है जिसका 37 प्रतिशत काम हुआ है बाकी सभी काम पैंडिंग हैं। अध्यक्ष महोदय, अफसोस इस बात का है कि दिल्ली के नजदीक होते हुए भी अभी तक आई.एम.टी. खरखौदा विकसित नहीं हुई है। जब वर्ष 2013 में हमारी कांग्रेस

की सरकार थी उस समय हमारे मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने इस जमीन का अधिग्रहण किया था। वर्ष 2013 में उस जमीन का अवार्ड हो गया था लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए भी 7 साल हो गये हैं लेकिन अभी तक इस आई.एम.टी. को विकसित नहीं किया गया है। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि यहां पर बड़ी–बड़ी कम्पनियां आ रही हैं, मारूति कम्पनी आ रही है लेकिन वहां पर न तो सीवरेज है, न रोड हैं, न बिजली और पानी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिस मारूति कम्पनी की आई.एम.टी. खरखौदा में आने की बात की जा रही है वह कब तक आ जायेगी?

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अच्छी बात कही है और मैं भी इस बात से सहमत हूं कि आई.एम.टी. खरखौदा की जमीन की एक्विजीशन वर्ष 2013 में हुई थी। माननीय सदस्य इस सदन के कई बार सदस्य भी रहे हैं इसलिए इनको मालूम होगा कि जब भी कोई आई.एम.टी. आती है तो एक साल में तैयार नहीं हो जाती है। इसके लिए समय लगता है। पूर्व सरकार के समय की कुछ लिटिगेशन्ज भी थी जिनको हमने दूर किया है। हमने पिछले 2 साल में इस बात पर जोर दिया गया है कि आई.एम.टी. खरखौदा को विकसित किया जाये। वहां पर जिस एक रोड को बनाने की बात माननीय सदस्य कह रहे हैं वह प्राइमरी सैक्टर को कनैक्ट करने वाली सड़क है। माननीय सदस्य ने माना भी है कि वहां पर सड़क बन रही है और उसका 37 प्रतिशत काम पूरा हो गया है और इस साल के मध्य तक वह सड़क कम्पलीट हो जायेगी। उसके साथ–साथ 237 करोड़ रुपये के सीवरेज, लाईट्स और रोड्ज के टेंडर्ज ऑलरेडी फ्लॉट कर दिये गये हैं और पूरा इंडस्ट्रियल जोन आई.एम.टी. खरखौदा वर्ष 2023 के अन्त तक पूर्ण रूप से डिवैल्प हो जाएगा। उसके साथ–साथ जनरल पूल के 778 प्लॉट्स की ऑक्शन करके ऑलरेडी अलॉट कर दिये गये हैं। जो इनकी सरकार के समय पर लैंडपुलिंग पॉलिसी बनाई गई थी उस पॉलिसी के अन्तर्गत किसानों को 293 प्लॉट्स अलॉट किये गये हैं। उसके साथ–साथ पिछले महीने हमने दो ऑक्शन और निकाले थे जिसमें 800 एकड़ और 100 एकड़ के दो मेगा प्रोजैक्ट थे। इस सदन के साथ सांझा करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारे पास दोनों ऑक्शंज के लिए एक–एक एप्लीकेंट आया है। 800 एकड़ के लिए मारूति सुजुकी इण्डिया लि. और 100 एकड़ के लिए सुजुकी मोटर साईकिल प्राईवेट लि. ने आवेदन डाला है

जिसको एच.एस.आई.आई.डी.सी. की ई.ई.सी. कमेटी लुक इनटू कर रही है। जिस दिन उसकी बैठक होगी उस दिन हम उन दोनों मेगा प्रोजैक्ट्स को एच.बी.पी.ई. के अन्दर लेकर अप्रूव करेंगे क्योंकि ये 900 एकड़ में बनने वाले ऑटोमोटिव हब आने वाले समय में हमारी थरस्ट इंडस्ट्रिलाईजेशन को विकसित करेगा और खरखौदा एक नये मुकाम पर पहुंचेगा। केवल मात्र खरखौदा ही नहीं आप खुद नजर उठाकर देखें जैसे गुरूग्राम में मारूति आई उसके बाद मानेसर से लेकर रोहतक तक और इस तरफ फरीदाबाद, बावल, पलवल तक तमाम इलाके के अन्दर उसकी सबइंडस्ट्रीज बनी थी। वैसे ही जब खरखौदा में ये ऑटोमोटिव हब बनेंगी और जिस मारूति प्लांट के साथ जुड़ने वाली यूनिट्स बनेगी उससे पानीपत, जीन्द, रोहतक, झज्जर और सोनीपत जिलों का भी बड़ी मात्रा में विकसित होने का काम होगा। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि इनकी सरकार ने तो केवल इसको एक्वायर किया था लेकिन इसको विकसित करने का काम हमारी सरकार करेगी।

———————

To Make the Villages Lal Dora Free

***1782. Shri Jagbir Singh Malik:** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to make the villages of State Lal Dora Free; if so, the status thereof together with the numbers of property I.Ds. issued by the Government in the villages of State so far;

(b) the details of the incharge of this project together with the number of officers and workers involved in this process in one District;

(c) whether any training was given to the persons involved in this process; if so, the details of their training, place of training and days of training; and

(d) whether any procedure of notice before creation of ID was adopted by the Government together with the details of persons along with their villages to whom such notices have been served in Gohana Assembly Constituency so far?

@विकास एवं पंचायत विभाग मंत्री (श्री देवेन्द्र सिंह बबली) : श्रीमान् जी, (क) राज्य द्वारा गांव को लाल डोरा मुक्त बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में बसे हुए गांव वासियों को उनके घरो का मालिकाना हक प्रदान करने के लिए स्वामित्व योजना लागु की गई। अब तक 3,93,451 संपत्ति कार्ड दिए गए।

(ख) जिला स्तर पर इस योजना का प्रभारी जिला उपायुक्त है। जिले में इस प्रक्रिया में जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, जिला राजस्व अधिकारी, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, तहसीलदार, ग्राम सचिव और राजस्व पटवारी शामिल हैं।

(ग) इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2020–2021 में नियमित रूप से विभागीय अधीकारियों की ऑनलाइन प्रशिक्षण एवं समीक्षा बैठके की गई ।

(घ) हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 26 के तहत ग्राम पंचायत ग्राम सभा में आपत्तियां आमंत्रित करती है। ग्राम पंचायत द्वारा आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए 30 दिन का समय दिया जाता है। ग्राम पंचायत आपत्ति दर्ज कराने वाले व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देकर प्राप्त आपत्तियों, यदि कोई हो, का निवारण करती है। गोहाना विधानसभा क्षेत्र की 36 ग्राम पंचायतों ने आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए अधिसूचना प्रकाशित की है. इन गांवों में कुल 1,115 आपत्तियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 656 का निपटारा कर दिया गया है और 499 आपत्तियों का निपटारा प्रक्रिया में है।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी द्वारा जो जवाब दिया गया है उससे मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूं। यह बहुत ही सीरियस मामला है जिसका मैं स्वयं भुगतभोगी हूं। जिस ढंग से यह किया जा रहा है वह बिल्कुल गलत तरीके से किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से इस संबंध में मंत्री जी से दो–चार सवाल पूछना चाहता हूं। जिसमें पहला है कि जिन गांवों के लाल डोरे का बंटवारा ऑलरेडी सिविल कोर्ट से हो चुका है। ऐसे बहुत से गांव हैं जिनका मैंने खुद बंटवारा करवाया है। उन गांवों में सरकार द्वारा लाल डोरे की जमीन का दोबारा से बंटवारा किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार कोर्ट की डिक्रियों को कैसे बाई पास करेगी। दूसरा इसका पेरेंट डिपार्टमैंट कौन है जिसके अण्डर हरियाणा सरकार ये रोड मैपिंग करवा रही है, ऑनरशिप के कार्ड दे रही है। उसके लिए उसकी इंस्ट्रक्शंज क्या हैं? उस डिपार्टमैंट की प्रोपर्टी को डिमार्क करने की

@Replied by the Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala)

इंस्ट्रक्शंज क्या हैं? मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने सभी तहसीलदारों को ऑनलाईन ट्रेनिंग दे दी है। एज पर माई इंफॉरमेशन किसी को कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई। इनका तो जिक्र भी नहीं है। सक्षम योजना वाले युवा प्रोपर्टी आई.डी बना रहे हैं जिनको उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। वे तो किसी का भी आधार कार्ड लेकर उसके नाम जमीन चढ़ा देते हैं। मैं अपना ही उदाहरण देता हूं। मेरे परिवार की सारी प्रोपर्टी मेरे नाम चढ़ा रखी है। जबकि मेरे तीन भाई और हैं। मेरे चाचा–ताऊ भी हैं। उन में से किसी के नाम कोई प्रोपर्टी नहीं है और मेरी प्रोपर्टी किसी और के नाम चढ़ा रखी थी। मैं कहता हूं कि ऐसा सभी के साथ होगा। बेशक आप अपना रिकॉर्ड चैक करवा लेना। मैंने इस संबंध में बी.डी.ओ. को बुलाकर पूछा तो उसने मुझे बताया कि आपकी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड तो ठीक हो चुका है। उसके बाद मैंने पटवारी से कॉन्टैक्ट किया तो देखा कि मेरी प्रॉपर्टी का सारा सिस्टम ठीक हो रहा था। मैं मंत्री जी से इन सवालों का जवाब जानना चाहता हूं कि इसमें क्या प्रोसिजर अपनाया गया है और यह किस विभाग से संबंधित है क्योंकि इसमें सभी इन्वोल्ड हैं और यह पूरे प्रदेश का मामला है।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात रखी है, उस संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा कि इस सारे प्रोसेस को हरियाणा प्रदेश में सबसे पहले गांव सिरसी, जिला करनाल के अंदर 26 जनवरी 2020 को एक पायलट प्रोजेक्ट के स्वरूप में कंप्लीट करने का काम किया गया था। जहां पूरे गांव के अंदर तीन बार ड्रोन को उड़ाकर लाल डोरे में बाकायदा जिस–जिस की जहां–जहां जमीन थी, उस जमीन को चूना मार्किंग करके, नक्शा तैयार किया गया और उसके बाद उस नक्शे को वहां पर लगाकर आब्जैक्शंज भी काल–इन किए गए और इसके बाद तीस दिन का समय देते हुए सुनवाई करने का मौका दिया गया और फैसले के उपरांत सहमति हो जाने के बाद ही किसी प्लॉट की लैंड बाउंड्री या आई.डी. डिमार्क की गई। यह कार्य मुख्यतः पंचायत विभाग और रेवेन्यू विभाग का ही कार्य है लेकिन यह प्रोसैस इतना आसान नहीं था। जब हमने पॉयलेट प्रोजैक्ट को कंप्लीट किया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी रिपोर्ट कॉल–इन की और स्वामित्व योजना के नाम से भारत वर्ष के 8 प्रदेशों में इस योजना को लागू करने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, इस योजना के तहत अब तक हरियाणा प्रदेश के लगभग 87 परसेंट लैंड एरिया का सर्वे करने के लिए ड्रोन फ्लाईंग हो चुकी है। इसको मैं इस तरह भी कहना चाहूंगा कि प्रदेश के हर गांव की कम से कम

एक–एक बार और अधिकतम पांच–पांच बार ड्रोन फलाईंग सर्वे हो चुका है और इस प्रकार हमने अब तक 393451 लैंड आई.डी. कार्ड इशु करने का काम किया है। जहां माननीय सदस्य का स्पेसिफिक क्वैशचन था कि इसका परेंट्स डिपार्टमैंट कौन सा है, के संदर्भ में बताना चाहूंगा कि रेवेन्यू डिपार्टमैंट इस पूरे प्रोसैस को देखने का काम कर रहा है क्योंकि पंचायत विभाग धरातल पर काम करता है। पटवारी, एस.ई.पी.ओ. बी.डी.पी.ओ. तथा ग्राम सचिव ये सभी एक टीम के तौर पर डिप्टी कमिश्नर के अध्यक्षता में काम करते है। जहां तक माननीय सदस्य ने कोर्ट डिक्री का जो मुद्दा उठाया है, के संदर्भ में बताना चाहूंगा कि और माननीय सदस्य इस बात से पूरी तरह वाकिफ भी हैं कि गांव में लाल डोरे की कब्जा कार्रवाई होती है और ग्राम सचिव के रजिस्टर में उस जमीन के लिए लिखा जाता है कि नार्थ से इतने नम्बर, ईस्ट से इतने नम्बर और वैस्ट से इतने नम्बर कितने बाई कितने का जो प्लॉट बनता है, उस प्लॉट की कब्जा कार्रवाई को ग्राम सचिव के रजिस्टर में दिखाया जाता है। अगर किसी की कोई कोर्ट की डिक्री है और कोई बाइफरकेशन वगैरह हुई है तो ऐसी अवस्था में तीस दिन की जो समयावधि दी जाती है, उस समयावधि में प्रभावित पक्ष अपने वहां के रेवेन्यू आफिसर के पास आब्जैक्शंज फाइल कर सकता है और जैसा कि माननीय सदस्य ने खुद माना है कि उनके खुद के प्लॉट को किसी अन्य के नाम पर चढ़ा दिया गया तो इन्होंने आब्जैक्शंज फाइल की होगी, यह खुद मानते हैं और इनके आब्जैक्शंज को रिड्रैसल करने का काम तुरंत हमारे अधिकारियों ने किया भी है। मैं तो चाहता हूँ कि सदन के तमाम सदस्यों को अपने–अपने निर्वाचन क्षेत्र के अंदर इस मेगा पॉयलट प्रोजेक्ट में जोकि देश के लिए एक मिसाल बनता रहा है, अपना पूर्ण सहयोग देने का काम करना चाहिए और अगर आब्जैक्शंज आती हैं तो अपने डिप्टी कमिश्नर के पास उनको पुट–इन किया जाये और मैं समझता हूँ कि ऐसे आब्जैक्शंज को तुरंत प्रभाव से दूर करने का काम किया जायेगा।(शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, मैंने तो यह पूछा है कि इसका पेरेंट्स डिपार्टमैंट कौन सा है?

श्री अध्यक्षः मलिक साहब, उप–मुख्यमंत्री जी ने सब कुछ बता दिया है। स्टेट के अंदर लाल डोरा के संबंध में जो–जो काम किए जा रहे है उन सबके बारे में उप–मुख्यमंत्री महोदय ने विस्तार से सब कुछ बता दिया है। उन्होंने स्पष्ट बताया

है कि रेवेन्यू डिपार्टमैंट इस पूरे प्रोसैस को देखने का काम करता है और पंचायत विभाग धरातल पर काम करता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, इसका पेरेंट्स डिपार्टमैंट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया है। मेरे पास इससे संदर्भित सभी इंस्ट्रक्शंज मौजूद हैं और अगर माननीय उप–मुख्यमंत्री जी कहें तो मैं इनको दिखा भी सकता हूँ।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया को पेरेंट्स डिपार्टमैंट बता रहे हैं। सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, भारत सरकार की एक एजेंसी है जो लैंड मैपिंग का काम करती है और as Government institution to support and looking into this project हरियाणा सरकार ने इतने बड़े स्केल पर इस एजेंसी को अपने साथ अटैच करने का काम किया है। यह एजेंसी गवर्नमैंट ऑफ हरियाणा की एजेंसी नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, मेरे पास इसकी सभी इंस्ट्रक्शंज मौजूद हैं जिनमें से एक भी इंस्ट्रक्शन को फोलो करने का काम नहीं किया गया। इसमें ऑनर को कहीं भी इंवोल्व नहीं किया गया है। कहीं किसी मकान मालिक से कुछ नहीं पूछा गया है। यहां तक कि जो लोग बाहर रहते हैं, उनको कोई नोटिस देने तक का काम नहीं किया गया है। जो किराये पर रहते हैं उनके नाम से ही मलकियत चढ़ाने का काम किया गया है। किसी की जमीन किसी के नाम चढ़ा दी गई है। स्पीकर सर, ऐसा करके भाई को भाई के साथ लड़ाने का काम किया जा रहा है। कितनी अजीब बात है कि लेडीज के नाम कोई भी मलकियत नहीं की गई है। पंयायतों तक को इंवोल्व करने का काम नहीं किया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि भाई को भाई के साथ लड़ाने का काम सरकार द्वारा न किया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य हाउस को मिसलीड कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि यदि पहली डीड किसी को दी गई तो वह एक महिला थी, जिसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। यदि माननीय सदस्यगण चाहेंगे तो मैं 3 लाख 94 हजार डीड के अंदर कितनी महिलाएं हैं, उसका डाटा भी उपलब्ध करवा दूंगा।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरी बहुत सारी ऑब्जैक्शंज हैं, सारी की सारी डिटेल्ड मैं सदन के पटल पर रख देता हूँ। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः मलिक साहब, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है लेकिन इस प्रश्न को प्रश्न ही रहने दीजिए इसे बहस का मुद्दा मत बनाइये। (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने लैवल पर जरूर इसे टेकअप करे। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः मलिक साहब, प्लीज आप बैठ जाइये। (विघ्न)

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या यह कह रही है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मेरा इस बारे में कहना है कि यदि इतना ही महत्वपूर्ण विषय है तो इस विषय को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाये और विस्तार से चर्चा करे, सरकार इस विषय पर चर्चा करने के लिये तैयार है।

———————

To Solve the Problem of Rainy Water Accumulation

***1600. Shri Kuldeep Vats:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that there is a huge problem of rainy water accumulation in villages Desalpur, Bupania, Shahpur, Gangarwa, Surehti, Jagratpur, Khudan, Chhapar, Mundakhera, Silana, Silani, Subana, Ahri, Saundhi, Jaitpur, Neola, Devarkhana, Badhsa and Kasni etc. of Badli Assembly Constituency, due to which all the crops have been damaged; and

(b) if so, the steps taken by the Government to solve the abovesaid problem togetherwith the time by which the said problem is likely to be solved permanently ?

@Chief Minister (Shri Manohar Lal): Yes, Sir. 7 No. schemes amounting to Rs. 2660.17 lacs have now been approved in 53rd meeting of Haryana State Drought Relief and Flood Control Board (HSDR&FCB) held on 24.01.2022 and 1 No. scheme amounting to Rs. 108.58 lacs has been approved under head 'Development of Water Bodies' for providing permanent solution to the problem of rain water accumulation in these villages.

@Replied by the Agriculture and Farmer's Welfare Minister

श्री कुलदीप वत्सः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का इस संबंध में जवाब सुनकर बड़ी हैरानी होती है। एक तरफ तो माननीय मंत्री कहते हैं कि हम किसान के बेटे हैं और दूसरी तरफ इस तरह का जवाब सदन के पटल पर रख रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, 108.58 लाख रुपये में 56 गांवों में कैसे पानी की निकासी हो जायेगी? क्या सरकार के पास कोई जादुई छड़ी है, जिसके सहारे यह काम हो जायेगा? अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का झज्जर जिले के संबंध में जवाब आया है कि 42066 किसान ऐसे हैं, जिनको मुआवजा नहीं दिया गया है। मुआवजा सिर्फ 8720 किसानों को दिया गया है। (विघ्न) दलाल साहब, आप बहुत बोलते हो।

श्री अध्यक्षः वत्स साहब, माननीय मंत्री जी के लिये इस तरह से गलत शब्द का इस्तेमाल न करे। (विघ्न)

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अपना शब्द वापिस लें। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः वत्स साहब, सदन के अंदर बोलने की मर्यादा होती है, इसलिए सभी सदस्यों को हाउस में शालीनता के साथ ही बोलना चाहिए। वत्स जी, माननीय मंत्री जी के लिये इस तरह के शब्द बोलना गलत बात है। (विघ्न)

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मेरे द्वारा दिया उत्तर समझ में ही नहीं आया है। मैं माननीय सदस्य को दोबारा से बताना चाहता हूँ कि 2660.17 लाख रुपये 7 योजनाओं के लिये स्वीकृत किया गया है और इसके अलावा 108.58 लाख रुपये की 1 योजना को 'जलाशयों का विकास' शीर्ष के तहत स्वीकृत किया गया है।

श्री कुलदीप वत्सः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी मेरे हल्के के बारे में बताएं।

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के हल्के के लिये 2660.17 लाख रुपये भी और 108.58 लाख रुपये भी स्वीकृत किये गये हैं। फिर भी माननीय सदस्य के हल्के के एक–एक गांव की रिपोर्ट मैं बता देता हूँ। गांव देसलपुर, बुपनिया व शाहपुर में पाइप लाइन बिछाने के लिये 79.77 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है। गंगरवा गांव जिसमें 50 एकड़ में पानी भरा हुआ था। गांव सुरेहती, सिलाना, सिलानी में 137.17 लाख रुपये मंजूर किये गये हैं। खुदान गांव में 13 करोड़ रुपये की पाइप लाइन बिछाने की मंजूरी दी गई है। छप्पर गांव में 176 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है। सुबाना गांव के लिए 454.74 लाख रुपये और अहरी गांव के लिए 214.12 लाख रुपये की मन्जूरी दी गई है । अतः कुल 2660.17

लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है । इसके अलावा जलाशयों के लिए एक अलग हैड में 108.58 लाख रुपये भी स्वीकृत किये गए हैं ।

श्री कुलदीप वत्सः अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि बुपनिया, जंगड़वा, जगरतपुर, देसलपुर, धाकला, चांदोन, मुंडाखेड़ा आदि गांवों में एक भी फसल नहीं ली जा सकी । मेरा निवेदन है कि इनको मुआवजा दिया जाए । मैं माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय का बयान पढ़ रहा था कि हमने मुआवजा दे दिया है । जिला झज्जर मे केवल 8000 लोगों को फसल का मुआवजा मिला है । बाकी किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है । इसके अलावा मुआवजे की राशि भी किसी की अढ़ाई हजार रुपये है, किसी की 3 हजार रुपये है । अतः मेरा कहना है मुआवजे की इस राशि को भी बढ़ाया जाए । किसान बिल्कुल तबाह हो चुका है क्योंकि उसकी दोनों फसलें खराब हुई हैं ।

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं कि इनके क्षेत्र में बहुत–से भट्ठे हैं । भट्ठा मालिक जमीन को 3–3, 4–4 फुट तक खोद देते हैं और फिर उनका मुआवजा भी सरकार को देना पड़ता है । इसके बाद उस जमीन से पानी की निकासी की बात भी कही जाती है । (विघ्न)

श्री कुलदीप वत्स : अध्यक्ष महोदय, मैंने जिन गांवों का नाम लिया है उनमें से किसी भी गांव में भट्ठे नहीं हैं ।

———————————

To Carpet the Road

***1665. Shri Mewa Singh**: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to carpet the road from G.T road to Babain road in Ladwa Assembly Constituency; and

(b) If so, the time by which it is likely to be carpeted?

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala): (a) No sir.

(b) This part of the question does not arise.

श्री मेवा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय से रिकवैस्ट करूंगा कि हमारे जिले की सड़कों की अनदेखी की जा रही है । कुरूक्षेत्र और यमुनानगर जिले की सड़कों की बहुत दयनीय हालत है । हमारे प्रश्न

के 'हां' में जवाब सुनने के लिए हमारे कान तरस गए हैं । हम जब भी कोई प्रश्न लगाते हैं तो उसका हमें 'ना' में ही जवाब मिलता है । मेरा अनुरोध है कि हमारे प्रश्नों का भी 'हां' में जवाब दिया जाए । कोई चाहे कुरूक्षेत्र जाकर पिपली–यमुनानगर सड़क की हालत देख ले । लाडवा में सड़कों पर सारा दिन जाम लगा रहता है । पिछले 2 सालों से हमारे एक भी काम की 'हां' नहीं की गई है ।

श्री दुष्यन्त चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आज के दिन माननीय सदस्य ने जिस सड़क की बात की है हम उसकी कंडीशन विद इन वन वीक चैक करवा लेंगे । हम अगले एक महीने के अन्दर उसका ट्रैफिक सैंसस करवा लेंगे । उसके बाद देख लेंगे कि उसको वाइडन करने की जरूरत है या स्ट्रैंग्थन करने की जरूरत है । मैं यह आश्वासन देता हूं कि हम अगले डेढ़ महीने में डिटेल्ड रिपोर्ट दे देंगे । मेरे संज्ञान में यह भी आया है कि यह सड़क लास्ट टाइम वर्ष 2016 में रिपेयर हुई थी जोकि 5 साल की डी.एल.पी. को भी पार कर चुकी है । यह मेरी ऐश्योरैंस है कि हम इसको स्ट्रैंग्थन भी करेंगे और इस वित्त वर्ष 2022–2023 में वाइडन करने का भी काम करेंगे ।

To set up a Trauma Centre/100 Bedded Hospital

***1491. Shri Shamesher Singh Gogi:** Will the Health Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up/ establish Trauma Centre/100 Bedded Hospital on the Karnal-Jind National Highway?

Health Minister (Shri Anil Vij) : Sir, there is a proposal under consideration to upgrade the 50 bed Sub Divisional Civil Hospital to 100 Beds Sub Divisional Civil Hospital at Assandh on Karnal-Jind National Highway, wherein the trauma care facilities would also be available.

श्री शमशेर सिंह गोगी: स्पीकर सर, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। यह मेरी बड़ी पुरानी मांग थी और इसके लिए माननीय मंत्री जी ने तीसरे सैशन में जाकर 'हां' भरी है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। इसमें थोड़ा– सी कमी रह गयी है क्योंकि शायद क्वैश्चन लगाने में गलती रह गयी है।

स्पीकर सर, मेरी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से रिकवैस्ट है कि मेरे हल्के में एक पी.एच.सी. जुंडला गांव में नेशनल हाइवे पर है, इसलिए उसको भी सी.एच.सी. में प्रमोट कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त यह भी बताया जाए कि असंध में संबंधित हॉस्पिटल कब तक बनकर तैयार हो जाएगा ? चूंकि वहां पर न तो एक्स–रे की मशीन है और न ही अल्ट्रसाउंड की मशीन है। इसलिए वहां पर बीच–बीच में इस प्रकार की चीजों की व्यवस्था भी करवा दें। माननीय मंत्री जी संबंधित हॉस्पिटल को जल्दी बनवा दें ताकि मैं अगले सैशन में दोबारा से आपका धन्यवाद कर सकूं।

श्री अनिल विज: स्पीकर सर, मैंने पिछले सैशन के दौरान सदन में कहा था कि हम स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए पूरे हरियाणा प्रदेश की मैपिंग करवाएंगे। हमने इसके लिए टैंडर्ज फ्लॉट कर दिए हैं कि पूरे हरियाणा प्रदेश में कहां पर सी.एच.सी. बने, कहां पर पी.एच.सी. बने, कहां पर 100 बैड्स का हॉस्पिटल बने, कहां पर 200 बैड्स का हॉस्पिटल बने, कहां पर 300 बैड्स का हॉस्पिटल बने, कहां पर मेडिकल कॉलेज बने, कहां पर नर्सिंग कॉलेज बने, कहां पर एम.आर.आई. लगे और कहां पर नर्सिंग कॉलेज बने। पहले इनके बारे में कोई स्टडी नहीं होती थी और कहीं पर एम.एल.ए. ज्यादा नजदीकी होता था तो वह अपने क्षेत्र में सभी चीजें बनवा लेता था। हमारी सरकार नीड बेस्ड नहीं बल्कि डिमांड बेस्ड फैसिलिटिज क्रिएट करवा रही है। चूंकि इससे पहले लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। हमने इनकी स्टडी करवाने के लिए टैंडर्ज फ्लॉट कर दिये हैं। आज मैं यहां सदन में आने से पहले संबंधित टैंडर्ज फ्लॉट करके आया हूं। अब किसी के कहने से कोई चीज नहीं बनायी जाएगी। जो टैंडर्ज फ्लॉट किये गये हैं उनकी स्टडी होने के बाद हमारे सामने जो डाटा/रोड मैप आएगा, उसके मुताबिक कार्य किया जाएगा। इसमें कहां पर कितनी पॉप्युलेशन है, कहां पर कितनी डैनसिटी है और कहां पर कितनी दूर लोगों को चलकर जाना पड़ता है, इन सभी चीजों को संबंधित एजेंसी सामने रखकर डाटा तैयार करके देगी। फिर हम प्रदेश के लोगों के लिए मेडिकल फैसिलिटिज तैयार करेंगे। हम उस स्टडी के मुताबिक सभी चीजे करना चाहते हैं ताकि हरियाणा प्रदेश के लोगों को पूरी फैसिलिटिज मिल सकें। स्पीकर सर, हमने इसके लिए टैंडर फ्लॉट कर दिया है और जल्दी ही वह कार्य शुरू हो जाएगा ताकि सभी लोगों को सारी सुविधाएं मिल सकें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है।

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Total Acreage of Agriculture Land in State

***1552. Shri Satya Prakash Jrawta:** Will the Agriculture & Farmers Welfare Minister be please to state-

(a) the total acreage of agriculture land available in the State;

(b) the total number of farmers in the State;

(c) the total number of farmers who belong to the scheduled castes in the State;

(d) the total acreage of agriculture land holding with the faremers of scheduled castes in the State ?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल): महोदय, भू–अभिलेख, हरियाणा के अनुसारः–

(क) राज्य में 89,13,210 एकड़ कृषि भूमि उपलब्ध है।

(ख) राज्य में 16,28,015 किसान हैं।

(ग) राज्य में 24,800 किसान अनुसूचित जाति के हैं।

(घ) राज्य में अनुसूचित जाति के किसानों के पास 89,661 एकड़ कृषि भूमि है।

———————

Details of Revenue In Mcg

***1531. Shri Rakesh Daultabad:** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state-

(a) whether MCG (Municipal Corporation of Gurugram) used its fixed Deposits of over 400 crores for Capital or Operational Expenses in last 2-3 years, rather than using funds from its revenue;

(b) the annual advertisement revenue potential in the MCG (Municipal Corporation of Gurugram) area as per the DPR or survey report or any official data;

(c) the annual property tax revenue potential in the MCG (Municipal Corporation of Gurugram) area as per the DPR or survey report or any official data;

(d) the total annual NRW (Non-Revenue Water) in MCG (Municipal Corporation of Gurugram) area together with the loss of the revenue incurred due to this NRW; and

(e) the category wise details of unrecovered payments of MCG (Municipal Corporation of Gurugram)?

शहरी स्थानीय निकाय एवं आवासीय मंत्री (डॉ0 कमल गुप्ता) : (क) हाँ, श्रीमान जी। एम.सी.जी. (नगर निगम गुरूग्राम) ने वर्ष 2020–21 में पूंजीगत और परिचालन व्यय के लिए सावधि जमा में से 407.00 करोड़ रूपये का उपयोग किया है।

(ख) वर्ष 2022 में एमसीजी द्वारा किए गए एक प्रारंभिक सर्वेक्षण के अनुसार, एमसीजी स्वामित्व की विज्ञापन क्षमता वाली लगभग 6000 निजी और सरकारी स्थलों की पहचान की गई है। इन स्थलों को केवल ई–नीलामी के माध्यम से आवंटित किया जाना है जिस कारण इन स्थलों की विज्ञापन राजस्व क्षमता का सही अनुमान देना मुश्किल है लेकिन प्रारंभिक अनुमान के अनुसार यह लगभग 200.00 करोड़ रूपये प्रति वर्ष होनी चाहिए।

(ग) यह प्रस्तुत किया जाता है कि नए सर्वेक्षण के अनुसार नगरपालिका क्षेत्र में आने वाली संपत्तियों की जिसमें 28.12.2020 को विस्तारित क्षेत्र शामिल नहीं हैं, की वार्षिक संपत्ति कर की राजस्व क्षमता लगभग ₹ 290.00 करोड़ है।

(घ) एमसीजी क्षेत्र में लगभग 70 प्रतिशत जलापूर्ति कनेक्शन बिना मीटर के हैं जिस कारण इन बिना मीटर वाले कनेक्शनों के माध्यम से हो रही पानी की आपूर्ति की मात्रा का पता लगाना मुश्किल है। इसलिए एमसीजी क्षेत्र के एनआरडब्ल्यू (गैर राजस्व जल) का सटीक डेटा उपलब्ध नहीं है।

(ड़) यह प्रस्तुत किया जाता है कि आज तक नगर निगम, गुरुग्राम की कुल वसूली योग्य राशि ₹ 873.93 करोड़ है और श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार हैः–

क्रमांक	विवरण	वसूली योग्य राशि (रुपये करोड़ में)
1	जल और सीवरेज शुल्क।	30.34
2	विज्ञापन फीस एंव शुल्क।	350.00
3	दुकानों का किराया।	4.17
4	संपत्ति कर।	489.42
	कुल	**873.93**

Construction Work of ITI

***1605. Shri Jogi Ram Sihag:** Will the Skill Development & Industrial Training Minister be pleased to state the time by which construction work of the I.T.I. approved in village Badopatti is likely to be started?

कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री (पंडित मूल चन्द शर्मा) : गांव बाडोपट्टी में स्वीकृत किए गए औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान के लिए भूमि का निरीक्षण उपरान्त चयन कर लिया गया है। भूमि के स्थानान्तरण की कार्यवाही की जा रही है। भूमि विभाग के नाम होने उपरान्त इस संस्थान के निर्माण की प्रक्रिया आरम्भ कर दी जाएगी।

————————

To Replace Street Lights

***1775. Smt. Shalley Chaudhary:** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that most of the street lights in Naraingarh city have been out of order; and

(b) if so, the time by which the abovesaid street lights in Naraingarh are likely to be replaced?

शहरी स्थानीय निकाय एवं आवासीय मंत्री (डॉ. कमल गुप्ता) : (क) नहीं श्रीमान। (ख) नगरपालिका, नारायणगढ़ द्वारा स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत और रखरखाव के लिए एक एजेंसी को नियुक्त किया हुआ है। खराब/अनियमित स्ट्रीट लाइट की जानकारी नगरपालिका, नारायणगढ़ के संज्ञान में आने पर एजेंसी के द्वारा 2 दिनों के अन्दर खराब/अनियमित स्ट्रीट लाइट की मरम्मत कर दी जाती है।

————————

To Complete the Work of Drinking Water Supply Pipe Line

***1627. Shri Ghanshyam Saraf:** Will the Chief Minister be pleased to state the time by which the drinking water supply pipe line is likely to be laid down in Rajiv Colony Pipli Wali Colony beyond the railway crossing in Bhiwani?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): श्रीमान जी, भिवानी शहर की राजीव कॉलोनी में पीने के पानी की पाइप लाईन पहले ही बिछाई जा चुकी है। लेकिन पिपली वाली

कालोनी में रेलवे क्रासिंग से बाहर पीने के पानी की पाइप लाईन बिछाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह एक अस्वीकृत/अनाधिकृत कॉलोनी है।

————————

To setup Power Sub-Stations

***1772. Shri Parmod Kumar Vij:** Will the Power Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to setup power sub- stations in Panipat city; if so, the details thereof power setup;

(b) if not, whether any scheme has been formulated by the Government overcome the increasing demand of electricity in view of intense Industrial Development in future;

(c) whether the land has been allotted by the HSVP to set-up power sub stations in Panipat; if so, the details thereof; and

(d) the time which the electricity conductors in Panipat city are likely to be replaced?

बिजली मंत्री (श्री रणजीत सिंह) : (क) एवं ख) हां, श्रीमान। प्रस्तावित नए बिजली सब स्टेशनों का ब्यौरा निम्न प्रकार हैः–

क्र.सं.	सब–स्टेशन का नाम	क्षमता
1.	132 केवी जीआईएस सैक्टर–18, पानीपत	2x40/50 एमवीए
2.	33 केवी सब स्टेशन असन्ध रोड़ पानीपत	2x12.5 एमवीए
3.	33 केवी सब स्टेशन सोंधापुर पानीपत	2x10 एमवीए
4.	33 केवी सब स्टेशन सैक्टर–25 भाग–I, पानीपत	2x12.5 एमवीए
5.	33 केवी सब स्टेशन सनौली रोड़–II पानीपत	1x12.5 एमवीए

(ग) एचएसवीपी ने सैक्टर–18 पानीपत में 132 केवी सबस्टेशन के लिए 1.74 एकड़ भूमि आवंटित की है और सैक्टर–25 (भाग–I) में 33केवी सब स्टेशन के लिए भूमि का आवंटन स्वीकृत किया गया है। 33केवी सब स्टेशन असंध रोड़ के लिए एचएसआईआईडीसी को तथा सोंधापुर और सनौली रोड–II 33केवी सब स्टेशनों में भूमि आवंटित करने के लिए नगर निगम, पानीपत को अनुरोध किया गया है।

(घ) वित्त वर्ष 2021–2022 के दौरान यूएचबीवीएन द्वारा 45.915 किमी लंबे पुराने/छोटे आकार के एसीएसआर कंडक्टर को नए 44.145 किमी एसीएसआर कंडक्टर और 1.190 किमी एलटी/एचटी केबल के साथ बदला गया है। कंडक्टरों/केबलों को बदलने की एक नियमित प्रणाली है जब उनको बदलने की आवश्यकता होती है, उसके अनुसार बदल दिया जाता है।

———————

To Open a PHC

***1745. Shri Ram Karan:** Will the Health Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Primary Health Centre in village Teora of Shahabad Assembly Constituency; if so, the time by which it is likely to be opened?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : नहीं श्रीमान जी।

————————

To Upgrade Hansi Sub-Division as a District

***1518. Shri Ram Kumar Gautam:** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to constitute new districts or administrative units in State; if so, whether Hansi is likely to be upgraded from sub-division to District togetherwith the time by which it is likely to be upgraded ?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): नहीं, श्रीमान् जी।

———————

To take Consent of the MLAs in Connection of Grading the ACRs. of Officers

***1544. Shri Aseem Goel**: Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to take consent of the MLAs in connection of grading the A.C.Rs. of the Government Officers for their work in order to strengthen the Legislature, if so, the details thereof ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : नहीं, श्रीमान जी, ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

To Solve the Problem of Rainy Water Accumulation

***1550. Shri Sombir Sangwan:** Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that there is problem of rainy water accumulation in villages Imlota, Bigowa, Morwala, Bhagwi, Kanheti, Achinatal, Loharwara, Samaspur, Khatiwas, Mirch, Jaishree, Bhageshwari, Ghikada, Charkhi, Pandwan, Birhi Khurd and Barsana of the Dadri Assembly Constituency; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to solve the abovesaid problem togetherwith the details thereof ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): हॉ, श्रीमान जी। इन गांवों में वर्षा जल जमाव की समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए 24.01.2022 को आयोजित हरियाणा राज्य सूखा राहत और बाढ़ नियंत्रण बोर्ड (एचएसडीआर और एफसीबी) की 53वीं बैठक में 934.28 लाख रूपये की लागत की 6 योजनाऐं स्वीकृत की गई है।

———————

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

To construct a buildings of Prarambh State Institute

648. Smt. Geeta Bhukkal: Will the Education Minister, pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a building of Prarambh State Institute of Advanced Studies in Teacher Education, Jhajjar; if so, the time by which the above said building is likely to be constructed?

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) : हां, श्रीमान जी। यह मामला निदेशालय के विचाराधीन है। भवन निर्माण के लिए 10.80 करोड रूपये पहले ही बजट प्रावधान किया जा चुका है। मुख्य वास्तुकार कार्यालय ड्राइंग तैयार करने की प्रक्रिया में है। ड्राइंग तैयार होने उपरान्त् भवन निर्माण के लिए आवश्यक कार्यवाही कर ली जाएगी।

————————

Total Number of Industries Setup In State

699. Shri Abhay Singh Chautala: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) the year wise and district wise details of new industries set up alongwith their investment from the year 2014 till to date in the State; and

(b) the total number of industries closed in the State togetherwith the total number of persons have been provided employment in these industries mentioned in at (a) above from the year 2014 till to date?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : महोदय, (क) वर्ष 2014 से अब तक स्थापित किए गए नए उद्योगों तथा उनके निवेश सहित वर्षवार और जिलेवार विवरण नीचे अनुलग्नक–'क' पर रखा गया है ।

(ख) 2014 से अब तक केवल 02 उद्योग बंद हुए हैं जिसमें 1100 व्यक्तियों को रोजगार मिला था ।

अनुलंग्नक 'क'

राज्य में औद्योगिक इकाईयाँ

कम संख्या	जिला	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
		इकाईयां	निवेश रू0 करोड में	इकाईयां	निवेश रू0 करोड में	इकाईयां	निवेश रू0 करोड में	इकाईयां	निवेश रू0 करोड में	इकाईयां	निवेश रू0 करोड में	इकाईयां	निवेश रू0 करोड में	इकाईयां	निवेश रू0 करोड में	इकाईयां	निवेश रू0 करोड में	इकाईयां	निवेश रू0 करोड में
1	अम्बाला	446	56.98	646	172.14	882	150.70	1363	259.26	1304	134.40	1195	157.56	1094	60.88	1245	32.13		
2	भिवानी	147	206.76	169	38.25	306	58.15	620	205.12	614	26.72	670	81.67	1029	57.81	1473	40.53		
3	बहादुरगढ	118	607.39	158	582.88	234	125.64	343	133.54	400	156.35	449	170.33	132	71.50	121	515.00		
4	चरखी दादरी	33	8.65	43	11.90	95	35.44	165	65.66	134	28.12	130	23.85	90	7.84	82	3.28		
5	फरीदाबाद	482	98.62	753	224.44	665	1079.41	2579	206.20	1332	799.98	1350	253.67	2828	248.44	3131	130.74		
6	फतेहबाद	37	16.97	25	7.00	259	55.79	646	80.64	635	55.48	414	55.26	543	81.73	528	14.20		
7	गुरूग्राम	201	114.10	329	699.32	395	158.47	752	536.13	595	160.71	545	130.94	1626	80.31	558	193.91		
8	हिसार	468	73.04	456	59.17	1058	209.25	1219	152.10	1397	121.99	673	56.14	924	50.76	1615	105.62		
9	जींद	356	39.57	569	52.90	813	84.16	960	151.71	1211	146.16	860	130.39	464	90.21	316	39.06		
10	कैथल	358	39.98	452	49.53	547	70.85	976	127.39	882	103.78	882	105.92	1852	128.65	582	38.04	1	125.00
11	करनाल	705	717.50	1040	184.43	1383	375.41	2002	391.99	2843	324.16	1684	243.79	1372	150.59	1793	47.03		
12	कुरूक्षेत्र	373	50.58	559	58.24	645	79.00	1085	171.21	1049	129.43	888	92.47	1248	36.97	1149	27.91		
13	मेवात	51	20.01	70	12.75	77	11.01	157	22.73	370	554.66	277	17.93	215	56.79	699	21.65		
14	नारनौल	91	14.77	160	19.75	227	50.89	488	65.46	457	61.29	516	60.77	243	55.75	363	24.91		
15	पलवल	175	44.96	248	52.03	369	400.47	509	115.93	617	89.26	447	53.68	1186	90.62	1451	22.73		
16	पंचकूला	16	10.41	65	23.03	131	32.82	238	29.38	461	161.56	594	79.42	687	53.23	853	20.70		
17	पानीपत	726	92.35	1228	189.25	2194	308.02	1872	231.46	1844	167.08	1487	208.36	1708	64.60	1596	74.45		
18	रेवाडी	169	620.05	309	1062.78	403	202.69	772	624.21	1350	457.64	639	1231.40	222	67.37	1164	33.40		
19	रोहतक	241	62.63	341	978.63	475	98.08	793	149.17	1283	157.40	908	121.61	881	121.77	1164	135.44		
20	सिरसा	49	5.50	53	15.25	423	67.45	933	94.02	982	159.20	869	206.39	951	51.61	1233	22.37		
21	सोनीपत	243	297.08	475	488.98	519	380.22	545	332.27	1645	578.58	628	339.94	348	405.13	370	50.84	1	298.00
22	यमुनानगर	1210	194.48	1320	194.42	1101	483.08	1202	254.13	1260	261.20	1004	191.40	750	117.12	1320	43.58		
	कुल संख्या	6695	3392.38	9468	5177.07	13201	4517.00	20219	4399.71	22665	4835.15	17109	4012.89	20393	2149.68	22806	1637.52	2	423.00

Details of Group Housing Residential Colonies

670. Shri Varun Chaudhry: Will the Chief Minister be pleased to state the Legislative Assembly wise details of Group Housing colonies (with area) which have been granted licence by the Government in the State during the last five years?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान जी, पिछले पांच वर्षो में (31.01.2017-28.02.2022) के दौरान ग्रुप हाउसिंग के कुल 10 लाइसेंस सरकार द्वारा 60.95 एकड क्षेत्रफल के लिए गुरूग्राम मानेसर अरबन कॉप्लैक्स 2031 में दिये गए है। इसके अतिरिक्त इस अवधि में अन्य किसी भी शहर में ग्रुप हाउसिंग हेतु कोई भी लाइसेंस नही दिये गए है। उपरोक्त लाइसेंस का ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

क्रम सं0	लाइसेंस नं0 / वर्ष	सैक्टर नं0	क्षेत्रफल (एकड मे)	राजस्व संपदा	विधानसभा क्षेत्र
1	12 / 2018	15	2.38	गुरूग्राम	गुरूग्राम
2	13 / 2018	15	2.36	गुरूग्राम	गुरूग्राम
3	18 / 2018	15	7.47	गुरूग्राम	गुरूग्राम
4	86 / 2019	33	2.12	फाजिलपुर झाडसा	गुरूग्राम
5	50 / 2019	49	5.87	बादशाहपुर	बादशाहपुर
6	58 / 2017	61	10.00	बादशाहपुर	बादशाहपुर
7	16 / 2019	69	7.45	बादशाहपुर	बादशाहपुर
8	14 / 2018	102	17.9	खेडकी माजरा	बादशाहपुर
9	97 / 2021	103	4.18	दौलताबाद	बादशाहपुर
10	99 / 2019	112	1.19	चोमा	बादशाहपुर
	कुल क्षेत्रफल		**60.95**		

Details of Sewerage Water Releasing into Western Yamuna Canal

760. Shri Bishan Lal Saini: Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that huge quantity of sewerage water of Yamuna Nagar city is being released into Western Yamuna Canal near Hamida Head; if so, the details thereof ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : हां, श्रीमान जी। विवरणी सदन के पटल पर रखी गई है।

विवरणी

यह एक तथ्य है कि यमुनानगर शहर के सीवरेज का पानी/अपशिष्टों को हमीदा हेड सहित कुछ स्थानों पर पश्चिमी यमुना नहर में छोड़ा जा रहा है। यमुना प्रदूषण के मुद्दों के लिए श्री पी0 राघवेंद्र राव, अध्यक्ष, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्षता में 10.02.2022 को एक बैठक आयोजित की गई थी। उक्त बैठक में विभिन्न स्थानों पर पश्चिम यमुना नहर (डब्ल्यूजेसी) मेन लाइन लोअर (एमएलएल) में सीवरेज डिस्चार्ज के मामले पर भी चर्चा की गई, जिसमें क्षेत्रीय अधिकारी (Regional Officer), हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रस्तुत किया कि कुछ बिंदु हैं जिनके माध्यम से हमीदा सहित डब्ल्यूजेसी में डिस्चार्ज किया जा रहा है। उपायुक्त, युमना नगर इस मामले में नियमित मासिक बैठकें कर रहें हैं और अब तक 10.53 एमएलडी सीवेज डिस्चार्ज वाले छह स्थानों के उपचार के लिए टैप (Tap) किया गया है और हमीदा हेड के पास की साइट सहित अन्य छह स्थानों के दोहन (Tapping) का कार्य चल रहा है। मुख्य अभियंता, शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने प्रस्तुत किया कि बाकि दोहन (Tapping) का कार्य 31.03.2022 तक पूरा कर लिया जाएगा।

———————

To Start Classes in Unani Medical College

706. Shri Aftab Ahmed: Will the Ayush Minister be pleased to state the time by which the classes are likely to be started in Unani Medical College, Akera (Nuh)?

स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्री (अनिल विज), : श्रीमान जी,

1. राजकीय युनानी चिकित्सा हस्पताल एवं महाविद्यालय, अकेड़ा का निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है और कार्य प्रगति पर है। इसके फरवरी, 2023 तक पूर्ण होने की संभावना है।

2. भारतीय केन्द्रीय चिकित्सा परिषद् (सी0सी0आई0एम0 अब एन0सी0आई0एस0एम0) के मानदंडो अनुसार बैचलर ऑफ यूनानी चिकित्सा एवं सर्जरी–बी0यू0एम0एस0 (कामिले तिब वा जराहत) शुरु करने की अनुमति मांगने के लिए आवेदन जमा करते समय एक पूर्ण विकसित हस्पताल भवन दो वर्ष से क्रियान्वित होना चाहिए।

3. इस दौरान यूनानी हस्पताल के लिए पदों के सृजन एवं स्वीकृति का मामला सरकार के विचाराधीन है।

———

The Update The Ndc Portal

690. Shri Ghanshyam Dass Arora: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the houses constructed in the year 2017 in the approved area are shown as approved on NDC portal but the vacant plot therein are shown as unapproved whereas Khasra no. is approved in Yamuna Nagar Municipal Corporation; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to approve the said unapproved plots togetherwith the details thereof alongwith the time by which the said portal is likely to be updated?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (डा0 कमल गुप्ता) : (क) नहीं, श्रीमान जी। सभी भूखंड चाहे वे निर्मित हों या खाली हों, हरियाणा नगर पालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख–सुंविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत अधिसूचित कॉलोनियों में स्वीकृत माने जाते हैं। उपरोक्त अधिनियम के तहत, अधिसूचना की तिथि से पहले विद्यमान हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवंनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 7(i)के उल्लंघन को हटाया/नियमित माना जाएगा। तथापि, यदि अधिसूचित कॉलोनी में 1000 वर्गमीटर से अधिक आकार के भूखंड को कॉलोनी की अधिसूचना की तिथि के बाद छोटे भूखंडों में विभाजित किया जाता है, तो यह 1975 के अधिनियम की धारा 7(i) का उल्लंघन होगा और इसलिए अस्वीकृत माना जायेगा।

आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराकर एनडीसी पोर्टल पर ही आपत्ति उठाकर सम्पत्ति के आंकड़ों (अस्वीकृत से स्वीकृत सहित) में सुधार का प्रावधान है।

(ख) अधिसूचित कॉलोनियों में स्थित 1000 वर्गमीटर तक के आकार के खाली भूखंडों को मंजूरी देने का कोई प्रस्ताव या आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे एनडीसी पोर्टल पर ही ऐसे भूखंडों को स्वीकृत कराने के लिए आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

इन भूखंडों को मौजूदा नीति के अनुसार भी स्वीकृत भूखंड माना जाता है। 1000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखंड से उप–विभाजित भूखंडों के लिए कॉलोनी की अधिसूचना की तिथि के पश्चात् उप–विभाजित भूखंडों को निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संयोजित किया जाना आवश्यक है।

———————

To Set-up A new 132kV Power House

681. Shri Sita Ram Yadav: Will the Power Minister be pleased to state whether there in any proposal under consideration of the Government to setup a new 132 K.V Power House outside of Kanina city togetherwith the time by which the said Power House is likely to be setup?

बिजली मंत्री (रणजीत सिंह): नहीं, श्रीमान। कनीना शहर के बाहर एक नया 132 के.वी. बिजली घर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

———————

To Construct Four Lane Road

625. Dr. Krishan Lal Middha: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct four lane road from Titram Mor to Hansi via Naguran-Jind road; and

(b) if so, the time by which it is likely to be constructed?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : श्रीमान जी,

(क) हाँ, श्रीमान जी, इस कार्य को हाइब्रिड वार्षिकी मोड (एचएएम) के तहत करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

(ख) इस स्तर पर समय सीमा नहीं दी जा सकती।

———————

To Provide the Status of Mahagram to Villages

619. Shri Induraj Narwal: Will the Development and Panchayats Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that an announcement was made by Hon'ble Deputy Chief Minister to provide the status of Mahagram to the villages having the population of ten thousand in State; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to provide the status of Mahagram to villages having ten thousand population like Kathura, Butana, Baroda, Gangana, Jagsi, Shamri and Mundlana togetherwith the time by which the abovesaid proposal is likely to be materialized?

विकास एवं पंचायत मंत्री (श्री देवेन्द्र सिंह बबली) : श्रीमान जी,

(क) नहीं , हालांकि सरकार द्वारा 2011 की जनगणना के अनुसार, दस हजार या उससे अधिक की आबादी वाले गांव को महाग्राम का दर्जा प्रदान करने के लिए एक योजना आरंभ की गई है।

(ख) नहीं, 2011 की जनगणना के अनुसार, प्रत्येक गांव अर्थात कथुरा (9639), बुटाना खितलान (6065), बुटाना कुंडू (4574), बरोदा थोटां (4157), बरोदा मोड़ (7103), गंगाना (6838), जागसी (7550), शामडी बुरान (2868), शामडी लोचब (2192), शामडी सिसान (3388) और मुंडलाना (8932) की जनसंख्या दस हजार से कम है।

———————————

Number of Complaints Received Through C.M. Window

751. Shri Jagbir Singh Malik: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the department wise number of complaints received by the Government through C.M. window since January, 2019 to January, 2022 alongwith their nature; and

(b) the action taken by the Government on the abovesaid complaints?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान जी, विवरण सदन के पटल पर रखा है।

विवरण

भाग–क

जनवरी, 2019 से जनवरी, 2022 तक सी.एम. विण्डो के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त शिकायतो की विभागवार संख्या तथा इन शिकायतो पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है :–

विभाग का नाम	दिनांक 01.01.2019 से दिनांक 31.01.2022 तक विभागवार सी0एम0 विण्डो के माध्यम से प्राप्त शिकायते। शिकायतो की प्रकृति की सूचि सलंग्न है।	सरकार द्वारा सम्बधित विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर विभागवार निपटाई गई शिकायतों की संख्या तथा सम्बंधित विभागो मे प्रक्रियाधीन शिकायतो की संख्या जिन पर सरकार द्वारा समय–2 पर स्मरण पत्र भेजे जा रहे है।	
	प्राप्त शिकायतो की संख्या	निपटान की गई शिकायतो की संख्या	प्रक्रियाधीन शिकायतो की संख्या
कृषि विभाग	9734	8347	1387
पशुपालन विभाग	844	731	113
पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग।	07	07	0
अभिलेखागार	02	02	0
नागरिक संसाधन सूचना, विभाग (CRID)	762	531	231
नगरिक उड्डयन विभाग	09	01	08
सहकारिता विभाग	2746	2132	614
मुख्य सचिव, कार्यालय	164	93	71
स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा (मौलिक एंव माध्यमिक)	12264	10311	1953
उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा	4541	3546	995
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्राधौगिकी विभाग	43	38	05
रोजगार विभाग	1089	1024	65
पर्यावरण विभाग	1258	1110	148
आबकारी एवं कराधान विभाग	1343	1060	283
वित्त एवं योजना विभाग	384	356	28
मत्स्य पालन विभाग	80	77	03
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग	6438	5837	601
वन/वन्य जीव विभाग	1799	1358	441
प्रशासनिक सुधार	3	3	0
हरियाणा लोक सेवा आयोग	62	55	7
हरियाणा राज भवन	44	27	17

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग	1185	1049	136
स्वास्थ्य सेवाए विभाग	5923	5270	653
गृह विभाग	898	600	298
आवास विभाग	1114	876	238
उद्योग विभाग	1138	923	215
सिचाई विभाग	5280	4766	514
श्रम विभाग	7191	6252	939
चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग	898	624	274
खनन एंव भू–विज्ञान	655	404	251
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग।	361	299	62
पूलिस विभाग	97218	89313	7905
बिजली विभाग	25179	23509	1670
मुद्रण एवं स्टेशनरी विभाग	18	12	06
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	8788	8075	713
जन सम्पर्क विभाग	92	47	45
लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सडके)	3550	3020	530
राजस्व विभाग	10195	8413	1782
ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग	41257	34031	7226
सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण विभाग	90	66	24
विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी विभाग	06	03	03
कौशल विकास एवं ओद्योगिक विभाग।	840	755	85
समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।	7328	6403	925

खेल एवं युवा कल्याण विभाग।	382	345	37
राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा	37	27	10
तकनीकी शिक्षा विभाग	996	936	60
पर्यटन विभाग।	91	53	38
नगर एवं ग्राम आयोजना	7932	5166	2766
परिवहन विभाग	3071	2685	386
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।	21928	15893	6035
चौकसी विभाग।	34	30	04
अनुसूचित जाति एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग	1254	698	556
महिला एवं बाल विकास विभाग	1288	1208	80
कुल	**299833**	**258397**	**41436**

भाग–ख

जिन शिकायतों की अंतिम कार्यवाही रिपोर्ट विभाग से प्राप्त हुई है, उनका निपटान कर दिया गया है और जो शिकायते प्रक्रियाधीन है उनके शीघ्र समाधान हेतु सम्बंधित विभाग को स्मरण पत्र भेजे जाते है। इसके अतिरिक्त गम्भीर प्रकृति की शिकायतों को सी0एम0 विण्डो के कार्य की समीक्षा हेतू समय–समय पर हुई बैठको मे रखा जाता है और जो व्यक्ति दोषी पाए जाते है उनके विरुद्ध सम्बंधित अधिनियम/नियम एवं कानून के अन्तर्गत प्रावधान अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही की जाती है।

The Nature of complaints received at CM Window are of following categories.	
Sr. No.	**Grievance Category**
1	Public Services- Delay
2	Criminal - Quarrel/Theft/Threatening
3	Allegation of Harrassment/Misbehavior
4	Deficiency in services
5	Crime
6	Encrochment
7	Electricity Related issues
8	Allegation of corruption/malpractices
9	General Demand
10	Pension Related
11	Compensation
12	Cheating / Fraud
13	BPL Card/RationCard
14	Financial Assistance/Grant
15	Non payment of Wages
16	Water Supply/Sewerage/Drainage
17	Paving & Repair of roads / streets
18	Intkal
19	Non Disbursement of Pension
20	Non availability of water
21	Crime against Women
22	Electricity/Transformer related
23	Deficiency in Ration Depot
24	Electricity Problem
25	Compensations/Refunds
26	University Functioning Marks/Degrees/Delay in DMC Etc.
27	Below Poverty Line
28	LPG Gas
29	Bus Services
30	Loan/Grant Related Issues
31	Scholarship Related Issues
32	Land Dispute
33	Delay in Medical Reimbursement
34	Delay in decision/implementation of decision
35	Pradhan Mantri Awas Yojana
36	Health Services
37	Retirement dues
38	Demand of Dowary
39	Demarcation
40	General Suggestion
41	Illegal Mining
42	Repair / Construction Of Roads driving Bridges
43	Unauthorized sale of liquor
44	Kidnapping
45	False Allegation
46	Removal of liquor vends
47	Panchayati Raj Institutions
48	Revenue Record Correction - Fardbadar
49	Estate related

58	compensation related issues
59	Complaint Against college Faculty/Teachers
60	Contaminated Water
61	Service matters
62	Water Pollution
63	Non availability of public utilities
64	Pay Fixation
65	Non plying of buses etc.
66	Police Interference
67	DMC/Diploma Certificate Issues
68	Embazellment
69	Regarding Aganwari Centres
70	Accident
71	Absence of Government employees from duty
72	Permission Related
73	BAD Condition of Roads
74	Social Justice and Empowerment
75	Plot related matters
76	Atrocities against minorities
77	Land encroachment / unauthorized construction
78	Regarding education fees
79	Land Dispute
80	Police protection
81	Industrial plot related
82	Devi Rakshak Yojna
83	Voter list
84	Scheduled castes/STs/Backward
85	Policy Matters
86	Damage to Crops
87	Private Colleges Functioning-Fee Pattern Etc
88	Uses of Plastic Carry Bags
89	Damage Cattle Crops / public property by wild animals
90	Complaint Against Employee/Official
91	Social Evils
92	Air Pollution
93	Revenue/Land/Tax
94	Transfers
95	Shortage of Staff/Manpower
96	Damage and menace by stray animals
97	Reservation matter
98	Disaster Management
99	Grant of Mineral Concessions/Dealer License/Stone Crusher License

---

Details of Posts In Education Department

711 Shri Balraj Kundu: Will the Education Minister be pleased to state:

(a) The total number of Primary, Middle, Higher, Senior Secondary Schools in the State togetherwith the total number of sanctioned posts of JBT, TGT, PGT teacher in State alongwith the posts lying vacant;

(b) The total number of sanctioned posts of Chowkidars, Gardeners, and Sweepers (non-teaching staff) in Education Department in State togetherwith the posts lying vacant; and

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to fill up the abovesaid vacant posts; if so, the details thereof?

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) : श्रीमान जी, विवरण विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) राज्य में स्थित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों का विवरण इस प्रकार हैः–

विद्यालयों की संख्या			
विद्यालयों की श्रेणी	**राजकीय**	**प्राईवेट**	**योग**
वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	2159	3429	5588
मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	137	0	137
उच्च विद्यालय	1037	2052	3089
माध्यमिक विद्यालय	2416	3503	5919
प्राथमिक विद्यालय	7252	1217	8469
मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय	1420	0	1420
आरोही विद्यालय	36	0	36
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय	33	0	33
लैबविद्यालय (भिवानी बोर्ड)	1	0	1
केन्द्रीय विद्यालय	0	46	46
सरकारीसहायताप्राप्तविद्यालय	0	211	211
सैनिकविद्यालय	0	2	2
कुल योग	**14491**	**10460**	**24951**

राज्य के राजकीय विद्यालयों में जे.बी.टी./पी.आर.टी., टी.जी.टी. एवं पी.जी.टी. अध्यापकों के स्वीकृत पदों तथा रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार हैः–

स्वीकृत, कार्यरत पदों की स्थिति (22.02.2022) (शेष हरियाणा+ मेवात संवर्ग)						
पदनाम	स्वीकृत पद	आवश्यकता अनुसारपदों की संख्या	कार्यरत(नियमित)	कार्यरत(अतिथि)	कार्यरत(कुल)	आवश्यकताअनुसा ररिक्तियों की संख्या
पी0जी0टी0	40861	40931	24047	1619	25666	15265
टी0जी0टी0	35994	41254	18093	4925	23018	18236
मुख्य अध्यापक	2626	2695	1649	0	1649	1046
जे.बी.टी./ पी0आर.टी.	41485	37918	28399	5590	33989	3929
कुल योग	**120966**	**122798**	**72188**	**12134**	**84322**	**38476**

(ख) राज्य के शिक्षा विभाग में चौकीदार, माली व सफाई कर्मचारियों (नॉन–टीचिंग कर्मचारी) के स्वीकृत पदों तथा रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार हैः–

पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद
चौकीदार	1739	1076	663
माली	1347	768	579
सफाईकर्मचारी	2059	1321	738
कुल योग	**5145**	**3165**	**1980**

(ग) विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पदों को भरने हेतु विभाग द्वारा पहले ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोंग को निम्नानुसार मांग भेजी गई हैः–

पदनाम	मांगपत्र	मांगपत्र की तिथि
पी0जी0टी0	3646 (3331शेष हरियाणा + 315 मेवात)	11.01.2021
टी0जी0टी0	3033 (1935 शेष हरियाणा + 1098 मेवात)	16.02.2022
पी0आर0टी0	952 (मेवात संवर्ग)	07.03.2021

इसके अतिरिक्त सरकार, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से आउटसोर्सिंग के तहत और सेवानिवृत शिक्षकों को नियुक्त करके विभिन्न श्रेणियों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया में है।

———————

To open Para Medical College

659. Shri Subhash Gangoli: Will the Medical Education Minister be pleased to State there is any proposal under consideration of Government to open a Para Medical College in Safidon Assembly Constituency, if so, the time by which it is likely to opened?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री अनिल विज) : नहीं, श्रीमान जी. सफीदों विधानसभा क्षेत्र में पैरामैडिकल महाविद्यालय के खोलने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है।

———————

Special Task Force to Combat the Drug Trafficking and Crime

634. Shri Kuldeep Vats: Will the Home Minister be pleased to state-

(a) whether is a fact that the rate of crime and drug trafficking is increasing day by day in Badli Assembly Constituency as well as in whole State; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to form special task force to combat increasing crime and drug menace in State together with the details thereof?

गृहमन्त्री (श्री अनिल विज) : महोदय, वक्तव्य सदन के सदन के पटल पर रखा जाता है।

वक्तव्य

(क) बादली विधानसभा क्षेत्र और हरियाणा राज्य में अपराध की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत व्यक्तियों, महिलाओं और संपत्ति के खिलाफ अपराध के मामले निर्वाध दर्ज किए जा रहे हैं और उनमें से अधिकांश को ट्रेस कर लिया गया है। स्थानीय एवम् विशेष कानून यथा शस्त्र अधिनियम, मादक द्रव्य एवम् पदार्थ अधिनियम, आबकारी अधिनियम एवम् जुआ अधिनियम तोड़ने वाले अधिकाधिक संख्या में पकड़े जा रहे हैं। हरियाणा राज्य में वर्ष 2019 में 1,37,051, 2020 में 1,28,771 और 2021 में कुल 1,40,420 अभियोग दर्ज किए गए। हरियाणा में क्षेत्रीय पुलिस यूनिटों से एकत्र किए गए अपराध के आंकड़ों में बिजली और पानी के मामले शामिल नहीं हैं। हरियाणा में बिजली और पानी चोरी के 2019 में 29,302, 2020 में 63,624 और 2021 में 65,977 मामले दर्ज थे। बादली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के पुलिस थानों में वर्ष 2019 में 727, 2020 में 780 और 2021 में कुल 1063 अभियोग दर्ज थे। बादली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के पुलिस थानों में नशीले पदार्थों की तस्करी के वर्ष 2019 में 11, 2020 में 10 और 2021 में कुल 25 अभियोग दर्ज किए गए। राज्य में नशीले पदार्थों की तस्करी के वर्ष 2019 में 2677, 2020 में 3059 और 2021 में कुल 2741 अभियोग दर्ज थे।

(ख) संगठित आपराधिक गिरोहों से लड़ने के लिए पुलिस महानिरीक्षक रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में विशेष कार्य बल का गठन किया गया है। मादक पदार्थों के तस्करों से निपटने के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में हरियाणा राज्य मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना की गई है।

Number of Houses Demolition in Khori Village

727. Shri Neeraj Sharma: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the houses of poor in Khori village of Faridabad have been demolished under the orders of the Hon'ble Supreme Court; if so, the total number of houses demolished together with the total number of families rehabilitated; and

(b) the action taken by the Government against the officers of Police Department, Electricity Department, Municipal Corporation and other Administrative Officers who were deputed at the time of construction of above said houses in village Khori togetherwith the details thereof?

शहरी स्थानीय निकाय एवं आवासीय मंत्री (डॉ० कमल गुप्ता) : जी हां, श्रीमान जी,

(क) यह सत्य है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर एस.एल.पी.नंबर 7220–7221/2017 नगर निगम, फरीदाबाद बनाम रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन व सिविल रिटयाचिका संख्या 592/2020–21, दिनांक 07.06.2021 सरिना सरकार एवं अन्य बनाम हरियाणा सरकार में पारित आदेश की अनुपालना में नगर निगम, फरीदाबाद भूमि पर ग्राम लक्करपुर के राजस्व एस्टेट में स्थित खोरी झुग्गीबस्ती में 5,158 घरों/झुग्गीयों सहित लगभग 6,663 अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया था।

सरकार ने इन विस्थापित परिवारों के पुनर्वास हेतु नगर निगम, फरीदाबाद की भूमि पर बैठे खोरी (लक्कड़पुर राजस्व संपदा) झुग्गी निवासियों के लिए 'आवास योजना' को मंजूरी दी। नगर निगम, फरीदाबाद को अंतिम तिथि यानी 15.11.2021 तक कुल 6,092 आवेदन (डुप्लिकेट और तीन प्रतियों सहित) प्राप्त हुए। इन आवेदनों की आवास योजना में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार पात्रता हेतु जांच की जा रही है। अभी तक 1,027 आवेदक योजना के पात्र पाए गएहैं व शेष आवेदनों की जांच प्रक्रिया में है।

पात्र आवेदकों को डबुआ कॉलोनी एवं बापू नगर में जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिन्यूवलमिशन के तहत निर्मित 2,545 ई.डब्ल्यू.एस.आवासों में पुनर्वास दिया जाएगा। नगर निगम, फरीदाबाद ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में यह अन्डर टेकिंग दी है कि ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैटों का कब्जा पात्र आवेदकों को 30.04.2022 तक सौंप दिया जाएगा।

(ख) उक्त नगर निगम, फरीदाबाद की भूमि पर अतिक्रमण बहुत पहले से मौजूद था और नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा समय–समय पर अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई की गई, लेकिन कब्जेदारों/याचिका कर्ताओं के कब्जे के संबंध में 'यथास्थिति' बनाए रखने हेतु समय–समय पर न्यायालयों से आदेश मिलते रहें हैं। नगर निगम, फरीदाबाद ने इन आदेशों के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एसएलपी दायर की और ऊपर बताए गए अवैध अतिक्रमणों को हटा दिया। इसके अतिरिक्त नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों के सभी विभागों को उक्त नगर निगम, फरीदाबाद की भूमि पर अतिक्रमण की अवधि के दौरान तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों के विवरण की मांग की गई, जो अभी भी अपेक्षित है।

———————

To Develop Green Belt

652. Shri Ghanshyam Saraf: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to develop green belt from Basiya Bhawan to M.L. Sharma Hospital in Bhiwani ; and

(b) if so; the time by which it is likely to be developed?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : (क) हाँ श्रीमान जी,

बसिया भवन से एम. एल. षर्मा अस्पताल तक ग्रीन बेल्ट के सुधार अथवा नवीनीकरण का प्रस्ताव है, जिसके लिए 27.70 लाख रुपये का अनुमान अनुमोदित हो चुका है।

(ख) कार्य के आबंटन के बाद, करीब 4 महीने लगेंगे।

———————

Employment Provided through Employment Department

667. Shri SurenderPanwar: Will the Minister of State for Labour and Employment Minister be pleased to state the total number of Youths of Sonipat Assembly Constituency who have been provided employment by the Employment Department in the Private Sector from the year 2019 till to date togtherwith the details thereof?

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (श्री अनूप धानक) : श्रीमान जी, इस बारे कथन सभा के पटल पर रख दिया गया है।

कथन

श्रीमान जी, सोनीपत विधान सभा क्षेत्र के कुल 156 बेरोजगार युवाओं को रोजगार विभाग हरियाणा के प्रयासों से निजी क्षेत्र मेंरोजगार के अवसरों से जोड़ा गया है। जिसका विवरण इस प्रकार है:–

सोनीपतविधानसभा क्षेत्र से निजी क्षेत्र मेंवर्ष 2019 से 28.02.2022 तकउपलब्ध करवाएं गए रोजगार से संबंधितसूचना			
क्र0सं0	एग्रीगेटर/नियोक्ता विवरण	पद कानाम	चयनित आवेदकों की कुल संख्या
1	डेन ब्लॉक ब्रेक्स इंड़िया प्राईवेट लि0, गांव–जोशी चौहान, बहालगढ़, सोनीपत।	हैल्पर	57
		चालक	1
2	कोमबीटिक ग्लोबल कैपलेट प्रा0लि0, एम–15, डी.2–3, इन्डस्ट्री एरिया, सोनीपत।	हैल्पर	16
		कम्पयुटर आपरेटर	4
		पैकर	28
		प्रोडक्शन कैमिस्ट	2
		क्यू0सी0 कैमिस्ट	1
		स्टाफ	9
3	एल.टी. फूड प्रा0 लि0,कुमासपुर	एडमिन एक्जीक्युटिव	1
		कुक	1
		सीनियर मैनेजर	1
		एक्जीक्युटिव प्रोक्योरमैन्ट	1
		सुपरवाईजर	2
4	जैसच इन्डस्ट्रीज लि0	सहायक	2
		इन्जीनियर	1
		लैब सहायक	1
		सुपरवाईजर	1
5	रौलडस ब्रेकिंग प्रा0लि0	टेक्नीशियन	1
		सामान्य टेक्नीशियन	7
6	प्रीनिति कम्पनी, नाथुपुर, सोनीपत।	इलैक्ट्रिशियन	1
		हाउसकीपर	1
		एम.आई.एस. एक्जीक्यूटिव	1
		क्वालिटी चैकर	1
7	हिन्दुस्तान टीनवर्क लि0, धतुरीरोड़, भीगान, सोनीपत	मैनेजमैन्ट ट्रेनी	1
		सिनियर इन्जीनियर	1
		ट्रेनी	3
8	एस.एस.आई.पी.एल. रिटेल लि0, सेरसारोड, कुण्डली, सोनीपत, हरियाणा।	सामान्य वर्कर	4
9	ईजीडे, सै0 14, सोनीपत	टीम मैम्बर	5
10	टोयोस्प्रिंग लि0, सोनीपत	इन्जीनियर	1
कुल			**156**

To Increase the Bus Service

641. Shri Pardeep Chaudhary: Will the Transport Minister be pleased to state whether it is a fact that 5-6 buses of Haryana Roadways were plying previously from Raipur Rani to Ambala Cantt. But now only 2-3 buses are plying; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to increase the bus service of the Haryana Roadways on the said route ?

परिवहन मंत्री (पंडित मूलचन्द शर्मा) : नहीं श्रीमान जी। इस मार्ग पर पिछले कई वर्षों से तीन फेरे बस सेवा संचालित करवाई जा रही हैं, और वो अब भी संचालित है।

———————

Details of the Width of the Road

741. Shri Bharat Bhushan Batra: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) the width of the road and green belt from Mela Ground Chowk, Rohtak-Gohana road up to Makroli toll plaza in accordance with the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Registration of Unregulated Development Act, 1962; and

(b)whether the site plan of the Shanni Mandir situated on the right hand side on the abovesaid road has been approved by the Government, if not, the action taken by the Government to remove the said structure/construction?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यन्त चौटाला): (क) रोहतक की संशोधित मसौदा विकास योजना 2031ए.डी. के अनुसार मेला ग्राउंड चौक से मकरोली टोल प्लाजा तक रोहतक–गोहाना सड़क की चौड़ाई 60 मीटर के साथ–साथ दोनों तरफ 60 मीटर चौड़ी हरित पट्टी है।

(ख) शनि मंदिर नगर निगम रोहतक की विस्तारित सीमा में स्थित है। गोहाना रोड पर शनि मंदिर के निर्माण की योजना को नगर निगम रोहतक द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया था और हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 350ए(2) के तहत ज्ञापन दिनांक 30.11.2015 द्वारा नोटिस दिया गया था। इसके बाद कारण बताओ नोटिस का

अनुपालन न करने के कारण धारा 350ए(बी) इबिड अधिनियम के तहत विध्वंस आदेश जारी किया गया था। तत्पश्चात, उक्त अधिनियम की धारा 350सी इबिड अधिनियम के तहत दिनांक 17.10.2018 को एफ.आई.आर. दर्ज की गई। वर्तमान में मामला कोर्ट केस नं. सीओसीपी–1614–2018 से माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित है। आगे की कार्रवाई माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार की जाएगी।

————————

To Raise and Strengthen River Banks

688. Smt. Renu Bala : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to raise and strengthen the banks of rainy river flowing near the Sadhaura town togetherwith the details thereof ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : नहीं, श्रीमान जी।

————————————

Total Amount Receied Under Haryana Corona Relief Fund

700. Shri Abhay Singh Chautala: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the total amount receied under the during the Corona Epidemk in the State so far, and

(b) the institution wise, head wise and scheme wise detiels of the amount provided from the said refief fund so far?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : हरियाणा कोरोना राहत कोष में 28.02.2022 तक दान के रूप में 318.91 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।

हरियाणा कोरोना राहत कोष में से दिनांक 28.02.2022 तक किए गए व्यय का विवरण निम्नानुसार है :–

Sr. No	Purpose	To whom paid	Amount released (in Crores)
1.	To facilitate the movement of stranded persons	Railway Authorities through Home Department, Haryana	8.22
2.	For procurement of Medical equipment and others	HMSCL Panchkula	41.00
3.	Relief Assistance to unorganised workers	Through CRID Deptt, amount debited through HCRF bank account	35.43
4.	For developing immunity booster and other medicines	National Ayush Mission, Panchkula	1.25

5.	For Distress Ration to CONFED	MD, CONFED, Panchkula	6.53
6.	For Boarding and lodging facilties to Doctors and Para medical staff	Haryana Tourism Corporation, Haryana	20.17
7.	To purchase of Liquid Medical Oxygen (LMO) and other petty expenses	Commissioner FDA, Haryana	5.50
8.	To arrange/hire cryogenic tankers along with contingent expenditure	Transport Commissioner, Haryana, Chd.	5.50
9.	For purchase of Ayurvedic Medicine Coronil by State Ayush Society	State Ayush Society, panchkula	5.23
10.	For Ex-gratia to BPL families	79 Beneficiaries	1.58
11.	For treatment of Covid patient (BPL Families) in Pvt. Hospital	2001 claims	1.05
12.	For 500 bedded makeshift hospitals	DC Panipat	0.24
13	Home Isolation treatment (BPL) @ Rs. 5,000/- each	6938 Beneficiaries	3.47
14	For 500 bedded makeshift hospitals	DC HISAR	0.50
15	To facilitate the movement of stranded persons	Railway Authorities through Home Department, Haryana	0.16
16	For Boarding and lodging facilties to Doctors and Para medical staff	Haryana Tourism Corporation, Haryana	5.98
17	For stay of Hospital Caregivers in Covid-19 duty.	D.C. FARIDABAD	0.38
18	Ex-gratia to various Municipalities *(6 safaikaramcharis)*	Beri, Hansi, Hisar, Ambala, Rohtak	0.60
		TOTAL (in crores)	**142.79**

शेष राशि का उपयोग कोरोना वायरस के संभावित वेरियंटस और महामारी की ऐसी अन्य घटनाओं से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने हेतु स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए किया जाएगा।

———————————

Shifting of low Tension/ High Tension Lines

671 Shri Varun Chaudhry: Will the Power Minister be pleased to state the details of place where low tension/ high tension lines passing over density populated areas and public places have been shifted by the Government during the last two years in the State togetherwith the details of expenditure thereof?

बिजली मंत्री (श्री रणजीत सिंह) : श्रीमान, पॉलिसी के अनुसार, घनी आबादी वाले क्षेत्रों और सार्वजनिक स्थानों से गुजर रही केवल खतरनाक हाई टेंशन (एचटी) लाइनों को स्थानांतरित करने के लिए, हरियाणा डिस्कॉमस (यूएचबीवीएन + डीएचबीवीएन) द्वारा पिछले दो वर्षों में 63.26 करोड़ रूपए की लागत से 2271 खतरनाक हाई टेंशन लाइनों को स्थानांतरित किया गया है। हालांकि, निगम के दिशा–निर्देशों के अनुसार लाभार्थी द्वारा लागत जमा कराने के बाद फील्ड कार्यालयों द्वारा लो टेंशन (एलटी) लाइनों को केस टू केस आधार पर स्थानांतरित किया जाता है। जिला–वार ब्यौरा निम्न प्रकार हैः–

सर्कल का नाम	खतरनाक एचटी लाइनों शिफ्टिंग की प्रगति						
	पूरे किए गए कार्य (लाइनों की संख्या)			कार्य प्रगति पर (लाइनों की संख्या)			उठाया गया कुल खर्च (राषि करोड़ में)
	11 केवी	33 केवी	कुल	11 केवी	33 केवी	कुल	
यूएचबीवीएन							
अम्बाला	0	0	0	0	0	0	0.00
करूक्षेत्र	27	3	30	0	1	1	0.94
कैथल	56	3	59	0	1	1	2.03
करनाल	0	5	5	0	0	0	0.21
यमुनानगर	66	0	66	0	0	0	3.96
पानीपत	0	1	1	0	0	0	0.06
झज्जर	43	4	47	5	1	6	1.77
सोनीपत	104	2	106	5	1	6	1.55
रोहतक	24	0	24	0	0	0	0.79
कुल	**320**	**18**	**338**	**10**	**4**	**14**	**11.31**
डीएचबीवीएन							
फरीदाबाद	187	0	187	0	0	0	1.96
पलवल	348	0	348	0	0	0	16.90
गुरूग्राम–I	485	0	485	0	0	0	6.38
गुरूग्राम–II	0	0	0	0	0	0	0.00
नारनौल	241	0	241	4	0	4	8.73
रेवाड़ी	125	6	131	0	0	0	6.23
भिवानी	58	3	61	0	0	0	2.47
हिसार	49	1	50	0	0	0	1.73
फतेहाबाद	163	0	163	0	0	0	5.03
सिरसा	149	1	150	0	0	0	1.50
जीन्द	116	1	117	0	0	0	1.02
कुल	**1921**	**12**	**1933**	**4**	**0**	**4**	**51.95**
कुल योग (यूएचबीवीएन +डीएचबीवीएन)	**2241**	**30**	**2271**	**14**	**4**	**18**	**63.26**

————————

To Stop Movements of Overloaded Trucks

761. Shri Bishan Lal Saini: Will the Mines & Geology Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the overloaded trucks with mining sand passes from all the villages in Radaur Assembly Constituency and the water seepage from sand is damaging the roads; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to prohibit the movement of said trucks in Radaur Assembly Constituency?

खनन मंत्री (पंडित मूल चंद शर्मा) : (क) महोदय, परिवहन विभाग रेत खनिज ढुलाई सहित अतिभारित वाहनों के चलने की जांच करता है। अतिभारित सामग्री का परिवहन करते पाए जाने वाले वाहनों को जिला परिवहन अधिकारी द्वारा चालान किया जाता है। रेत खनिज का परिवहन करने वाले वाहनों में प्राकृतिक रूप से पानी होता है और वायु प्रदूषण को रोकने के लिए छिड़काव किया जाता है। सड़कों की टूट फूट समय के साथ कई कारकों के आधार पर होती रहती है।

(ख) नहीं, श्रीमान।

To Start Classes in Mewat Model School

707. Shri Aftab Ahmed: Will the Education Minister be pleased to state-

(a) the time by which the classes are likely to be started in newly constructed Mewat Model School, Chilawali, Nuh; and

(b) the name and number of the posts on which staff have been recruited by the Government in the said school togetherwith the details thereof?

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) : श्रीमान जी, (क) मेवात मॉडल स्कूल, चिलांवाली नूहं का भवन एक तरफ की चार दीवारी को छोड़कर पूर्ण हो चुका है। चार दीवारी को बनाने के लिए निविदा दिनांक 16.03.2022 को आमंत्रित की गई है व चार दीवारी का निर्माण कार्य 6 माह में पूर्ण होने की सम्भावना है। इसलिए पी0डब्लयू0डी0 (बी0 एण्ड आर0) विभाग द्वारा स्कूल के भवन का हस्तांतरण शिक्षा विभाग को नही किया गया है। भवन के हस्तांतरण उपरांत कक्षाएं आरम्भ करवा दी जाएंगी।

(ख) भवन के हस्तांतरण उपरांत स्कूल में कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी जाएगी।

———————

Survey of Property Tax

691. Shri Ghanshyam Dass: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the survey of property tax conducted by the Yachi company in Municipal Corporation, Yamunanagar during the year 2018 if very wrong; and

(b) if so, the action taken by the Government in this regard?

शहरी स्थानीय निकाय एवं आवासीय मंत्री (डॉ. कमल गुप्ता) : राज्य में पड़ने वाली नगरपालिकाओं के लिए संपत्ति कर का सर्वेक्षण करने की परियोजना का कार्य मैसर्ज याशी कंसल्टिंग सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड को अलाट किया गया था और परियोजना समझोतों पर दिनांक 13.09.2021 को हस्ताक्षर किए गए थे तथा समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद काम शुरू किया गया था।

संपत्ति के अधिकतम विवरण एकत्रित करने के लिए सभीसंपायों के लिए लगभग 98 क्षेत्र सर्वेक्षण पैरामीटर (अनिवार्य–58 और वैकल्पिक–40)है। पूरे राज्य में एक रूपता बनाए रखने के लिए इन्हें सभी संपत्तियों के लिए एक समान रखा गया था।

साधारण तौर पर की गई नगर निगम, यमुनानगर की सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार सर्वेक्षण के आंकड़ों में केवल 4.95 प्रतिशत विसंगतियां पाई गई।

जा रहे हैं। डाटा को पोर्टल www.pmsharyana.com के माध्यम से भी ऑनलाईन सांझा किया गया था ताकि नागरिक अपनी मूल्यांकन जानकारी की जांच कर सके। इसके अतिरिक्त, वे किसी भी आपत्ति को सम्बन्धित नगर पालिका में ऑफलाईन जमा कर सकते हैं (नगरपालिका कार्यालय में एक डॉपबॉक्स रखा गया है और प्रत्येक नगरपालिका में एक समर्पित हेल्प डेस्क भी कार्यात्मक है) या आपत्तियां ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से www.pmsharyana.com पर भी जमा की जा सकती हैं। नगर निगम, यमुनानगर क्षेत्र में कुल 1,80,668 कर निर्धारण सूचना नोटिस

वितरित किए गए हैं और 12,544 पात्र आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 12,479 आवेदनों का निपटारा कर पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

———————

To Replace the Vacuum Circuit Breakers

682. Shri Sita Ram Yadav: Will the Power Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the vacuum circuit breakers in all the 132KV power houses of Ateli Assembly Constituency has been failed; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to replace the vacuum circuit breakers in abovesaid power houses togetherwith the time by which these are likely to be replaced?

बिजली मंत्री (श्री रणजीत सिंह) : (क) नहीं, श्रीमान। सभी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर (वीसीबी) चालू स्थिति में है। हालांकि, पुराने वैक्यूम सर्किट ब्रेकरों को चरणबद्ध ढ़ंग से बदला जाना है।

(ख) निम्नलिखित वैक्यूम सर्किट ब्रेकरों को बदला गया/बदला जाना हैः–

क्र. सं.	सब–स्टेशन का नाम	विवरण	वीसीबी की संख्या	बदलने की स्थिति
1.	अटेली मण्डी	टी1, 10/16 एमवीए ट्रांसफार्मर	13	25.03.2021 को बदला गया
		टी2, 16/20 एमवीए ट्रांसफार्मर	12	वित्त वर्ष 2022–23 में बदला जाना है
2.	मुंडियाखेड़ा	टी1, 10/16 एमवीए ट्रांसफार्मर	13	27.04.2021 को बदला गया
3.	कनीना	टी2, 10/16 एमवीए ट्रांसफार्मर	9	वित्त वर्ष 2022–23 में बदला जाना है
		टी4, 16/20 एमवीए ट्रांसफार्मर	11	अच्छी स्थिति में

———

To Open a Trauma Centre

626. Dr. Krishan Lal Middha: Will the Health Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Trauma Centre in Jind city; and

(b) if so, the time by which it is likely to be opened?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : नहीं, श्रीमान जी।

———————

To Open the I.M.T.

620. Shri Indu Raj Narwal: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that an announcement was made by the Hon'ble Chief Minister to open the I.M.T. in Baroda Constituency during the bye-election of Baroda Assembly Constituency; and

(b) if so, the present status thereof togetherwith the time by which the aforesaid I.M.T. is likely to be opened?

उप–मुख्यमन्त्री (श्री दुष्यन्त चौटाला) : (क) नहीं श्रीमान् जी।

(ख) आगे किसी कार्रवाई की परिकल्पना नहीं की गई है।

————————

Details of Bus Routes

752. Shri Jagbir Singh Malik: Will the Transport Minister be pleased to state the details of routes and number of buses running to BhagatPhool Singh Mahila University and BPS Mahila Medical College from various places at present togetherwith the Pre-Covid details thereof?

परिवहन मंत्री (पंडित मूलचन्द शर्मा) : श्रीमान् जी, वर्तमान में हरियाणा राज्य परिवहन, सोनीपत द्वारा विभिन्न स्थानों से 06 मार्गों पर 19 फेरे भगतफूल सिंह महिला विश्वविद्यालय तथा भगतफूल सिंह महिला चिकित्सा महाविद्यालय तक संचालित करवाये जा रहे हैं जबकि कोविड–19 से पूर्व 08 मार्गों पर 22 फेरे संचालित करवाये जा रहे थे। मार्गों तथा बसों की संख्या का विवरण निम्नतालिका अनुसार है:

क्र0 सं0	कोविड–19 से पहले विभिन्न स्थानों से पी0जी0आई0 खानपुर तक संचालित बस मार्ग		कोविड–19 के पश्चात् विभिन्न स्थानों से पी0जी0आई0 खानपुर तक संचालित बस मार्ग	
	सोनीपत	खानपुर	सोनीपत	खानपुर
1	07:30बजे	06:40बजे	07:30बजे	06:40बजे
2	08:00बजे	07:15बजे	08:00बजे	07:15बजे
3	08:30बजे	08:00बजे	08:30बजे	08:00बजे
4	09:30बजे	09:00बजे	09:30बजे	09:00बजे

5	10:30बजे	09:30बजे	10:30बजे	09:30बजे
6	11:30बजे	10:00बजे	11:30बजे	10:00बजे
7	12:30बजे	11:00बजे	12:30बजे	11:00बजे
8	13:00बजे	12:00बजे	13:00बजे	12:00बजे
9	14:00बजे	13:00बजे	14:00बजे	13:00बजे
10	15:00बजे	14:00बजे	15:00बजे	14:00बजे
11	15:45बजे	14:30बजे	15:45बजे	14:30बजे
12	16:30बजे	15:30बजे	16:30बजे	15:30बजे
13	17:15बजे	16:30बजे	17:15बजे	16:30बजे
14	18:00बजे	17:00बजे	18:00बजे	17:00बजे
15	राणाखेड़ी 07:00बजे	08:40बजे	राणाखेड़ी 07:00बजे	08:40बजे
16	बुसाना 07:50बजे	09:10बजे	बुसाना 07:50बजे	09:10बजे
17	रिवाड़ा 08:00बजे	09:20बजे	रिवाड़ा 08:00बजे	09:20बजे
18	ज्वाहरा 08:00बजे	09:30बजे	ज्वाहरा 08:00बजे	09:30बजे
19	रोहतक 07:40बजे	09:40बजे	रोहतक 07:40बजे	09:40बजे
20	जीन्द 12:30बजे	13:40बजे	जीन्द–गोहाना–खानपुरमार्गपर (03 फेरे यातायातआय कम आने के कारणबन्दकरदिये गए हैं।)	
21	जीन्द 13:30बजे	15:00बजे		
22	गोहाना 14:30बजे	15:20बजे		

———————————

To Check the Increasing Crime Cases

738. Shri Balraj Kundu: Will the Home Minister be pleased to state-

(a) the reason for which the cases of loot, murder, ransom and robbery are continuously increasing in Meham town togetherwith the reasons for not tracing the said cases;

(b) the steps taken by the Government to check the increasing crime in Meham; and

(c) the total numbers of CCTV cameras installed by the Government to check criminal activities in Meham so far?

गृहमन्त्री (श्री अनिल विज) : श्रीमान् जी, वक्तव्य सदन के पटल पर रखा जाता है।

वक्तव्य

(क) महम कस्बे में अपराध की स्थिति पूर्णतय नियंत्रण में है। पिछले पांच वर्षों में लूट, हत्या, फिरौती और डकैती के अधिकांष मामले सुलझा लिए गए हैं। विवरण इस प्रकार है:

अपराध	2017		2018		2019		2020		2021	
	पंजीकृत	ट्रेस	पंजी कृत	ट्रेस	पंजी कृत	ट्रेस	पंजी कृत	ट्रेस	पंजी कृत	ट्रेस
हत्या	10	08	10	10	05	04	09	08	13	13
फिरौती	01	0	0	0	01	01	0	0	01	0
लूट / डकैती	17	09	09	06	02	02	09	08	06	04

(ख) महम कस्बे में अपराध पर अंकुष लगाने के लिए पुलिस ने अपराध की आशंका वाले इलाकों की पहचान के लिए हॉटस्पॉट विष्लेषण किया है। इसी के अनुरूप पुलिस की तैनाती की गई है। पिछले जघन्य अपराधों के अपराधियों पर पुलिस कड़ी नजर रखे हुए है। पुलिस अपने खुफिया तंत्र को मजबूत करने में लगी है और अपराध नियंत्रण एंव अन्वेषण हेतु अवांछित लोगों की आवा–जाही पर नजर रखने के लिए लोगों से सहयोग ले रही है।

(ग) राज्य सरकार अपराध पर अंकुष लगाने और उसका पता लगाने के उद्वेष्य से पूरे राज्य में कैमरे लगाने की प्रक्रिया में है। इस बीच पुलिस सामुदायिक सहयोग से 22 कैमरे लगा रही है।

———————

To Repair/Reconstruct the Road

660. Shri Subhash Gangoli : Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to repair/re-construct the road from village Kharak Gagar to Kalwa in Safidon Assembly Constituency; if so, the time by which the abovesaid road is likely to be repaired/reconstructed ?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : नहीं श्रीमान् जी। इसलिए कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती है। इस सड़क की कुल लम्बाई 3.15 कि.मी. है, जिसकी पक्की चौड़ाई 3.66 मीटर है। सड़क की मौजूदा आर.ओ.डब्ल्यू. 33 फुट है। सड़क की अन्तिम मरम्मत 11/2019 के दौरान 20 मि.मी. प्रीमिक्स कार्पेट द्वारा की गई थी। सड़क दोष दायित्व अवधि से बाहर है। इस मौसम में भारी बारिश और भारी यातायात के कारण सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। सड़क की स्थिति यातायात योग्य है और नियमित रूप से पैचवर्क के माध्यम से रखरखाव किया जा रहा है। इसके अलावा चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का अनुमान तैयार किया जा रहा है। फण्ड की

उपलब्धता और सरकार की सड़क अनुरक्षण नीति के अनुसार अनुमान सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।

———————

Employment for Youths of State

635. Shri Kuldeep Vats: Will the Minister of State for Labour and Employment be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that the Hon'ble High Court has Stayed the Law of Government to reserve 75 percent seats for local candidates in private sector jobs in State; and

(b) if so, the steps likely to be taken by the Government to provide employment to youth in State?

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (श्री अनूप धानक) : हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार अधिनियम, 2020 के कार्यान्वयन पर माननीय पंजाब एवं हरियाणा, उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 03.02.2022 द्वारा रोक लगा दी थी। हरियाणा सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक एस0एल0पी0 दायर की थी, जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 17.02.2022 द्वारा जारी स्टे को हटा दिया है। वर्तमान में इस अधिनियम के संचालन पर कोई रोक नहीं है। हरियाणा राज्य में इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार प्रदान किया जाएगा।

———————

To Remove the Illegal Construction

728. Shri. Neeraj Sharma: Will the Chief Minister be pleased to state–

(a) the present map of the Delhi-Mumbai-Vadodara Expressway which is likely to be passed from Faridabad bye pass togetherwith the map which was proposed earlier before the present map; and

(b) the present status of removing illegal constructions from Sector 13-14 dividing road (BPTP Chowk) to Sector 8-9 dividing road on the land of HSVP, Faridabad and Irrigation Department togetherwith the time by which these illegal constructions are likely to be removed ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : (क) फरीदाबाद बाईपास डी.एन.डी.–फरीदाबाद–सोहना राष्ट्रीय राजमार्ग (एन.एच.–148एन.ए.) का हिस्सा है। रियायत समझौते के अनुसार फरीदाबाद बाईपास का संरेखण अनुबंध–ए में संलग्न है। हरियाणा सरकार ने एच. एस.वी.पी. के पास पहले से उपलब्ध भूमि एन.एच.ए.आई. को मुफ्त उपलब्ध कराने की सहमति दी थी और 70 मीटर आर.ओ.डब्ल्यू. प्रदान करने के लिए किसी भी अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण की लागत वहन करने की भी सहमति दी थी। प्रस्तावित संरेखण के साथ सीमांकन जारी है और यदि आवश्यक हो तो संरेखण में बदलाव सीमांकन रिपोर्ट के अनुसार किया जाएगा। इसलिए, अंतिम संरेखण अभी तक तैयार नहीं किया गया है और इसे सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया जाएगा।

(ख) एच.एस.वी.पी. ने एच.एस.वी.पी. की भूमि पर अधिकतर अतिक्रमणों को हटा दिया है और शेष अतिक्रमणों को 19.03.2022 तक हटाने के लिए अनुसुचिबद्ध है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की भूमि पर 30.04.2022 तक अतिक्रमण हटा दिया जायेगा।

———————

To Construct Road

653. Shri Ghanshyam Saraf: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a road from Tigrana Mor to N.H.A.I. Bye pass at village Ninan passing near by the village Kaluwas in Bhiwani Assembly Constituency; and

(b) if so; the time by which it is likely to be constructed togetherwith the details thereof?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यन्त चौटाला) : (क) हां श्रीमान् जी।

(ख) यह सड़क एन.एच.ए.आई. द्वारा प्रस्तावित की गई है और एन.एच.ए.आई. भूमि अधिग्रहण करने की प्रक्रिया में है। एन.एच.ए.आई. ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (क) के तहत अधिसूचना शीघ्र ही प्रकाशित की जाएगी। चूंकि भूमि का अधिग्रहण किया जाना बाकी है, इस स्तर पर निर्माण के लिए कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती है।

———————

To Install New Street Lights

668. Shri Surender Panwar: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the work order has been given by the Municipal Corporation to any agency for installing new street lights in Sonipat Assembly Constituency; and

(b) if so, the time by which the installation work of new street lights is likely to be started?

शहरी स्थानीय निकाय एवं आवासीय मंत्री (डॉ0 कमल गुप्ता) : (क) नहीं श्रीमान।

(ख) प्रश्न का यह भाग उपरोक्त (क) भाग के उतर को ध्यान में रखते हुए नहीं उठता है।

———————

To Re-start Ration Card Services

642. Shri Pardeep Chaudhary:
Shri Surender Panwar:
Shri Parmod Kumar Vij: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that the ration cards services on the website of the Food and Supplies Department are lying closed since February, 2021; if so, the timely which the abovesaid services are likely to be re-started?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि राशन कार्डो से सबंधित सेवाएं जो कि सरल पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं, डुप्लिकेट राशन कार्ड जारी करना, राशन कार्ड स्थानांतरण तथा राशन कार्ड निरस्त करना जैसी सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाओं को मास फरवरी, 2021 से परिवार पहचान पत्र ;च्च्व्द्ध डाटाबेस का पी.डी.एस. डाटाबेस से मिलान होने तक बंद किया गया है। मिलान का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है तथा राशन कार्ड से संबधित सेवाएं शीघ्र ही बहाल कर दी जायेगीं।

——————

Details of Mine Allotment

746. Shri Bharat Bhushan Batra: Will the Mines & Geology Minister be Pleased to state-

(a) the details of the terms and conditions in regard to allotment of Dadam mine to the M/S Sunder Marketing Associates and Karamjeet Singh & Company Limited on 03.01.2014;

(b) whether it is a fact that Sunder Marketing Associates has requested on 14.05.2015 to the Chief Minister of Haryana for granting permission to transfer 5l percent share of the KJSL to the Sunder Marketing Associates; if so, the details of the application alongwith the action taken thereof; and

(c) whether it is a fact that an order has been passed by the Hon'ble Supreme Court on 11.08.2017 to forfeit the security amount of Rs. 28.75 crore deposited by the allotee at the time of mining allotment; if so, the action taken by the Government so far?

खनन मंत्री (पंडित मूल चन्द शर्मा): (क) महोदय, डाडम स्टोन खान का खनन पट्टा 03.01.2014 को मैसर्स केजेएसएल–सुंदर (जेवी) के पक्ष में दिया गया था। मैसर्स सुन्दर मार्केटिंग एसोसिऐट्स तथा कर्मजीत सिंह व कम्पनी लिमिटेड उक्त संयुक्त उद्यम में भागीदार थे, आश्य पत्र को डाडम खान के आबंटन के संबंध में सेवा तथा शर्तों का ब्यौरा क्या है; दिनांक 03.01.2014 की प्रति अनुलग्नक 'ए' के रूप में संलग्न है।

(ख) मैसर्स करमजीत सिंह व कंपनी लिमिटेड के स्थान पर किसी अन्य भागीदार को लाने या उन्हें खान चलाने की अनुमति देने के लिए सरकार को दिनांक 14.05.2015 का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था (अनुलग्नक 'बी')। उन्हें मैसर्स करमजीत सिंह व कंपनी लिमिटेड के 51 प्रतिशत भाग के हस्तांतरण द्वारा खान चलाने की अनुमति दी गई थी। (अनुलग्नक 'सी')

(ग) माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 11.08.2017 के आदेश द्वारा मैसर्स सुन्दर मार्केटिंग एसोसिऐट्स की सुरक्षा राशि जब्त कर ली गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार ने रूपये 28.75 करोड़ की राशि जब्त कर ली।

————————

Total Number of Employments under MGNREGA Scheme

701. Shri Abhay Singh Chautala: Will the Development & Panchayats Minister be pleased to state the districtwise number of peoples who sought employment in the State under the MGNREGA Scheme in the year 2021-22 togetherwith the total number of peoples who were provided employment alongwith the total number of days employment has been provided to the abovesaid people?

विकास एवं पंचायत मंत्री (श्री देवेन्द्र सिंह बबली) : श्रीमान जी, वर्ष 2021–22 (28.02.2022 तक) के दौरान मनरेगा योजना के तहत कुल 5,41,336 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया। वर्ष 2021–22 के दौरान रोजगार की मांग करने वाले, रोजगार प्रदान किए गये व्यक्तियों की संख्या व इन व्यक्तियों को कितने दिनों का रोजगार दिया गया, का जिलावार ब्यौरा annexure "A" पर है।

Annexure "A"

Total Number of Employments under MGNREGA Schemes during the year 2021-2022 as on 28.02.2022

(In Nos.)

S No.	Districts	Employment Demanded		Employment Offered		Employment Provided			Average days employement provided per Household
		Household	Persons	Household	Persons	Household	Persons	Total Persondays	
1	AMBALA	5796	7539	5796	7539	4869	6194	169422	35
2	BHIWANI	27363	41623	27363	41623	21703	30974	756348	35
3	CHARKI DADRI	5653	8135	5653	8131	4724	6590	150343	32
4	FARIDABAD	1760	2017	1760	2017	1679	1923	82169	49
5	FATEHABAD	51522	92251	51520	92249	47802	81186	1754173	37
6	GURUGRAM	1956	2152	1954	2150	1862	2033	86221	46
7	HISAR	49148	80676	49147	80674	42667	66087	1419818	33
8	JHAJJAR	8707	12109	8707	12109	7492	10102	273840	37
9	JIND	35282	51960	35275	51936	29743	40953	827968	28
10	KAITHAL	27971	40022	27924	39964	23892	32391	565302	24
11	KARNAL	32387	48628	32385	48626	29810	43735	1050927	35
12	KURUKSHETRA	16459	24969	16459	24967	13926	20228	376232	27

13	MAHENDRAGARH	9601	12860	9599	12858	7557	9795	249063	33
14	MEWAT	71703	78230	71509	78007	52724	56322	2073386	39
15	PALWAL	11386	14938	11225	14735	9197	11903	481159	52
16	PANCHKULA	2879	3544	2879	3544	2632	3191	81027	31
17	PANIPAT	13381	19991	13381	19991	12522	18197	589844	47
18	REWARI	3835	5503	3835	5503	3296	4586	106011	32
19	ROHTAK	15867	23674	15867	23674	13967	20090	581406	42
20	SIRSA	48981	76749	48970	76733	36975	52302	778269	21
21	SONIPAT	11124	15120	11124	15120	9391	12414	393322	42
22	YAMUNANAGAR	8668	12797	8668	12797	7078	10140	264276	37
	Total	**461429**	**675487**	**461000**	**674947**	**385508**	**541336**	**13110526**	**34**

———————————

Number of Loan Melas Organized under Mukhya mantri Antyodya Pariwar Uuthan Yojna

672. Shri Varun Choudhary: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the district wise number of loan melas organized by the government and the expenditure incurred thereon under the Mukhyamantri Antyodya Pariwar Utthan Yojna since the inception of scheme in State;

(b) the district wise number of persons who applied for the loans and number of persons whose loans have been sanctioned so far; and

(c) the amount spent on advertising the scheme within and outside the State since its inception?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): (क) सरकार द्वारा आयोजित अंत्योदय परिवार उत्थान मेलों की जिलेवार संख्या और राज्य में योजना की शुरुआत से अब तक किए गए व्यय का विवरण अनुबंध–**I** में है।

(ख) ऋण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों की जिलेवार संख्या और अब तक स्वीकृत किए गए ऋणों की संख्या का विवरण **अनुबंध–II** में है।

(ग) योजना की स्थापना के बाद से राज्य के भीतर और बाहर इस योजना के विज्ञापन पर **32,34,000/–** रुपये खर्च किए गए हैं।

अनुबन्ध – I

क्र0सं0	जिला	मेला दिवस की कुल संख्या	मेलों पर किया गया खर्च
1	अम्बाला	14	491437/-
2	भिवानी	16	429544/-
3	चरखीदादरी	9	437000/-
4	फरीदाबाद	6	292000/-
5	फतेहाबाद	16	967675/-
6	गुरूग्राम	10	1511461/-
7	हिसार	19	506850/-
8	झज्जर	12	1157831/-
9	जीन्द	18	531804/-
10	कैथल	17	505750/-
11	करनाल	18	1532950/-
12	कुरूक्षेत्र	18	660178/-
13	महेन्द्रगढ़	15	875183/-.
14	नूंह	15	317055/-
15	पलवल	13	724000/-
16	पंचकूला	9	1565209/-

17	पानीपत	14	338855/-
18	रेवाड़ी	12	869091/-
19	रोहतक	9	743372/-
20	सिरसा	17	948220/-
21	सोनीपत	17	550041/-
22	यमुनानगर	17	499483/-

अनुबन्ध – II

क्र0सं0	जिला	ऋण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों की संख्या	व्यक्तियों की कुल संख्या जिनके ऋण स्वीकृत हुए
1	कैथल	2791	199
2	पानीपत	2869	124
3	यमुनानगर	3058	449
4	जीन्द	771	53
5	फरीदाबाद	38	37
6	नूंह	2870	208
7	करनाल	2911	154
8	सोनीपत	533	167
9	कुरूक्षेत्र	2025	214
10	गुरूग्राम	196	92
11	पंचकूला	163	168
12	अम्बाला	695	217
13	भिवानी	841	112
14	चरखीदादरी	464	103
15	फतेहाबाद	1668	172
16	पलवल	841	122
17	झज्जर	362	32
18	रेवाड़ी	810	118
19	हिसार	583	116
20	रोहतक	802	149
21	मेहन्द्रगढ़	1024	206
22	सिरसा	1113	174

To Construct KendriyaVidyalaya

708. Shri Aftab Ahmed: Will the Education Minister be pleased to state-

(a) the present status of the proposed KendriyaVidyalya to be constructed in village Salaheri of district Mewat, Nuh; and

(b) the time by which the said Vidyalya is likely to be constructed?

शिक्षा मंत्री (श्री कंवरपाल): महोदय, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, भारत सरकार ने जिला नूंह में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्ताव को निर्धारित मानदण्डों के अनुसार ही प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है और इसे नियत समय में पुनः प्रस्तुत किया जाएगा।

To Make New Ayushman Cards

692. Shri Ghanshyam Dass: Will the Health Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that Ayushman cards had been made by the Government according to the survey of 2011; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government of make new Ayushman card after making Parivar Pehchaan Patra in State together with the details thereof ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज): (क) जी श्रीमान्। (ख) जी श्रीमान्, इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

———————

उपाध्यक्ष महोदय तथा हरियाणा विधान सभा के सदस्य को जन्मदिन की शुभकामनाएं

श्री अध्यक्षः आज बड़ा ही हर्ष का विषय है कि हरियाणा विधान सभा के उपाध्यक्ष श्री रणवीर गंगवा और श्री प्रदीप चौधरी, विधायक का जन्मदिन है। इस अवसर पर सदन की तरफ से दोनों को बहुत–बहुत हार्दिक बधाई। यह सदन उनके स्वस्थ जीवन, उज्ज्वल भविष्य और दीर्घ आयु की कामना करता है।

————

अनुपस्थिति की संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, नेता प्रतिपक्ष ने मुझे ई–मेल के माध्यम से सूचित किया है कि वे अपने कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण आज दिनांक 04.03.2022 को विधान सभा सत्र की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते।

————

सदन के कार्यक्रम में परिवर्तन

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी के सामने एक विषय रखना चाहता हूं क्योंकि आज अभी हमने गवर्नर एड्रेस के ऊपर चर्चा प्रारम्भ करनी है। हमारे पास 7 तारीख को मिलाकर के कुल समय 160 मिनट्स हैं और उसमें से माननीय मुख्यमंत्री को जवाब देने में लगभग 60 मिनट्स लगेंगे। इस प्रकार हमारे पास 100 मिनट्स केवल चर्चा के लिए हैं। हमारे माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लेने की

इच्छा व्यक्त की है। अगर आप सभी सदन में उपस्थित माननीय सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहते हैं तो क्या सत्र की सिटिंग बढ़ा ली जाये?

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, एक दिन के लिए सत्र की अवधि और बढ़ा दीजिए।

श्री अध्यक्ष : मलिक जी, इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप सभी माननीय सदस्यों की राय हो तो आज की एक और सिटिंग बढ़ा लेते हैं क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर 7 तारीख को जवाब आना है। ये पहले भी बी.ए.सी. की मीटिंग में तय हुआ है इसलिए अगर आप सभी माननीय सदस्यों की राय हो तो आज सत्र की एक सिटिंग और बढ़ा दी जाये।

श्री जगबीर सिंह मलिक : ठीक है जी। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आज सदन की सिटिंग न बढ़ाकर सोमवार के दिन सदन की सिटिंग बढ़ा दी जाये।

श्री अध्यक्षः बहन जी, सत्र की अवधि बढ़ाने के बारे में पहले ही बी.ए.सी. की मीटिंग में तय हो गया था।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मंडे के दिन भी सदन की सिटिंग बढ़ाई जा सकती है।

श्री अध्यक्ष : देखिये, मंडे के दिन तो सदन की सिटिंग नहीं बढ़ाई जा सकती क्योंकि इस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने शाम को जवाब देना है और अगले दिन माननीय मुख्यमंत्री जी बजट प्रस्तुत करेंगे और बी.ए.सी. की मीटिंग में भी दो सिटिंग बढ़ाने बारे डिस्कस हुआ था इसलिए अगर आप सभी माननीय सदस्यों की राय हो तो सदन की सिटिंग बढ़ायें।

श्री बलराज कुंडू : अध्यक्ष महोदय, आज ही सदन की सिटिंग बढ़ाई जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : देखिये सदन की राय यही है कि आज ही सदन की एक और सिटिंग बढ़ाई जाए इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि आज सत्र की दूसरी सिटिंग में जो भी सदस्य माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेना चाहेंगे, वे यहां पर रूकेंगे। (विघ्न) सारे सदन की यही राय है और आप सब चाहते हैं कि आज की दूसरी सिटिंग रखी जाये । दूसरी सिटिंग में जो भी सदस्य राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेना चाहेंगे, वे भाग ले लेंगे।

श्री अध्यक्षः अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल): अध्यक्ष महोदय सारे सदन की इच्छा है कि माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा में सभी सदस्यों को भाग लेने का अवसर मिले इसलिए अध्यक्ष महोदय,

मैं प्रस्ताव करता हूं–

> कि आज सदन की दूसरी बैठक भी बुला ली जाये और आज की पहली बैठक दोपहर 01.30 बजे तक रहेगी और दूसरी बैठक दोपहर 02.30 बजे शुरू होगी और 06.30 बजे स्थगित होगी और आज की दूसरी बैठक में प्रश्न काल नहीं होगा। ?

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

> कि आज सदन की दूसरी बैठक भी बुला ली जाये और आज की पहली बैठक दोपहर 01.30 बजे तक रहेगी और दूसरी बैठक दोपहर 02.30 बजे शुरू होगी और 06.30 बजे स्थगित होगी और आज की दूसरी बैठक में प्रश्न काल नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है–

> कि आज सदन की दूसरी बैठक भी बुला ली जाये और आज की पहली बैठक दोपहर 01.30 बजे तक रहेगी और दूसरी बैठक दोपहर 02.30 बजे शुरू होगी और 06.30 बजे स्थगित होगी और आज की दूसरी बैठक में प्रश्न काल नहीं होगा।

(प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

शून्यकाल में सम्मिलित सदस्यों के नामों के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष: कल 13 सदस्यों ने जीरो आवर में बोलने की इच्छा प्रकट की थी जिनमें से 10 सदस्यों के नाम ड्रा द्वारा निकाले गये हैं । वे नाम है श्री राम कुमार गौतम, श्री मामन खान, डॉ अभय सिंह यादव, श्री प्रवीन डागर, श्री शमशेर सिंह गोगी, श्री भारत भूषण बतरा, श्रीमती किरण चौधरी, श्री प्रमोद कुमार विज, श्री अफताब अहमद, श्री धर्म सिंह छौक्कर । ये दस सदस्य जीरो आवर में भाग लेंगे। (विघ्न) जिनका नाम नहीं आया उनका नाम कल आ जायेंगा। सभी माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि वे जीरो आवर में पांच–पांच मिनट में अपनी बात रखेंगे तभी समय पूरा हो पायेंगा।

————————

शून्यकाल में विभिन्न मामले/मांगें उठाना

श्री अध्यक्षः श्री राम कुमार गौतम जी, आप शून्यकाल में अपनी बात रखें।

श्री राम कुमार गौतम (नारनौंद): अध्यक्ष महोदय, आपने जीरो ऑवर की बहुत अच्छी परंपरा चलाकर बहुत अच्छा फैसला किया है ।(विघ्न) मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। 1971–72 में हम यहां आया करते थे और देखते थे कि एम.एल.ए. होस्टल के सामने गंद फैला पड़ा रहता था और वहां आवारा जानवर घूमते–फिरते रहते थे लेकिन अब वहां बहुत अच्छा पार्क बना दिया गया है जिसके लिए मैं आपका, डिप्टी स्पीकर साहब का और सरकार का धन्यवाद करता हूं। हम सभी एम.एल.एज. और वहां आने जाने वाले इस काम के लिए आपके शुक्रगुजार हैं । वहां महानुभाव नेता सुभाष चंद्र बोस का स्टैच्यू लगाया गया है जिसको देखकर जो असली भारतवासी है उसका दिल खुश हो जाता है। अध्यक्ष महोदय इस काम में आपका और डिप्टी स्पीकर श्री रणवीर गंगवा जी का विशेष रोल है क्योंकि आपने इस काम के लिए इनीशिऐटिव लिया और सरकार का तो इसमें रोल है ही है। अध्यक्ष महोदय पर्सनली तौर पर मैंने अपने हल्के की तीन मांगे रखी थी। उसमें से एक मांग सरकार ने कबूल कर ली है और मसूदपुर डिस्ट्रीब्यूटरी का काम लोहारी राघव में चाजू है और उसके रिहैब्लिटेशन और मॉर्डनाइजेशन का काम भी फोरन शुरू हो जाएगा जिससे अनेकों गांवों को लाभ होगा। इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वो है इसके अतिरिक्त नारनौंद बाईपास रूट नं. 3 और 4 की मांग भी हमारी है। बाईपास और रूट नं. 3 की प्रपोजल नीचे से बनकर यहां सरकार के पास आई हुई है। मुझे विश्वास है कि सरकार इसको जल्द ही मंजूर करवाकर काम शुरू करेगी। रूट नं. 4 पर अभी लोगों की सहमति नहीं बनी है और न ही इसकी प्रपोजल बनी है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सब डिवीजन की मांग को सरकार ने माना है और सब डिवीजन बना भी दिया गया। लेकिन सब डिवीजन, डिवीजनल कोर्ट और कॉम्पलैक्स के बिना अधूरा ही रहता है। मेरी मांग है कि हमारे वहां जल्द ही डिवीजनल कोर्ट और कॉम्पलैक्स की अप्रूवल सरकार देकर वे बनाए। मैं तो कहूंगा कि हर सब डिवीजन में ज्यूडिशियल काम्पलेक्स होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं पंचकुला के सैक्टर 24 व 28 में प्लॉट होल्डर्स से जो इन्हासमैंट ली जा रही है यह विषय मैं पहले भी सदन में उठा चुका हूँ। वहां पर घग्गर नदी के एरिया को मुआवजा दे दिया गया। वहां प्रति प्लॉट होल्डर 25–25 लाख के तौर पर इन्हासमैंट के तौर पर लिए जा रहे हैं और अब तो यह अमाउंट 30 लाख रूपये हो गई है।

इस विषय को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाईकोर्ट के जजिज की एक कमेटी बनाई थी। जिसके माननीय मुख्यमंत्री जी चेयरमैन हैं। मुख्यमंत्री जी आपने ही फैसला किया था कि Cost of this land be provided either by the State Government through Mangal Nagar Vikas Yojna or directed to the HSVP to absorb this cost from its own resources लेकिन इस पर सरकार ने कोई काम नहीं किया। यह बहुत दुख की बात है। अध्यक्ष महोदय यह बहुत जरूरी विषय है और आपके हल्के का भी विषय भी है और लोगो की वाजिब मांग है। वहां लोग कहते हैं कि यह घग्गर के पैसे का लेना देना है। घग्गर नदी में सरकार की जमीन थी और किसी विधायक के कहने पर उस समय के मुख्यमंत्री ने उस जमीन का मुआवजा बांट दिया। उसका एल.ए.ओ. का भी कोई पता नहीं है और जिनको मुआवजा दिया गया था उन लोगों का भी अता–पता नहीं है। मेरी गुजारिश है कि मुख्यमंत्री जी इस पर तुरंत संज्ञान लेकर इस समस्या का समाधान करें। नहीं तो बड़ी दिक्कत की बात होगी। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में संस्कृत टीचर्स व सी एंड वी टीचर्स की केवल यहीं मांग है कि उन्हें टी.जी.टी. के बराबर दर्जा दिया जाये। दूसरे प्रदेशों में संस्कृत टीचर का दर्जा टीजीटी के बराबर ही है लेकिन हरियाणा में ऐसा नहीं है। इसके अतिरिक्त 15 साल से संस्कृत टीचर नौकरी भी नहीं निकाली गई है। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। मेरी गुजारिश है कि संस्कृत भाषा को इज्जत देनी चाहिए। आज उनकी भर्ती नहीं हुई है जल्द ही भर्ती की डिमांड भेजी जानी चाहिए और उनको प्रमोशन भी देनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : गौतम जी, आपको बोलते हुए 5 मिनट का समय हो गया है। आपका समय खत्म हो गया। प्लीज आप बैठे। आप गर्वनर एड्रेस पर बोल लेना।

श्री रामकुमार गौतमः अध्यक्ष महोदय, यह तो बहुत कम टाईम मुझे दिया गया है। अभी तो मैने बहुत से मुद्दे उठाने थे। मुझे गर्वनर एड्रेस पर बोलते हुए पूरा टाईम देना।

श्री मामन खान (फिरोजपुर झिरका): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। मेवात क्षेत्र बहुत ही बैकवर्ड एरिया है। जिसकी बहुत सालों से अनदेखी होती आ रही है। प्रदेश के 21 जिलों से ज्यादा समस्याएं केवल नूंह जिले में हैं। स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विधायकों को 5 करोड़ रूपये विकास कार्यो के लिए एनाउसं किये थे। वह पैसा आज तक नूंह जिले में नहीं पहुंचा है। उन पैसों को जल्द से जल्द वहां पहुचाकर कार्य किये जाएं ताकि

वहां के गांवों में विकास हो सके। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से जल जीवन मिशन और जगमग योजना दो स्कीम भारत सरकार और प्रदेश सरकार की चल रही हैं। इन स्कीमों के लाभ में भी मेवात सबसे पीछे है। मेवात में बहुत सी ढ़ाणियों आज भी हैं जहां पर एग्रीकल्चर फीडर से घर की लाइट यूज करनी पड़ रही है और लोग केवल 8 घन्टे बिजली में रहने को मजबूर हैं। यदि वहां डोमेस्टिक लाइट उपलब्ध करवा दी जाये तो वहां के लोगों को बहुत सुविधा होगी। सरकार इस विषय पर विशेष संज्ञान ले। अध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2017 में 273 करोड़ रूपये का बजट 80 गावों के लिए अप्रूव किया था। उसका कम्पलीशन 2020 में मिलना था मगर आज तक वह प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है। प्रत्येक गांव में एक साल में 4–4 लाख रूपये का पीने का पानी लोग परचेज करते हैं। यदि 2 साल पहले यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाता तो लोगों के करोड़ों रूपये बचाए जा सकते थे। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में भी मेवात क्षेत्र में बहुत समस्या है। हाउस में मैं यह विषय दो–तीन बार रख चुका हूँ। मगर इस पर सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। मेवात में आज भी 110 स्कूलों में टीचर नहीं है और 80 स्कूल एक टीचर के माध्यम से वहां चल रहे हैं । शिक्षा मंत्री जी के कमरे में मेवात के हम तीनों विधायकों की मीटिंग हुई थी जो टी.जी.टी., पी.जी.टी. टीचर्ज ने एचस्टैट, सीस्टैट का टेस्ट पास किया हुआ है। वहां उर्दू के टीचर भी बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय कोर्ट का आदेश आया था कि 60 उर्दू के टीचर्ज को भी ज्वाइन करवाया जाये, वे भी अभी तक ज्वाइन नहीं करवाये गये हैं। इस विषय को सरकार अपने संज्ञान में ले। अध्यक्ष महोदय, हमारी मांग थी कि नगीना कॉलेज में एम.डी. यूनिवर्सिटी का रिजनल सैन्टर खोला जाए। हमने वहां पर यूनिवर्सिटी बनाने की बात भी उठाई थी जिसकी फिजीबल रिपोर्ट भी दे दी गई थी, लेकिन सरकार इस पर गम्भीर नहीं है। मेरी दरखास्त है कि सरकार इसको गम्भीरता से ले। अध्यक्ष महोदय, मेवात में बरसात के कारण 30 हजार एकड़ में जलभराव के कारण फसल खराब हो गई थी। इन किसानों की सरकार को चिन्ता करनी चाहिए और पूरा मुआवजा दिया जाना चाहिए तथा वहां जो पानी भरा हुआ है उसका समाधान करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिन पहले राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों की ओल्ड पैट्रन पर पेंशन की बहाली की है। मेरी मुख्यमंत्री जी से गुजारिश है कि हरियाणा में भी राजस्थान सरकार की तर्ज पर पेंशन की बहाली की जाये ताकि उनके परिवार के लोग भी खुशहाल हो जायें और सरकार का धन्यवाद

भी करेंगें। अध्यक्ष महोदय, गुड़गांव कैनाल से मेवात में पानी आता है। वह बिल्कुल काला पानी आता है। जिससे कैंसर जैसी गम्भीर बीमारी हो जाती है। खेतों में वहीं पानी लगता है। इस पर भी सरकार संज्ञान ले। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह वहां पर रोड्ज की हालत ठीक नहीं है, इस पर भी सरकार संज्ञान ले। मेरे हल्के में सिसोना, शाटा वाड़ी, रावली आदि गावं की कलवर्ट बननी हैं वे भी नहीं बनाई गई हैं। इन पर भी सरकार संज्ञान ले । अध्यक्ष महोदय, इसके आलाव मेवात में गांजा का नशा बहुत बिकता है उसकी रोक थाम के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए।

डॉ. अभय सिंह यादव (नांगल चौधरी): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप–मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करना चाहता हूं, हालांकि वे यहां पर बैठे हुए नहीं है लेकिन मेरी गुजारिश उन्हीं से है क्योंकि यह मामला फसलों के नुकसान के मुआवजे से संबंधित है। अभी महेन्द्रगढ़ जिले के कई गांवों में ओलावृष्टि हुई थी और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार ने ओलावृष्टि से हुए नुकसान के लिए स्पेशल गिरदावरी के आदेश दे दिये होंगे। मेरा आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि स्पेशल गिरदावरी करवा कर फसलों के हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाये। पिछले साल का एक ऐसा अनुभव रहा है कि लोगों में बहुत नाराजगी है। उस समय कपास की फसल में रोग के कारण नुकसान हुआ था और सरकार की तरफ से कई जिलों में उसका मुआवजा दिया गया था लेकिन महेन्द्रगढ़ जिले में खराब हुई फसलों का मुआवजा नहीं दिया गया। अध्यक्ष महोदय, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि रोग किसी जिले की बाउंड्री नहीं देखता है। अगर दादरी जिले के एक गांव में मुआवजा दिया गया लेकिन उसके साथ लगते महेन्द्रगढ़ जिले के गांव में उतना ही नुकसान हुआ है लेकिन मुआवजा नहीं दिया गया इसलिए लोगों में नाराजगी है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि इस बार खराब फसलों की स्पेशल गिरदावरी करवा कर इस बात का ध्यान रखा जाये कि पिछली बार की तरह महेन्द्रगढ़ जिले को छोड़ न दिया जाये। जिला प्रशासन ने हमसे कहा था कि हम स्पेशल गिरदावरी करवा रहे हैं लेकिन बाद में बताया गया कि सरकार ने स्पेशल गिरदावरी के आदेश नहीं दिये हैं। इसलिए इस विषय को देखा जाये और पिछली बार जो हुआ है उसको न दोहराया जाये तथा महेन्द्रगढ़ जिले के किसानों को उनकी खराब फसल का मुआवजा दिया जाये। मेरा दूसरा सुझाव यह है कि अक्सर ऐसा होता है कि जब भी कोई नई रिक्रूटमैंट होती है तो हमारे जिले

महेन्द्रगढ़ से जितने भी बच्चे भर्ती होते हैं उनको ज्यादातर मेवात कैडर में भेज दिया जाता है। एक बार मेवात कैडर में जब वे ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके बाद वहां से सालों–साल तबादला नहीं होता है। इस बारे में मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि इसके लिए एक पॉलिसी बना कर एक टर्म फिक्स कर दी जाये जिसमें हर जिले से 2 साल या 3 साल के लिए कर्मचारी को मेवात कैडर में भेजा जाए। उसके बाद उनको वापिस भेज दिया जाये तथा दूसरे जिले से कर्मचारी मेवात कैडर में भेज दिये जायें। इससे किसी एक जिले के कर्मचारियों को नहीं भुगतना पड़ेगा। मेरा तीसरा सुझाव यह है कि हमारे यहां फ्रेट कोरीडोर पर एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब 1200 एकड़ में बन रहा है। इस बारे में मेरा सरकार से निवेदन है कि लॉजिस्टिक के साथ–साथ इंडस्ट्रीज भी बहुत अच्छा स्कोप है क्योंकि वहां से नैशनल हाइवे का नैटवर्क बना हुआ है। हमारे महेन्द्रगढ़ जिले में तीन–तीन नैशनल हाईवेज बीचों–बीच जा रहे हैं तथा रेलवे का फ्रेट कोरीडोर भी जा रहा है। इस प्रकार से बहुत अच्छी कनैक्टिविटी है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वहां पर एक इंडस्ट्रियल हब भी स्थापित किया जाए ताकि महेन्द्रगढ़ जिले में इंडस्ट्रीज विकसित हो सकें तथा वहां के लोगों को रोजगार मिल सके। यही तीन बातें मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता था। धन्यवाद।

श्री प्रवीण डागर (हथीन): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्यकाल पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। मैं अपने हथीन विधान सभा क्षेत्र की कुछ बातें आपके माध्यम से सरकार के सामने रखना चाहता हूं। मेरी पहली मांग यह है कि पलवल जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाये क्योंकि वहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं का बहुत अभाव है। हमारे क्षेत्र में इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। कैंसर जैसी बीमारी के लिए कोई सुविधा नहीं है अगर किसी को जरूरत पड़ जाती है तो ईलाज के लिए फरीदाबाद और दिल्ली जाना पड़ता है जिसके कारण सड़क पर यातायात का बहुत दबाव रहता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि वहां पर एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाये। एक मांग मैंने पिछले सत्र में भी उठाई थी कि हथीन बाई पास का निर्माण करवाया जाये। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप–मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हथीन का बाई पास 4.5 किलोमीटर का पास हो गया है और लगभग 2.5 किलोमीटर की परिधि बाकी है। मेरा आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री जी

से निवेदन है कि इस बाई पास को भी पूरा किया जाये जिससे हमारे हथीन के आसपास के गांवों को इस पुरानी समस्या से निजात मिल सके। इसी प्रकार से हथीन नगरपालिका के पास अपनी आय के कोई संसाधन नहीं हैं जिसके कारण हथीन में कोई विकास नहीं हो रहा है। पिछली सरकारों ने भी हथीन की उपेक्षा की है। वहां सीवरेज और पीने के पानी की समस्या है इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि हथीन नगरपालिका के लिए कम से कम 10 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया जाये जिससे सीवरेज और पीने के पानी की समस्या से निजात मिल सके। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि हमारे हथीन क्षेत्र के लगभग 25–30 गांवों में सेम की बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से इस समस्या के निदान के लिए एक पॉयलेट प्रोजैक्ट शुरू हुआ है, जिसके तहत हमारे क्षेत्र में लगभग 25 ट्यूबवैल्स लगाए गये हैं और उन ट्यूबवैल्स के लगने से लगभग 800–1000 एकड़ जमीन में सुधार हुआ है जिसमें आज फसल खड़ी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे 30 गांवों की लगभग 6 हजार एकड़ जमीन आज भी सेम की समस्या से पीड़ित है और वहां के किसान आज भूखमरी की कगार पर हैं। उन किसानों ने पिछले 25 वर्षों से अन्न नहीं देखा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वहां पर लगभग 100 ट्यूबवैल्स और लगाए जाएं ताकि वहां के किसानों की जमीन में भी सुधार आ सके और किसानों की आय का साधन बन सके। इसके साथ–साथ दिल्ली–बड़ोदरा–मुम्बई एक्सप्रैस–वे के आस–पास एक आई.एम.टी. की स्थापना भी की जाए क्योंकि हमारा हथीन क्षेत्र पिछड़ा हुआ इलाका है। वहां बेरोजगारी की भी बहुत बड़ी समस्या है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे वहां पर एक आई.एम.टी. की स्थापना की जाए ताकि बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। इसी के साथ किसानों को खेतों के ट्यूबवैल्स के लिए आठ घंटे बिजली मिल रही है जोकि ना काफी है। मेरा अनुरोध है कि हमारे किसानों को लगातार लगभग 10 घंटे खेतों के ट्यूबवैल्स के लिए बिजली दी जाए ताकि किसानों को लगातार ट्यूबवैल्स चलने से फसल में जल भराई का फायदा मिल सके। इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बिजली में जो बार–बार फाल्ट होता है उससे किसानों को रात भर जागना पड़ता है और किसान परेशान भी होता है इसलिए अध्यक्ष महोदय, किसानों को खेतों के ट्यूबवैल्स

के लिए जो 8 घंटे बिजली की सप्लाई दी जा रही है उसको लगातार 10 घंटे किया जाए। अध्यक्ष महोदय, नूहं व मोरनी में जिस तरह गैस्ट टीचर्स को सरकार ने जो 10 हजार रुपये अतिरिक्त मानदेय देने के आदेश दिये हैं उसी तरह मैं चाहूंगा कि हथीन डिवीजन में भी गैस्ट टीचर्स को 10 हजार रुपये अतिरिक्त मानदेय दिया जाए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हथीन में शिक्षकों के अत्यधिक पद खाली पड़े हुए हैं जिससे वहां के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है इसलिए वहां पर शिक्षकों की व्यवस्था की जाए और वहां गैस्ट टीचर्स को 10 हजार रुपये अतिरिक्त मानदेय भी दिया जाए। धन्यवाद।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, सभी विधायक अपने–अपने हल्कों की समस्याएं रख रहे हैं लेकिन उनको नोट करने के लिए कोई अधिकारी यहां मौजूद ही नहीं हैं। फिर यहां अपने हल्के की समस्याएं रखने का क्या फायदा।

डॉ. कमल गुप्ता : मलिक साहब, यहां सारी चीजें नोट हो रही हैं।

श्री शमशेर सिंह गोगी (असंध): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। स्पीकर सर, यहां सुनने वाला तो कोई है नहीं लेकिन फिर भी सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि असंध के अन्दर न तहसीलदार है, न नायब तहसीलदार है। वहां ये दोनों पद खाली पड़े हुए हैं। इस संबंध में मैंने सी.एम. साहब को फोन करके भी कहा था कि आप तहसीलदार व नायब तहसीलदार में से किसी एक को तो यहां भेज दीजिए क्योंकि वहां की जनता इन पदों को भरवाने के लिए मेरे पीछे–पीछे घूम रही है और अब यहां भी आने वाली है। पिछले सैशन में हमें असंध में हड्डोरोड़ा का आश्वासन मिला था। उसके लिए चिट्ठी लिखता है ऐनीमल हस्बैंडरी विभाग और जवाब देता है लोकल बोडीज विभाग लेकिन अभी तक कोई प्रपोजल नहीं आया है। यहां पिछले सैशन में आश्वासन दिया गया था कि हम अगले साल इसको बना देंगे। इसके साथ ही हमारे वहां पर आंगनवाड़ी वर्कर्स कई दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं और मुख्यमंत्री जी ने उनको जुबान दी है और मुख्यमंत्री जी की जुबान पूरे हरियाणा स्टेट की जुबान है। वह जुबान नहीं कटनी चाहिए क्योंकि उन गरीब आदमियों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान होना चाहिए। एक पुलिस में जो एस.पी.ओ. भर्ती किए जाते हैं उनको भी सिपाही का दर्जा दिया जाना चाहिए। इनको न तो कोई ट्रेनिंग देनी पड़ती है और ये अपना काम भी बखूबी ढंग से करते है। इसकी तरफ भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन में एक अतारांकित

प्रश्न लगाया था जिसका मुझे गलत जवाब दिया गया। मैंने अपने 30.7.2020 के लैटर के माध्यम से भ्रष्टाचार की इंक्वायॅरी करवाने के बारे में लिखा था लेकिन मुझे एक बहुत बड़ी लिस्ट पकड़ा दी गई है जिससे लगता है कि मेरे लैटर को ठीक से नहीं पढ़ा गया है जिसकी वजह से मुझे गलत जानकारी दी गई है। इस तरफ भी संज्ञान लेने की बहुत जरूरत है क्योंकि जिस प्रकार की लिस्ट मुझे दी गई है, ऐसी जानकारी तो मेरे पास पहले से ही थी और मुझे पता भी है कि हकीकत में क्या हुआ है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं सदन के माध्यम से सरकार से यह भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सरकार को बुढ़ापा पैंशन नहीं काटनी चाहिए। यह सरकार जहां एक तरफ कर्मचारियों की ओल्ड पैंशन स्कीम को लागू करने का काम नहीं कर रही है वही दूसरी तरफ बुजुर्गों की बुढ़ापा पैंशन काटकर उनके बुढ़ापे को खराब करने का काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, बूढ़े तो सबको होना है। बुढ़ापे में जो यह 2000 रूपये की पैंशन मिलती है इससे बुजुर्गों की घर में इज्जत बनी रहती है। वे इस पैसे से साग–सब्जी ले आते है। अपने पोते–पोती को टॉफी दिला देते हैं। जिससे परिवार में उनकी अहमियत बनी रहती है। अतः मेरा निवेदन है कि सरकार को इस दिशा में भी संज्ञान लेने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां एक सब्जी मंडी है जिसकी वजह से अंसंध में बहुत गंदगी फैल जाती है। मेरा निवेदन है कि इसको जल्द से जल्द ट्रांसफर करने का काम किया जाये। वैसे इसका प्रोसैस तो चल रहा है लेकिन यह प्रोसैस बहुत धीमा है। अतः अनुरोध है कि इसको जल्दी से ट्रांसफर करने का काम किया जाये ताकि वहां सफाई हो जाये और जो हमारी जनता है वह बीमारियों से बच सके। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां अनाज मंडी के अंदर अगर थोड़ी सी भी बरसात हो जाती है तो पानी भर जाता है। यहां पर सीवरेज नहीं है। अतः आज सदन के माध्यम से मैं अनुरोध करता हूँ कि यहां पर जल्द से जल्द सीवरेज लाइन डाली जायें। इसके अतिरिक्त मैंने मुख्यमंत्री जी को एक लैटर लिखकर एक रिक्वैस्ट की थी कि असंध की म्युनिसिपल कमेटी के अंदर बहुत सारी जो अनअथोराइज्ड कालोनियां है, उनको अथोराइज्ड किया जाये। पहले यह कालोनियां बीच में आती थी लेकिन अब चूंकि यहां पर बाई पास बन गया है, अतः ऐसी अवस्था में अगर इनको अथोराइज किया जायेगा तो यहां पर सीवरेज, पानी और बिजली की सुविधा सुलभ हो जायेगी। इन कालोनियों से जहां प्रदेश के लिए रेवेन्यू प्राप्त होगा वहीं इन कालोनियों में रहने वाले लोगों की भी डिवैल्पमैंट हो सकेगी। अध्यक्ष महोदय, अब मैं एक बहुत ही सीरियस बात बता रहा

हूँ। किसान क्रेडिट कार्ड से जो लोन मिलता है, उसकी ब्याज दर आटोमोबाइल के कमर्शियल वाहनों पर लगने वाले ब्याज से भी ज्यादा है। यही नहीं पहले जहां लोन लेने के लिए सिर्फ 100 रूपये का स्टॉम्प लगा करता था वहां अब 2000 रूपये का स्टॉम्प लगने लग गया है। बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां खरीदते हैं या कमर्शियल गाड़ियां खरीदते हैं तो उनकी ब्याज दर 8 परसैंट है लेकिन यहां 13 परसैंट के हिसाब से ब्याज दर लगाई जाती है। अतः मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि सरकार को किसानों के उपर थोड़ी दया कर देनी चाहिए। अगर थोड़ी दया कर दी जायेगी तो खाने के लिए दाने अच्छे मिल जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, अब मैं एक दूसरे विषय को सरकार के संज्ञान में लाना चाहूंगा। बी.बी.एम. बी. में हरियाणा के नुमाइंदों को हटाने का काम किया जा रहा है जोकि सीधे–सीधे हमारे फैडरल सिस्टम पर अटैक है। अतः मेरा निवेदन है कि सरकार को इस तरफ भी संज्ञान लेने की जरूरत है और सदन के माध्यम से एक ऐसा रेजोल्यूशन पास करना चाहिए कि हमारा अधिकार वहां से न छिन पाये। हमारा यहां पर प्रतिनिधित्व है इसलिए हमारे को सस्ती बिजली मिलती है अगर यह प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा तो फिर बिजली के रेट यू.पी. के बराबर हो जायेंगे और इस तरह नया स्यापा खड़ा हो जायेगा। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि कोई भी काम करना हो तो उसको पोजिटिव वे में करना चाहिए और हां भरने से पहले सब कुछ सोच लेना चाहिए इसीलिए यह जो बार बार करनाल में जाम लगने की दिक्कत आती है, उसकी मुख्य वजह मुख्यमंत्री द्वारा विभिन कामों की हां भरना है जिनके पूरा न होने पर जनता रास्ते जाम कर देती है। मुख्यमंत्री जी तो चंडीगढ़ में आ जाते हैं लेकिन हमारी गाड़ियां यहां पर फस जाती है। अतः सरकार को इस तरफ भी संज्ञान लेने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री भारत भूषण बतरा (रोहतक): स्पीकर सर, पूरे प्रदेश में 2000 गैस्ट टीचर्ज की संख्या हैं। गैस्ट टीचर्ज की प्राब्लम के संदर्भ में एक कमेटी की फोरमेशन भी हुई थी। गैस्ट टीचर्ज को इतने साल नौकरी करने के बाद यदि हटाया जायेगा तो यह बहुत गलत बात होगी। नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है। it will amount to the economic death of the person who have already serving for the last ten years तो इसके लिए सरकार को एक बढ़िया पॉलिसी बनाने की जरूरत है। इसी प्रकार स्टेट के अंदर जो क्लर्क हैं उनकी सबसे कम तनख्वाह है लेकिन

इनको कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। These clerks have made many representations to the Chief Minister and to the Chief Secretary also. स्पीकर सर, क्लर्क की 19900 रूपये बेसिक पे है जबकि जे.बी.टी. टीचर्ज की जो तनख्वाह है वह 35000 रूपये है this is only one thing. अब मैं पॉलिटेक्निक कालेजिज के विषय पर बात करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, गवर्नमैंट पॉलिटेक्निक कॉलेजिज का तो बहुत बुरा हाल है। प्रदेश के अंदर 26 गवर्नमैंट पॉलिटेक्निक कॉलेजिज हैं, जिसमें केवल 7 कॉलेजिज में रेगुलर प्रिंसिपल हैं और 19 पद रिक्त पड़े हुए हैं। इसके साथ–साथ मेरा यह कहना है कि वाइस–प्रिंसिपल के 26 पद आज भी खाली पड़े हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, ये पद आज से नहीं बल्कि 7 साल से खाली हैं। Now, I come to the very vital question. But nobody from the treasury benches is sitting here, by chance only the Chief Secretary of the State is here. Therefore, I would like to say that आज हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग के साथ हर रोज मजाक हो रहा है। सरकार हर रोज कोई न कोई सिस्टम बदलती रहती है। इससे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सरकार ने बच्चों की नौकरी के लिये कॉमन इलीजिबिलिटी टैस्ट का प्रावधान किया और इसकी घोषणा की। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने इसकी घोषणा करने से पहले लगभग 5 हजार पोस्ट्स को विदड्रा कर लिया। ये पद किसलिए विदड्रा किये गये? एक साल से लेकर आज तक कॉमन इलीजिबिलिटी टैस्ट का प्रोसैस शुरू नहीं हुआ है। इसका पोर्टल खुला है और युवक एप्लाई भी कर रहे हैं। So far as its applicability is concerned, this is applicable to the category of C & D employee. This is very strange, आज हरियाणा में पदों को नहीं भरा जा रहा है और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग विवादों के घेरे में हैं। Selling of the posts और उसके बाद सबकुछ होता है। इससे हमारे दोनों आयोगों की बदनामी पूरे देश में हुई है। अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने normalization प्रोसैस शुरू कर दिया है। इस तरह के प्रोसैस कहां से बनकर आते हैं, इसका कोई अता–पता नहीं है। इस तरह के प्रोसैस में बच्चों की मैरिट डिस्टर्ब होती है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लो एक बच्चे के परीक्षा में 80 अंक आये हैं तो उसको परसेंटाइल में 100 अंक दिये जाते हैं। इस प्रोसैस में सोशल इकनॉमिक कैटेगरी के अंदर 10 या 15 अंक देने का प्रावधान है। यह बड़ी हैरानी की बात है कि सोशल इकनॉमिक कैटेगरी के

कैंडीडेट्स की सलैक्शन हो रही है उसके बाद मैरिट के अनुसार किसी की भी सिलैक्शन नहीं हो रही है। अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि जो बच्चे मैरिट में हैं, उनकी सलैक्शन नहीं हो रही है। जिन बच्चों के माता–पिता सरकारी नौकरी पर हैं और वे मैरिट में हैं तो उनकी सलैक्शन नहीं हो रही है। जिन बच्चों के माता–पिता पैंशन लेते हैं और वे भी मैरिट में हैं तो उनकी भी सलैक्शन नहीं हो रही है। सबसे हैरानी इस बात की है कि 1100 महिला कांस्टेबल की नियुक्ति हुई वे सारी की सारी भर्ती सोशल इकनॉमिक कैटगरी के आधार पर हुई है। मैरिट के हिसाब से कोई भी बच्ची सलेक्ट नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, परसेंटाइल की कैलकुलेशन कैसे होती है? अध्यक्ष महोदय, मान लो परीक्षा में किसी कैंडीडेट के 100 में से 80 सवाल ठीक हैं तो उसको परसेंटाइल के हिसाब से 100 प्रतिशत अंक दिये गये हैं और इसी प्रौसीज़र में किसी कैंडीडेट के 64 अंक आये हैं तो परसैंटाइल के फार्मूले के हिसाब से उसको 99 प्रतिशत अंक दिये गये हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस कैंडीडेट ने 64 से ज्यादा अंक प्राप्त किये हैं, वह तो मैरिट से बाहर हो गया और जिसने इस फार्मूले के तहत कम अंक प्राप्त किये उसका नम्बर आ गया। अध्यक्ष महोदय, यह परसैंटाइल का फार्मूला हमारे प्रदेश के मैरिट में आने वाले बच्चों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। सरकार को चाहिए कि इस प्रोसैस को तुरंत प्रभाव से ठीक करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का समय दिया, इसके लिये मैं आपका बहुत–बहुत आभारी हूं। धन्यवाद ।

श्रीमती किरण चौधरी (तोशाम) : अध्यक्ष महोदय, इस बार बहुत जबरदस्त ओलावृष्टि हुई है, जिस वजह से लोहारू, बाढड़ा और महेन्द्रगढ़ के कुछ एरियाज में मूली, गेहूं और सरसों की 3 फसलें पूरी तरह से बिछ गई । सरकार द्वारा मूली की फसल का कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाता क्योंकि इसको हॉर्टिकल्चर में शामिल किया गया है । मेरा कहना है कि मूली भी किसान ही पैदा करता है । अतः सरकार को उसका भी मुआवजा देना चाहिए । सरकार को मूली उगाने वाले किसान को यूं ही बगैर मुआवजा दिए नहीं छोड़ना चाहिए । अतः सरकार इस ओर ध्यान दे । इसके अलावा गेहूं और सरसों उगाने वाले किसानों को कम से कम 70 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाना चाहिए क्योंकि आज के दिन फसलों को उगाने में लागत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है । आज किसान फसल खराब होने से त्राहि–त्राहि कर रहा है । 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के तहत किसानों से प्रीमियम तो पूरा

लिया जाता है लेकिन जब किसान खराब फसल का क्लेम करता है तो उसे फसल का 20 परसैंट भी मुआवजा नहीं मिलता । अतः यह बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है । जिस तरह से गिरदावरी की जाती है उसके अनुसार किसी भी किसान की फसल को 75 परसैंट से ज्यादा खराब नहीं दिखाया जाता । इसके लिए तो भगवान जाने ऐसा कैसे किया जाता है जबकि लोहारू, बाढड़ा और महेन्द्रगढ़ के क्षेत्र में पूरी की पूरी फसल बर्बाद हुई है । अतः मैं कहना चाहूंगी कि मूली को भी इसमें शामिल किया जाए । मैं बताना चाहती हूं कि प्रदेश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर 25 जनवरी को हमारे क्षेत्र के संडवा गांव में गए थे । वहां पर निगाना सिवानी कैनाल लिंक की 100 क्यूसेक कैपेसिटी को घटाकर 21 क्यूसेक कर दिया गया है । अतः आप समझ सकते हैं कि वहां पर पानी की किल्लत करने का काम किया गया है । इस संबंध में गांव के लोग 31 जनवरी, 2022 को डी.जी., विजिलैंस श्री शत्रुजीत कपूर से भी मिले थे । सरकार कहती तो यह है कि हम हर टेल तक पानी पहुंचाएंगे लेकिन वहां पर डाली गई पाइपलाइन से पानी बुरी तरह लीक हो रहा है । अतः मैं जानना चाहती हूं कि वहां पर जिस ठेकेदार ने काम किया था उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ? सरकार ने आज तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है । माननीय मंत्री जी के खुद के शब्द हैं कि मैं 6 दिन के अंदर–अंदर वहां पर पानी की कैपेसिटी बढ़वा दूंगा और इसकी विजिलैंस से भी इंकवॉयरी करवाऊंगा लेकिन उस पर आज तक कोई भी काम नहीं हुआ है । अतः उस पर काम किया जाए । अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में बलवाना नाम से एक ढाणी है । वहां पर पानी की बहुत कमी है और पानी के लिए त्राहि–त्राहि हो रही है । उनका कहना है कि बलवाना में सिबली वॉटर वर्क्स से उनकी एडिक्वेट वॉटर सप्लाई नहीं मिल रही है । अतः उनको एडिक्वेट वॉटर सप्लाई दी जाए । मैंने पोलिसी डिसिजन पर बात करनी थी लेकिन मेरे क्षेत्र की बहुत–सी सड़कें और पुल ऐसे हैं जिनकी हालत बिल्कुल जर्जर है । उनसे संबंधित कागजात मैं सदन की मेज पर रखूंगी क्योंकि उन सभी के बारे में बोलने के लिए मुझे पर्याप्त समय नहीं मिलेगा । प्रदेश में गैस्ट टीचर्ज, आंगनवाड़ी वर्कर्ज और एस.पी.ओज. के बहुत बुरे हाल हो रहे हैं । अतः उनकी डिमांड्ज पर भी ध्यान दिया जाए । हरियाणा रोडवेज में स्ट्राइक करने वाले कर्मचारियों के लिए भी मैं कहना चाहूंगी कि उन पर भी ह्यूमैनेटेरियन ग्राउंड पर ध्यान दिया जाए । इसी तरह से चौकीदारों की रैगुलराइजेशन ऑफ ग्रांट एण्ड फैसीलिटीज की मांग पर भी ध्यान दिया जाए । ये

उनकी काफी पुरानी मांगें हैं । इसी तरह से ओ.बी.सी. कमीशन की जो डिमांड्ज हैं 'for reconsideration and withdrawal of Government Notification No. 491', इस पर भी ध्यान दिया दिया । इसके तहत इनकम की 2 स्लैब्स बना दी गई हैं जोकि ओ.बी.सी. कैटेगरी के लिए ठीक नहीं है । अतः सरकार को इस पर पुनः पोलिसी डिसीजन लेना चाहिए और इसको ठीक करना चाहिए । मैंने आज सुबह ही अखबार में पढ़ा कि बाढड़ा के बी.डी.पी.ओ. ऑफिस में 1.6 करोड़ रुपये का इम्बैजलमैंट हुआ है । अतः इस पर एक हाई लैवल एस.आई.टी. गठित की जानी चाहिए ताकि इसका पता चल सके । सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, आज हम यहां पर जो बातें कह रहे हैं आपने इन्हें नोट तो करवा दिया है क्योंकि ये बातें ऐसी हैं जिन पर सरकार को पूरी तरह से जवाब देना चाहिए । इनमें से कोई भी फिजूल की बात नहीं है । इसके अतिरिक्त मेरे तोशाम हल्के में नहरों व सड़कों पर बनाये गये 6 पुल बिल्कुल खस्ता हालत में है, कृप्या इनको दोबारा से बनवाया जाए। जिसमें गारनपुरा लिंक की आर.डी. 19,500 पर बना हुआ साईफन पुल बिल्कुल डैमेज हो चुका है, तोशाम बाईपास से दिनोद मेन रोड पर जुई कैनाल पर बना पुल भी टूटा हुआ है, ईशरवाल से ओबरा मेन रोड पर हसान माईनर पर बना हुआ साईफन पुल भी टूटा हुआ है, छप्पार रांगड़ान से पिंजोखरा रोड पर गारनपुरा लिंक पर बना पुल बिल्कुल खत्म हो चुका है और आसलवास दुबिया से लहलहाना अप्रोच रोड पर जुई कैनाल पर बना हुआ पुल भी खत्म हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके अलावा आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगी कि मेरे तोशाम हल्के के 7 गांवों में पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग विभाग के वॉटर वर्क्स में लीकेज होने के कारण पानी नहीं रूकता जिससे काफी गांवों में पानी की सप्लाई नहीं हो रही तथा उन गांवों के लोगों को पीने का पानी किराये के टैंकर्ज से मंगवाना पड़ता है। इस पर भी पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग विभाग को संज्ञान लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त मेरे तोशाम हल्के में पी.डब्ल्यू.डी. बी. एंड आर. विभाग की 8 सड़कों की हालत बहुत खराब है जिसमें Biran to Bajina via Dhani Biran, Katwar Bus Stand to Sahlewala; Mandhan to Bhera via Jainawas; Golpura to Nangla, Golagarh to Khairpura; Dhangar to Jui, Baganwala to Pinjokhara,; Sungarpur to Devrala शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 15 रोड्ज मार्केटिंग बोर्ड की हैं जिनकी कंडीशन ठीक नहीं है। जिसमें Bushan to Khawa; Dulheri to Laxmanpura; Kairu to Khariabas; Kairu to

Mansarwas; Chandawas to Lalawas, Azand Nagar to Nangla, Dinod to Biran; Hetampura to Lahlana; Chhapar Rangran to Pinjokhara; Jhanwari to Baganwala; Baganwala to Khanak; Bapora to Devsar; Sangwan to Bhurtana; Jitwanbas to Dhani Budana; and Biran to Dang Khurd शामिल हैं। स्पीकर सर, आपने मुझे अपने इलाके की बात रखने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूं।

श्री प्रमोद कुमार विज (पानीपत शहर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जीरो ऑवर में बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप–मुख्यमंत्री जी का बहुत–बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि मैंने पिछले दो सालों में पानीपत के लिए जितने भी प्रोजैक्ट्स दिये थे, लगभग उन सबकी फिजिब्लिटी रिपोर्ट/डीपीआर रिपोर्ट तैयार करके मंत्रालय तक पहुंचायी गयी है। बाई लार्ज उन्होंने इस बात की इजाजत भी दे दी है कि आने वाले साल में संबंधित सभी प्रोजैक्ट्स को पूरा किया जाएगा। मेरा पानीपत हल्का भी अपनी जिम्मेवारी को बखूबी समझते हुए मेक इन इंडिया में अपना योगदान दे रहा है। मेरे हल्के से हजारों कन्टेनर इंपोर्ट किये जाते हैं। यही कारण है कि आज हम चाइना से कुछ भी इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि पानीपत एक ऐसा शहर है जो वर्ल्ड में न0 1 पर है क्योंकि यहां पर रि–साईकिल यार्न बनाने के लिए पुराने कपड़ों की रि–साईकिलिंग की जाती है। आजकल थोड़ी सी कठिन परिस्थिति है क्योंकि पानीपत का 100 किलोमीटर का एरिया एन.सी.आर. रीजन में है जिसका सबसे बड़ा नुकसान पानीपत को हो रहा है। पानीपत की इन्डस्ट्रीज के संबंध में कभी यह आर्डर आ जाते हैं कि साल के तीन महीने में सात दिन की बजाए पांच दिन इंडस्ट्रीज चलाएं। इस प्रकार अगर सप्ताह में सात दिन इन्डस्ट्री चलाने की बजाए पांच दिन चलानी पड़ेंगी तो कर्मचारियों की सैलरी कहां से देंगे और प्रौडक्शन कहां से होगी? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि फौरन कन्ट्रीज के साथ आर्डर्ज की कमिटमैंट पूरी नहीं हो पाती है। सरकार द्वारा कभी यह इंस्ट्रक्शन मिल जाती हैं कि आप जनरेटर नहीं चला सकते क्योंकि जनरेटर चलाने की मनाही है। अगर बाईचांस लाईट चली जाए तो मैंनटेनैंस करने के लिए भी जनरेटर नहीं चला पाते हैं। अभी इंस्ट्रक्शन आयी है कि आप इन्डस्ट्रीज के लिए कोल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें बॉयोफ्यूल की तरफ जाना पड़ेगा। इसके लिए सभी जनरेटर चेंज करने पड़ेंगे।

इतने साधन इंडिया में कहीं पर भी नहीं हैं क्योंकि यहां पर इतनी कंपनीज नहीं हैं कि पूरे एन.सी.आर. के जनरेटर्ज को चेंज कर सकें। इस प्रकार इस कार्य में कई साल जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में यह भी कहा जाता है कि आप पी.एन.जी. और सी.एन.जी. से उद्योग चलाएं। पी.एन.जी. और सी.एन.जी. पर उद्योग चलाएंगे तो उसकी कोस्ट बहुत ज्यादा आएगी। इस प्रकार मुझे तो समझ में नहीं आता कि जो एरियाज एन.सी.आर. में नहीं हैं उन एरियाज को कंपीट कैसे करेंगे? जैसे यू.पी. के आगरा, सीतापुर और मिर्जापुर में हैंडलूम का काम होता है तो हम उन लोगों से कंपीट कैसे करेंगे ? इस प्रकार से तो इंटरनैशनल मार्केट उनकी तरफ चली जाएगी और वे पानीपत को छोड़ देंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि पानीपत को एन.सी.आर. से बाहर किया जाए ताकि वहां पर उद्योग और भी पनप सकें। इसके अतिरिक्त मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा और वह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पानीपत लाखों लोगों को रोजगार दे रहा है और लोग कहते हैं कि उन्हें रोजगार नहीं मिलता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी माननीय विधायक साथियों से कहना चाहूंगा कि वे मुझे एक हजार आदमी दे दें तो मैं उनको पानीपत में रोजगार दे दूंगा। हमें पानीपत में इन्डस्ट्रीज में काम करने के लिए आदमी नहीं मिलते क्योंकि सभी सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं और प्राईवेट नौकरी कोई नहीं करना चाहता। मैं यहां पर कमिट कर रहा हूं कि हम 1000 लोगों को पानीपत में नौकरी दे देंगे। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मेरी आपके माध्यम से एक और प्रार्थना है कि इस बारे में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की है कि जो सब डिवीजन की प्लॉटों की पॉलिसी है, उसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाये। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर सब डिवीजन अलाउ नहीं है, जबकि 50–60 सालों में हम सब ने अपने भाईयों के साथ मिलकर अपने प्लॉट बाप की डैथ के बाद बांट लिये थे। उसकी रजिस्ट्री भी हो रखी है। आज उसकी फैमली आई. डी. नहीं बन रही है इसलिए हमारे लिये सब डिवीजन की पॉलिसी बहुत जरूरी है। शहर के लोगों का इस बात पर आक्रोश है। इसके अलावा मैं आपके माध्यम से एक और प्रार्थना करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जल्दी से जल्दी रैजिडैंशियल एरियाज के अंदर कमर्शियल पॉलिसी को जरूर लायें क्योंकि सभी जगहों पर कमर्शियल बिल्डिंग्ज बन रही है और इनको बनाने का काम रूक नहीं रहा है। इस प्रकार से सरकार को टोटली लॉस हो रहा है क्योंकि इससे किसी प्रकार का सरकार को कोई रेवेन्यू नहीं मिल रहा है। जहां

तक पानीपत नगर निगम की बात है तो अगर वहां पर इस पॉलिसी को लागू कर दिया जाये तो हमें यू.एल.बी. से पैसा लेने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि पानीपत अपने आप में सक्षम है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस पॉलिसी को जितनी जल्दी हो सके वहां पर लागू किया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं अंत कहना चाहूंगा और हमारे यू.एल.बी. मंत्री डॉ. कमल गुप्ता जी भी बैठे हुए हैं, मैं उनसे प्रार्थना भी करना चाहूंगा कि पूरे हरियाणा में स्ट्रीट लाईट्स की प्रॉब्लम है। उन्होंने इसकी जो भी योजना बनाई है, उसको तुरन्त लागू करने का काम करें। पिछले एक साल से शहरों में स्ट्रीट लाईट्स नहीं लग रही है। वहां पर अंधेरा छाया हुआ है इसलिए इस पॉलिसी को लागू किया जाये।

श्री आफताब अहमद (नूंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं की, चाहे वो जिला परिषद हो, चाहे ब्लॉक समिति हो, चाहे सरपंच हो और चाहे पंच हो, इनका जो चुनाव होना चाहिए था, यह मामला पिछले 1 साल से अदालत में चल रहा है जिसके कारण चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं हो रही है। मेरा इसमें यही कहना है कि 7356 गांवों का अपना प्रतिनिधित्व है। यह उनका प्रजातंत्र में अधिकार है और उनको संविधान में चुनने का अधिकार दिया हुआ है। हम उस अधिकार को उनसे वंचित रख रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आफताब जी, यह मामला अभी सब–ज्युडिस है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, सब–ज्युडिस का मतलब यह नहीं होता है कि हम इस पर डिस्कस ही न करें। यह मामला सब–ज्युडिस है। सरकार के खिलाफ स्टे तो नहीं हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आफताब जी, यह मामला कोर्ट के अंदर चल रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, कोर्ट में चल रहा है तो हम यहां कोर्ट के अगेंस्ट तो कोई बात नहीं कह रहे हैं। हम तो सिर्फ यह कहना चाहते है कि Government should take steps in this regard. (शोर एवं व्यवधान) We are not speaking against the court.

श्री अध्यक्ष : आफताब जी, आप कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हो क्योंकि यह मामला कोर्ट में पैंडिंग है जबकि हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं।

Shri Bharat Bhusan Batra: We cannot speak against the Judge/Court but can speak against the Judgement.

Shri Aftab Ahmed: Sir, We are not speaking against the court. अध्यक्ष महोदय, हम तो यह बात कह रहे हैं कि यह जरूरी इशू है। हम एम.पी., एम.एल.ए. बनकर तो अपनी निश्चित टर्म में आ जाते हैं लेकिन हम सरपंचों और जिला परिषद के चुनावों पर रोक लगा रहे हैं कि यह मामला अदालतों में विचाराधीन है। इसमें मेरा यही कहना है कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है क्योंकि अदालतों में इस केस को चलते हुए एक साल से भी ज्यादा का समय हो गया है।

श्री अध्यक्ष : आफताब जी, कोर्ट में जाने का अधिकार हर नागरिक का होता है।

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, we are not stopping anyone to go to the court. परन्तु सरकार को अपनी व्यवस्था बनानी चाहिए। एक–एक साल तक पंचायती राज संस्थाओं के पंचायत के चुनाव न हो, यह अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण बात है और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इसके साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे स्टेट इलैक्शन कमीशन ने नगर निकाय के चुनाव भी अनाउंस किये हैं परन्तु इसमें भी कहीं यह बात न हो जाये। अध्यक्ष महोदय, आपने जैसा कि अभी कहा कि कोर्ट में जाने का अधिकार तो हर नागरिक का होता है और लोग तो किसी न किसी रूप में अदालत में पहुंच ही जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक बैकवर्ड क्लासिज के प्रधानों का इशू है, वह इशू भी पैंडिंग पड़ा हुआ है। मेरा यह कहना है कि लोगों को अपने नुमाइंदों को चुनने का अधिकार होता है। इसमें यह बात नहीं होनी चाहिए कि पंचायत के चुनाव, नगर निकाय के चुनाव किसी न किसी वजह से टाल दिये जायें। हां यह बात ठीक है कि राजनीतिक वातावरण हो सकता है कि सही न हो लेकिन हम इन चुनावों को अनिश्चित काल के लिए नहीं टाल सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : आफताब जी, आप क्या कहना चाहते हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि चुनाव करवाये जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आफताब जी, अब आप ही बतायें कि सरकार कोर्ट की प्रक्रिया को कैसे रोक सकती है?

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार चुनाव करवाना ही नहीं चाहती। इस विषय पर मेरा यही कहना है कि कोर्ट का इस इशू पर स्टे थोड़े ही दिया हुआ है। सरकार की यही जिम्मेवारी है। हम आज आपके

सामने यह बात कह रहे हैं । अभी तो मैंने अपनी बात कहनी शुरू की है और आपने अभी से ही घड़ी में टाइम देखना शुरू कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : आफताब जी, आपको बोलते हुए 3 मिनट का समय हो गया है अभी आपके पास 2 मिनट का टाइम बकाया है।

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं यह कहना चाहूंगा कि हमने शिक्षा का मुद्दा बार–बार सदन में उठाया है। हरियाणा प्रदेश में 50 हजार के करीब पी.आर.टी./टी.जी.टी/पी.जी.टी. पोस्ट की वैकेंसीज खाली हैं। जहां तक स्कूलों में पढ़ाई की बात है तो कुछ तो कोविड–19 महामारी की मार हो गई और कुछ शिक्षकों की मार हो गई। हमारा शिक्षा का बहुत स्ट्रांग सिस्टम हुआ करता था जिसके साथ यह सरकार मजाक करने का काम करती जा रही है। सरकार मॉडल संस्कृति स्कूलों में फीस लेने का काम कर रही है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत सभी को शिक्षा फ्री में दी जानी चाहिए। सरकार को इस बात को चिन्हित करना चाहिए कि स्कूलों में भी शिक्षा फ्री में दी जाये। इसके साथ ही साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि नूंह नगर पालिका में डम्पिंग यार्ड नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपने हरियाणा विधान सभा में बहुत कुछ सुधार किये हैं लेकिन मैंने दिसम्बर 2021 के सेशन में एक अतारांकित प्रश्न लगाया था लेकिन मुझे आज तक भी इसका कोई जवाब नहीं दिया है। इसके अलावा मुझे यह भी कहा गया था कि अगले विधान सभा सत्र में इसका जवाब दे दिया जायेगा लेकिन आज भी इस बजट सत्र का तीसरा दिन है। अभी तक मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : आफताब जी, आप मुझे अपना प्रश्न लिखकर दे दीजिए।

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको अपना प्रश्न लिखकर दे दूंगा और इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमने आपको प्रदेश में स्वास्थ्य प्रणाली की बिगड़ती स्थिति बारे कॉलिंग अटैंशन मोशन दिया था उसको आपने डिसअलाउ कर दिया है। मैं इस विषय पर भी अपनी बात रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आफताब जी, धन्यवाद।

श्री धर्म सिंह छौक्कर (समालखा) : स्पीकर सर, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया सर्वप्रथम इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं सबसे पहले बिजली विभाग के बारे में अपनी बात कहना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश है कि अगर कोई किसान बिजली का बिल भरने में लेट हो जाता है तो इस प्रकार के केसिज में किसान पर लगने वाला 6 महीने का सरचार्ज माफ कर

दिया जाये ताकि किसान को आर्थिक तौर पर राहत मिल सके। अगर कोई किसान 6 महीने का ब्याज भरेगा और अगर इसकी कैलकुलेशन की जाये तो वह उसकी जमीन की कीमत के बराबर हो जायेगा इसलिए मेरी सरकार से बार–बार यही रिक्वैस्ट है कि प्रदेश के किसानों को 6 महीने के सरचार्ज को माफ करके राहत प्रदान की जाये। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बिजली विभाग में जो जे.ई., फोरमैन और लाईनमैन मौके पर जाकर जुर्माना करते हैं इस मामले में भी किसी हॉयर अथॉरिटी के पास अपील का प्रावधान होना चाहिए क्योंकि प्रत्येक डिपार्टमैंट में हॉयर अथॉरिटी के पास अपील का प्रावधान है। सिर्फ बिजली विभाग ही एक ऐसा विभाग है जिसमें जो जे.ई., फोरमैन और लाईनमैन ने बिजली उपभोक्ता पर जुर्माना लगा दिया वही पूरी तरह से वैलिड होता है। उस जुर्माने के खिलाफ कहीं कोई अपील व दलील नहीं है। प्रत्येक डिपार्टमैंट में जुर्माने के केसिज में अपील व दलील का प्रावधान होता है। मैंने पिछले सैशन में भी इस विषय को उठाया था। मेरा आज फिर से यही कहना है कि अगर कोई जे.ई. या फोरमैन कोई मनमानी कर दे तो बिजली उपभोक्ता को यह अधिकार होना चाहिए कि वह हॉयर अथॉरिटी के पास अपनी अपील दायर कर सके। एक बात मैं यह कहना चाहूंगा कि गांव रहीमपुर खेड़ी में हमारी सरकार ने बिजली पहुंचाने का काम किया था। मैंने इस सम्बन्ध में डिप्टी सी.एम. साहब से बात की थी कि जो शामलात देह का मैटर है, जो जमीनों का मुस्तरका खाता है उसमें एक हिस्से में 80–80 आदमी बैठे हैं। अगर वहां पर किसी ने बिजली का कनैक्शन लेना होता है तो बिजली विभाग के एस.डी.ओ. और एक्स.ई.एन. कहते हैं कि 80 के 80 हिस्सेदारों के एफिडैविट लेकर आओ उसके बाद ही बिजली का कनैक्शन दिया जायेगा। इस पर हमने यह कहा हे कि जिस व्यक्ति का जमीन के जिस हिस्से पर मौके का कब्जा है और वह अगर उस हिस्से में ट्यूबवैल लगाना चाहता है तो उसको बिजली का कनैक्शन दिया जाये क्योंकि उसके लिए बाकी के 80 आदमियों से एफिडैविट लेकर आना किसी भी दृष्टि से सम्भव नहीं है। अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यही अनुरोध है कि बिजली विभाग के फील्ड लैवल के अधिकारियों को यह डॉयरैक्शन दी जाये कि जिस व्यक्ति का मौके पर सम्बंधित जमीन पर कब्जा है, अधिकारियों द्वारा मौके पर जाकर उसका मुआयना किया जाये और सम्बंधित किसान को बिजली का कनैक्शन दिया जाये। इसके साथ ही साथ जो प्रदेश में रोजगार की बात है इस सम्बन्ध में सरकार ने यह फैसला किया है कि

प्रदेश की प्राईवेट कम्पनियों में 75 परसैंट रोजगार प्रदेश के निवासियों को दिया जायेगा। मेरे विधान सभा हल्के में नैसले की कम्पनी स्थापित है। इसी प्रकार से मेरे विधान सभा हल्के में डिस्टलरी भी है। मैं वहां पर खुद गया और मैंने वहां पर जाकर यह कहा कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा प्रदेश में स्थित प्राईवेट संस्थानों में 75 परसैंट नौकरियां प्रदेश के निवासियों को देने का फैसला किया है। मैंने वहां पर देखा कि वहां पर हरियाणा के 75 परसैंट तो बहुत दूर की बात है 5 परसैंट भी हरियाणा के निवासियों को नौकरी नहीं दी गई है। वहां पर ज्यादातर दूसरी स्टेट्स के लोग नौकरी कर रहे हैं। वहां पर हमारी कोई सुनवाई नहीं है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह विषय सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि सरकार द्वारा प्रदेश में स्थापित प्राईवेट सैक्टर की कम्पनियों में 75 परसैंट प्रदेश के निवासियों को नौकरी देने की जो पॉलिसी बनाई गई है और कानून पास किया है उसको इम्पलीमैंट करवाने का भी प्रयास किया जाये। जहां तक प्रदेश में बेराजगारी का सम्बन्ध है आज के समय में प्रदेश का नौजवान रोजगार के अभाव में बर्बादी की कगार की तरफ जा रहा है। आज के समय में प्रदेश का नौजवान बेरोजगारी की वजह से बहुत ही ज्यादा दुखी है। माता–पिता अपने बच्चों की स्कूलों की महंगी से महंगी फीस का भुगतान करके अपने बच्चों को इंगलिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाते हैं और उसके बाद उसको महंगे संस्थानों में विभिन्न प्रकार की कोचिंग दिलवाते हैं। इसके बाद बच्चे विभिन्न प्रकार की कोचिंग और डिग्रियां प्राप्त कर लेते हैं लेकिन जब उसको रोजगार देने का समय आता है तो सरकार हाथ खड़े कर देती है। अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य आफताब जी ने बताया कि प्रदेश के सरकारी विभागों में लगभग 50 हजार पद खाली पड़े हैं। अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इन खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी शुरू किया जाये। इसी प्रकार से मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि एच.पी.एस.सी. ने 450 गैस्ट लैक्चरार लगाये हुए हैं। सरकार ने उन 500 खाली पड़े पदों को भरने के लिए अब विज्ञापन जारी किया है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उन पूर्व में नियुक्त 450 गैस्ट लैक्चरर्ज को हटाने जा रही है? मैं यह बात विशेष तौर पर कहना चाहता हूं कि ये 450 गैस्ट लैक्चरर्ज गवर्नमैंट की पॉलिसी के मुताबिक ही नियुक्त किये गये थे। अगर इनको हटाना ही था तो पहले इनको नियुक्त क्यों किया गया। इनको गवर्नमैंट की जिस पॉलिसी के तहत नियुक्त किया

गया था अब उसको क्यों विद्ड्रॉ किया जा रहा है? मेरा सरकार से बार–बार यही अनुरोध है कि लैक्चरर्ज की नई नियुक्तियां करते समय इन पूर्व में नियुक्त 450 गैस्ट लैक्चरर्ज के हितों का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाये। इसी प्रकार से मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि पुलिस विभाग के जो कॉस्टेबल एस.पी.ओ. लगते हैं उनको 24 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है और उनको केवल 18000 रूपये वेतन के तौर पर दिये जाते हैं। जिस प्रकार से प्रदेश सरकार के रैगुलर इम्पलॉयज की 55 से 58 साल तक का रिटायरमैंट का सिस्टम है उसी प्रकार से चाहे गैस्ट लैक्चरर्ज हों या एस.पी.ओ. हों, उनको भी 58 साल की आयु में रिटायरमैंट की पॉलिसी के तहत कवर किया जाये। मैंने पहले भी सैशन में समालखा के गांधी आदर्श कॉलेज और सोसायटी के डिस्प्यूट का मामला उठाया था जिसके बारे में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने मुझे आश्वासन भी दिया था कि गांधी आदर्श कॉलेज और सोसायटी के डिस्प्यूट को हल करने का प्रयास किया जायेगा। मेरा आज फिर यह कहना है कि समालखा में गांधी आदर्श कॉलेज और सोसायटी का हमेशा ही डिस्प्यूट रहता है और इसके कारण वहां पर शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को नुक्सान उठाना पड़ता है। अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से सरकार से इस बार भी यही आग्रह है कि सरकार गांधी आदर्श कॉलेज को अंडरटेक कर ले ताकि वहां पर शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सुचारू रूप से शिक्षा प्राप्त हो सके। इसके साथ ही साथ मैं डिप्टी सी.एम. साहब से यह भी कहना चाहूंगा कि मेरा विधान सभा हल्का समालखा एक सब डिवीजन है जोकि नैशनल हाईवे पर स्थित है इसलिए वहां पर आधुनिक सुविधाओं से सम्पन्न पी.डब्ल्यू.डी. रैस्ट हाऊस का जल्दी से जल्दी निर्माण किया जाये। मेरा यह भी कहना है कि मेरे वहां से गुजरने वाली ड्रेन नम्बर–08 के गंदे पानी को ट्रीट करके ही यमुना नदी में डाला जाये ताकि यमुना का पानी प्रदूषित होने से बच जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब शून्यकाल समाप्त होता है।

————————

विधायी कार्य–

(पुरःस्थापित किए जाने वाले विधेयक)

(1) दि हरियाणा प्रिवैंशन ऑफ अनलॉफुल कंवर्जन ऑफ रिलीजन बिल, 2022

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कुछ विशेष कारणों के कारण जो दो बिल आज के बिजनैस के हिसाब से सबसे लास्ट में थे, उनको पहले प्रस्तुत किया जा रहा है। माननीय सदस्यगण, अब माननीय गृहमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा विधिविरूद्ध धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक, 2022 पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

गृह मंत्री (श्री अनिल विज) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं –

> कि हरियाणा विधिविरूद्ध धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक, 2022 पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

> कि हरियाणा विधिविरूद्ध धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक, 2022 पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

> कि हरियाणा विधिविरूद्ध धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक, 2022 पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
अनुमति प्रदान की गई।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान (बेरी) : ऑनरेबल स्पीकर सर, सरकार जो यह बिल लाई है इसमें हमें ऐसी कोई बात नहीं लगती कि धर्मपरिवर्तन की कोई ऐसी शिकायतें आती हों। ऐसी बात भी नहीं है कि हरियाणा बनने के बाद सरकार की नॉलेज में कोई ऐसे केसिज आये हों कि इस मामले में इतने लोगों के साथ जबरदस्ती हुई। स्पीकर सर, मैं इस मामले की बैकग्रांऊड में जाना चाहूंगा। धर्म के आधार पर देश का पार्टीशन हुआ। उस समय लाखों आदमी इधर मरे और लाखों आदमी ही उधर मरे। उस समय इसका बड़ा दुख–दर्द और पीड़ा थी। जो गांधी जी की प्रार्थना थी कि हरमन प्यारे सीता राम उस जिनोसाईड के बाद उनकी वह प्रार्थना बदली और बदलकर वह हरमन प्यारे राम रहीम हो गई। एक तो वे हालात थे। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सदन के साथियों के साथ यह बात शेयर करना चाहता हूं कि जो हालात उस समय हुए अब फिर से देश में वैसे ही हालात पैदा हो रहे हैं

अर्थात् देश विभाजनकारी नीतियों की तरफ बढ़ रहा है। हम यह निरंतर देख रहे हैं कि किस प्रकार से वास्तविक मुद्दों से हटकर जो भाषायें बोली जा रही हैं वे किसी भी दृष्टि से देश के हित में नहीं हैं। स्पीकर सर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बिल के माध्यम से जो राम और रहीम के बीच में दीवार खड़ी की जा रही है यह दीवार खड़ी करने वाले लोग तो नहीं रहेंगे लेकिन यह दीवार खड़ी रह जायेगी। छोटे–छोटे राजनीतिक फायदों के लिए देश को एक बार फिर से विभाजनकारी दिशा में लेकर जाया जा रहा है। इस बिल से इस प्रकार की मंशा स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। कुल मिलाकर मेरा यही कहना है कि इस बिल की इंटैंशन सही नहीं है। (विघ्न) स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यही कहना है कि सरकार इस बिल के बारे में स्थिति को पूर्ण रूप से स्पष्ट करे ताकि पूरे प्रदेश की जनता को इसकी जानकारी प्राप्त हो कि ऐसी कौन सी स्थिति उप्पन्न हो गई थी कि सरकार को इस प्रकार का बिल लाने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस बिल के ऑब्जैक्ट्स और रीजंज का भी इसमें जिक्र नहीं किया गया है। इसके साथ ही साथ मेरा यह भी निवेदन है कि इस बिल को विधान सभा में पास करने से पहले सिलैक्ट कमेटी के पास भेजा जाये और सिलैक्ट कमेटी इसको स्टडी कर ले और उसके बाद सिलैक्ट कमेटी की रिकमण्डेशंज प्राप्त होने के बाद ही इस बिल को विधान सभा में पास होने के लिए प्रस्तुत किया जाये। स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यही निवेदन है।

गृहमंत्री (श्री अनिल विज) : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय साथी ने पूरी तरह से ठीक कहा है कि देश का बंटवारा धर्म के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने ही करवाया था। इसी प्रकार से वर्ष 1984 में धर्म के आधार पर ही सिक्खों का कत्लेआम भी कांग्रेस पार्टी ने ही करवाया था। (विघ्न) स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने यह मुद्दा उठाया है इसलिए let me clarify. (विघ्न) स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि साम्प्रदाकिता तो कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों के जहन में है इसलिए ये इस प्रकार की बातें उठाते हैं। मैं विपक्ष के माननीय साथियों की जानकारी के लिए यह बताना चाहता हूं कि हम जो यह बिल लाये हैं इस बिल में कहीं पर भी हिन्दु, मुसलमान या ईसाई का जिक्र नहीं है। (विघ्न) इसमें एक धर्म से दूसरे धर्म में किसी लालच से या किसी प्रकार के भय से परिवर्तन करने का जिक्र है। विपक्ष के माननीय सदस्यों में से कोई भी सदस्य इस बिल को पढ़कर इसमें कहीं पर भी यह लिखा दिखा दे कि मुसलमान को हिन्दु या हिन्दु को मुसलमान बनाने का जिक्र

किया गया हो। (विघ्न) स्पीकर सर, ये जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं यह इनकी साम्प्रदायिकता बोलती है। हम धर्मनिरपेक्ष हैं। हमारा यह भी मानना है कि हर आदमी को अपने धर्म को मानने का पूर्ण रूप से अधिकार है लेकिन किसी को भी एक धर्म से दूसरे धर्म में भय दिखाकर या लालच देकर, गुमराह करके या इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अपना नाम बदलकर किसी का भी धर्म परिवर्तन करवाने का अधिकार नहीं है। हम यह बिल इसी मकसद के लिए यहां पर लेकर आये हैं। (विघ्न)

श्री आफताब अहमद : स्पीकर सर, हम तो यही कहना चाहते हैं कि अगर इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हों तभी सरकार को विधान सभा में ऐसा बिल लेकर आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आफताब जी, सभी काम शिकायतों के ऊपर नहीं किये जाते हैं बल्कि कुछ प्रिवैंटिव मेजर्ज भी लिये जाते हैं। (विघ्न)

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, मैंने जो बताया है यह बिल हम उसी के लिए लेकर आये हैं। मैं आपके माध्यम से हमारे कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूं कि कृपा करके वे अपने जहन से साम्प्रदायिकता को निकाल दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में धर्म और जाति के नाम पर इस तरह के कोई इश्यूज ही नहीं हैं तो फिर इस बिल की क्या आवश्यकता है? (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं क्योंकि मंत्री जी ने मेरा नाम लेकर बोला है। (शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से डॉ. कादियान को कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने आपके बारे में कुछ नहीं कहा है बल्कि आपकी पार्टी ने जो व्यवहार किया है उसके बारे में कहा है। 1947 में देश का विभाजन आपकी पार्टी ने ही किया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, मैंने यह बात माननीय सदस्य डॉ. कादियान जी को इसलिए कही है क्योंकि इन्होंने शुरूआत ही हिन्दुस्तान के विभाजन से की थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री शमशेर सिंह गोगीः अध्यक्ष महोदय, हम जिस विधान सभा में बैठे हुए हैं यह एक संवैधानिक संस्था है और मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारे संविधान में देश के

लिए कोई धर्म निर्धारित किया गया है? देश का कोई धर्म नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः गोगी जी, देश में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री शमशेर सिंह गोगीः अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कह रहा हूं कि इस देश में बहुत धर्मों के लोग रहते हैं लेकिन संविधान में देश का कोई धर्म नहीं बताया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः गोगी जी, देश में हर धर्म के लोग रहते हैं इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। (शोर एवं व्यवधान)

श्री शमशेर सिंह गोगीः अध्यक्ष महोदय, जब देश के संविधान में ही देश के लिए कोई धर्म निर्धारित नहीं किया गया तो इस संवैधानिक संस्था में यहां बैठ कर असंवैधानिक कानून कैसे बनाया जा सकता है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः गोगी जी, यह कानून असंवैधानिक नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री शमशेर सिंह गोगीः अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल असंवैधानिक है। जिसके बारे में संविधान में ही जिक्र नहीं है उसके ऊपर आप कानून कैसे बनायेंगे? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी गोगी जी को कहना चाहता हूं कि इस बिल में किसी धर्म का जिक्र नहीं किया गया है। वे एक बार इसको अच्छी तरह से पढ़ लें। इस बिल में एक धर्म से दूसरे धर्म की बात कही गई है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, जब बिल इंट्रोड्यूस होता है तो उस समय माननीय सदस्य उस पर बोल सकते हैं। स्पीकर साहब उसमें टाइम लिमिट लगा सकते हैं लेकिन हर सदस्य को उस पर बोलने का अधिकार है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री विज साहब जी को करैक्ट करना चाहूंगा। उन्होंने जो कहा कि देश का विभाजन इस तरह हुआ था, उस तरह हुआ था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, देश के विभाजन का जिक्र मैंने नहीं किया बल्कि कादियान साहब ने किया था। कादियान साहब ने अपनी बात की शुरूआत ही वहां से की थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान जब बना तब इंडियन पार्टिशन एक्ट प्रोविजनल पार्लियामैंट ने पास किया था तब उसमें से एक भाग पाकिस्तान बना और दूसरा भाग इंडिया बना। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था और इनकी पार्टी ने उस पर मोहर लगाई थी। इनकी पार्टी साम्प्रदायिक पार्टी है जिसने धर्म के आधार पर देश का विभाजन किया।(शोर एवं व्यवधान)

श्री आफताब अहमदः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हमारी पार्टी साम्प्रदायिक पार्टी है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आफताब जी, आप बैठ जाइये। अभी गोगी जी कह रहे थे कि भारत के संविधान में धर्म के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। मैं पढ़ कर सुनाता हूं:–

Freedom of consensus, Freedom of profession, Practice and Propagation of Religion.

यह संविधान के अन्दर दिया गया है जबकि गोगी जी, आप कहते हैं कि संविधान में धर्म के बारे में नहीं दिया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, यह सच है कि हिन्दुस्तान का बंटवारा हिन्दु और मुसलमान के आधार पर ही हुआ था और कांग्रेस पार्टी ने उस पर मोहर लगाई थी।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, यह बिल विभाजनकारी नीतियों की नीयत को दर्शाता है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. अभय सिंह यादव (नांगल चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि इस बिल में एम्स एण्ड ऑब्जैक्टिव दे रखे हैं कृपा ये लोग उन पर एक बार नजर डालें। इसमें कहीं भी न किसी धर्म का नाम है, न यह किसी धर्म के पक्ष में है और न ही किसी धर्म के अगेंस्ट है। सिम्पली यह एक्ट किसी भी गलत तरीके से, धोखे से, चालबाजी से किसी एक धर्म में दूसरे धर्म को लाने वाले व्यक्ति का है। यह किसी एक धर्म पर टारगेटिड नहीं है और न ही यह बिल किसी धर्म को टारगेट कर रहा है और न ही किसी धर्म के अगेंस्ट है। संविधान के अनुसार यह इण्डिया सैकुलर कंट्री(धर्म निरपेक्ष) है जिसमें हर आदमी को अपने धर्म की रक्षा करने का, अपने धर्म का प्रचार करने का हक होगा। यह एक्ट सभी धर्मों की प्रोटैक्शन के लिए लाया गया है। इसमें किसी धर्म विशेष को बिल्कुल भी डिफाइन नहीं किया गया है इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस

बिल को धर्म के नाम पर न बाटें। (शोर एवं व्यवधान) ये लोग तो इसमें किसी विशेष धर्म की बात कर रहे हैं लेकिन हम तो सभी धर्मों की बात कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) हम किसी विशेष धर्म की बात नहीं कर रहे हैं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, इस बिल में हिन्दु, मुस्लिम, सिख, ईसाई का कहीं कोई जिक्र नहीं है। इस बिल में कहीं किसी धर्म का जिक्र नहीं है।(शोर एवं व्यवधान)

डॉ. अभय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, ये लोग इस एक्ट को जबरदस्ती किसी विशेष धर्म से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा यही निवेदन है। धन्यवाद। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, क्या हम इस बिल का विरोध भी नहीं कर सकते। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, इसमें पहली बात तो यह है कि इस एक्ट में किसी धर्म का कोई नाम नहीं लिखा है और यह बात हमारे माननीय सदस्यों ने भी बताई है।

श्री बिशन लाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, लेकिन इस बिल में धर्म का नाम छुपा हुआ नजर आ रहा है।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं छुपे हुए के बारे में ही बता रहा हूं कि इसमें छुपा हुआ क्या है? इसमें जो छुपा हुआ है उसको रोकना है इसीलिए ही यह बिल लाया गया है। आज तक जो छुपी हुई बातें होती रही हैं वह छुपी हुई बात आगे के लिए बंद हो जाएं उसी के लिए यह बिल लाया गया है। अगर आपको इसको स्वीकार करना हो तो बता देना उसके बाद आपको किस कैटेगरी में खड़ा करना होगा वह हम बता देंगे। इसके सैक्शन–3(क) में लिखा है कि–

> कोई भी व्यक्ति मिथ्या निरूपण द्वारा बल प्रयोग, धमकी, अनुचित प्रभाव, प्रपीड़न, प्रलोभन या डिजिटल ढंग के उपयोग सहित किन्हीं कपटपूर्ण साधनों द्वारा; या
> विवाह द्वारा या विवाह के लिए,
> या तो प्रत्यक्षतः या अन्यथा से किसी अन्य व्यक्ति का एक धर्म से अन्य धर्म में परिवर्तन नहीं करवायेगा या परिवर्तन करवाने का प्रयास नहीं करेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री शमशेर सिंह गोगीः अध्यक्ष महोदय, धर्म एक आस्था का मामला होता है और हमारे संविधान ने धर्म को फ्री छोड़ा हुआ है और कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से धर्म को अपना सकता है इसलिए ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता है। ऐसा कदम धर्म निरपेक्षता पर चोट करने जैसा होगा।

श्री अध्यक्षः गोगी जी, आप बेवजह की शंका जाहिर करने का काम कर रहे हैं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, जिस तरह की शंका विपक्ष के साथियों द्वारा जाहिर की जा रही है, ऐसा कुछ भी इस बिल में नहीं लिखा गया है। ये लोग ध्यान रखे न रखे लेकिन सरकार हर चीज का ध्यान रखती है। मेरा अनुरोध है कि हमारे विपक्ष के साथियों को इस बिल में जो कुछ लिखा गया है, उसको अच्छी तरह से समझने का काम करना चाहिए। सदन के विपक्ष के सदस्यों को पहले पूरी बात को सुनने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसका प्रावधान इस बिल में लिखा हुआ है। इसमें यह प्रावधान लिखा हुआ है कि आप डिप्टी कमिश्नर को एक एप्लीकेशन देंगे कि मैं अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता हूँ और ऐसा करके व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है। इन बैंचों पर बैठने वाले चाहे सारे कर लो हमको क्या आपत्ति है। चाहे सारे कर लो हमको क्या आपत्ति है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी को अपने शब्दों को विद्ड्रा करना चाहिए। हमको माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नही थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं जो कह रहा हूँ सबके लिए कह रहा हूँ केवल आप लोगों के लिए ही नहीं कह रहा हूँ। (शोर एवं व्यवधान) मैं सबके लिए कह रहा हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी की तरफ से इस तरह का गैर जिम्मेवाराना व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए था। यह बहुत गलत बात कही गई है। (शोर एवं व्यवधान) सदन के पटल पर इस तरह का गैर जिम्मेवाराना बयान कदापि नहीं दिया जाना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य शेम–शेम के नारे लगाते हुए अपनी सीटों से उठकर खड़े हो गए।)

श्री अध्यक्षः देखिए, आप सभी अपनी सीटों पर बैठ जायें और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दें। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, जिस तरह का गैर जिम्मेवाराना बयान सदन के नेता के द्वारा दिया गया है इसके लिए सदन के नेता को माफी मांगनी चाहिए।(शोर एवं व्यवधान)

(इस समय डॉ. रघुवीर सिंह कादियान ने हरियाणा विधिविरूद्ध धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक की प्रति को फाड़ दिया।)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, आपने यह ठीक काम नहीं किया है। आपने सदन में इंट्रोड्यूज हुए बिल की प्रति को फाडकर, सदन की तौहीन करने का काम किया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता से ऐसे व्यवहार की हमें बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं थी। मुख्यमंत्री जी को अपने शब्दों को विद्ड्रा करना चाहिए। (शेम शेम की आवाजें)

श्री अध्यक्षः सुनिए, रघुवीर सिंह कादियान जी ने जो सदन में इंट्रोड्यूज की अनुमति हुए बिल की प्रति को फाड़कर सदन की तौहीन करने का काम किया है, यदि वह इसके लिए माफी नहीं मांगते हैं तो उनके इस कार्य के लिए उन्हें निष्कासित करने की चेतावनी देता हूँ। (शोर एवं व्यवधान) कादियान जी ने सदन के अंदर बिल की प्रति फाड़कर सदन की तौहीन करने का काम किया है। कादियान साहब, आप अपने इस कार्य के लिए सदन से माफी मांगे।

(इस समय इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री आफताब अहमद, डॉ. रघुवीर सिंह कादियान, श्री इंदुराज नरवाल, श्रीमती शकुंतला खटक, श्री जगबीर सिंह मलिक, श्री भारत भूषण बतरा श्री राजेन्द्र सिंह जून सदन की वैल में आकर खड़े हो गए और माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ तर्क–वितर्क करने लग गए तथा अन्य कई विधायक अपनी सीट पर ही खड़े होकर शेम शेम के नारे लगाने लग गए।)

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, आपको इस तरह निर्णय के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः देखिए, कादियान जी ने सदन में बिल की प्रति को फाड़कर सदन की तौहीन करने का काम किया है। इस बिल को हाउस के अंदर इंट्रोड्यूज करने की अनुमति हो चुकी है। बिल को इंट्रोड्यूज करने की अनुमति होने के बाद डिस्कशन शुरू हुई है। (शोर एवं व्यवधान) बिल को इंट्रोड्यूज होने की अनुमति के बाद डिस्कशन शुरू हुई है। (शोर एवं व्यवधान) बिल को इंट्रोड्यूज होने की अनुमति से पहले डिस्कशन शुरू नहीं हो सकती। (शोर एवं व्यवधान) बिल के इंट्रोड्यूज होने की अनुमति के बाद ही डिस्कशन हो रही है। (शोर एवं व्यवधान) बिल को इंट्रोड्यूज होने की अनुमति हो चुकी है। (शोर एवं व्यवधान) सदन में बिल के इंट्रोड्यूज होने के अनुमति के बाद ही कादियान जी ने बिल की प्रति को फाड़ने का काम किया है। (शोर एवं व्यवधान) मुख्यमंत्री जी ने जो बातें कहीं हैं और जो इस बिल की भावना है, उसको कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य अपोज करने का काम

कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) आप लोग अपोज कर रहे हो। (शोर एवं व्यवधान) देखिए, मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि जो भी सदस्य वैल में हैं वे अपनी सीटों पर चले जायें । (शोर एवं व्यवधान) आप अपनी सीटों पर जाइये। (शोर एवं व्यवधान) आप अपनी सीटों पर चले जाइये प्लीज। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने जो बातें कहीं हैं, हमें उनसे ऐसे शब्दों की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। (शोर एवं व्यवधान)

परिवहन मंत्री (पंडित मूल चंद शर्मा): अध्यक्ष महोदय, कादियान जी, अपनी पार्टी के नेता राहुल गांधी के पद चिन्हों पर चलने का काम कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) पहले राहुल गांधी ने ऐसा काम किया था और अब कादियान जी ने भी वैसा ही काम कर दिया। (शोर एवं व्यवधान) कादियान जी गांधी परिवार के पद चिन्हों पर चलने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग सदन की मर्यादा के खिलाफ काम कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः देखिए, मैं इस तरह के बर्ताव को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करूंगा। (शोर एवं व्यवधान) आप लोग अपनी सीटों पर जाइये। (शोर एवं व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री अनिल विज): अध्यक्ष महोदय, आप मार्शल को बुलायें और इन्हें सदन से बाहर निकालें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः देखिए, आप लोग अपनी सीटों पर चले जाइये। (शोर एवं व्यवधान)

पंडित मूल चंद शर्माः अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के ये सदस्य राहुल गांधी के पद चिन्हों पर चलने का काम कर हैं। (शोर एवं व्यवधान) पहले राहुल गांधी ने भी उनकी सरकार द्वारा पास किए गए अध्यादेश की प्रतियां फाड़ी थी और अब उसके चाचा ने बिल की प्रति फाड़ दी है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, आपको जवाब देना ही होगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं ऐसा बर्ताव किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करूंगा। (शोर एवं व्यवधान) आप लोग अपनी–अपनी सीट्स पर जाइये। (शोर एवं व्यवधान)

पंडित मूल चंद शर्माः अध्यक्ष महोदय, यह किस बात की कांग्रेस है। (शोर एवं व्यवधान) ये लोग मर्यादा के खिलाफ काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इनको आप

बाहर करने का काम करें। (शोर एवं व्यवधान) ये लोग नेहरू खानदान की हरकतों की यहां पर पुनरावृत्ति करने की कोशिश कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः देखिए, बिल पास नहीं हुआ है। बिल अभी इंट्रोड्यूज हो रहा है। सदन के अंदर जब बिल इंट्रोड्यूज की अनुमति के लिए आ गया तो ऐसी स्थिति में that is a part of the business.

श्रीमती शकुंतला खटकः अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी को इस तरह का अव्यवहारिक बयान नहीं देना चाहिए था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः शकुंतला जी, आप अपनी सीट पर जाइये। (शोर एवं व्यवधान) I will not allow कि सदन के अंदर इस प्रकार का व्यवहार किया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, आप लोग अपनी–अपनी सीटों पर जाकर बैठ जाये। इस तरह हाउस नहीं चलता है। (शोर एवं व्यवधान) माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इसका जवाब दे देंगे लेकिन विपक्ष को इस तरह से हाउस में व्यवहार नहीं करना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

पंडित मूल चंद शर्माः अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी की नीति गलत है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, आप इस तरह से सदन के अंदर बिल की कॉपी नहीं फाड़ सकते। (शोर एवं व्यवधान) जब सदन के अंदर बिल की इंट्रोडयूज की अनुमति हो गई तो वह हाउस की प्रोसीडिंग्ज का पार्ट बन गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मलिक साहब व सभी माननीय सदस्यगण, आप लोग अपनी–अपनी सीटों पर जाकर बैठें। (शोर एवं व्यवधान) सदन की मर्यादा का हनन न होने दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शुकंतला खटकः अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात तो सुनिये। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, आप सदन के कस्टोडियन हैं और आपका लैवल बहुत बड़ा है। You are the Head of this august House.

श्री अध्यक्षः अध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों को आखिरी बार कह रहा हूँ कि आप लोग अपनी–अपनी सीटों पर बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान) This is not respect of the Chair.

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात तो सुनिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान साहब, आप स्वयं अध्यक्ष रह चुके हैं और बहुत ही सीनियर सदस्य हैं, इसलिए आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। (शोर एवं व्यवधान) आपको इस तरह का व्यवहार सदन में नहीं करना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में बताना चाहता हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान साहब, आप सदन की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) इस प्रकार से सदन की मर्यादा की तोहीन हुई है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मैं जो बात कह रहा हूँ उसको तो एक बार सुन लीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जवाब देने के लिये खड़े हो गये हैं, इसलिए सभी माननीय सदस्यगण अपनी–अपनी सीटों पर बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान) यह महान सदन विपक्ष द्वारा इस प्रकार का किया गया व्यवहार कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, चूंकि जिस प्रकार की चर्चाएं चली थीं और इस बिल का हेतु क्या है, उसको बताते हुए यह सही है कि शायद उत्तेजना में मेरे से कुछ शब्द निकले हैं कि यदि आप लोग धर्म परिवर्तन के पक्ष में हों तो आप कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि माननीय विपक्ष के सदस्यों को इससे कोई ठेस पहुँची है तो मैं अपने शब्द को वापिस लेता हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान साहब, आपने जो एक्ट किया है, वह ठीक नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने शब्द वापिस ले लिये हैं तो मैं भी अपने शब्द वापिस लेता हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान साहब, आपने तो सदन की तौहीन की है। (शोर एवं व्यवधान)

पंडित मूल चंद शर्माः अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के नेता श्री चन्द्र मोहन जी ने भी धर्म परिवर्तन किया था। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. कमल गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, इनकी तो पार्टी ही ऐसी है । (शोर एवं व्यवधान) यह तो इनकी आदत है । श्री राहुल गांधी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह की कैबिनेट द्वारा पास किये गए एक अध्यादेश की कॉपी को फाड़ दिया था । (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : ऑनरेबल स्पीकर सर, आपका भी ऑब्जैक्शन है और माननीय सदस्यों का भी ऑब्जैक्शन है । सदन में जो बिल इंट्रोड्यूज के लिए आया था उस पर मेरा कहना है कि हमें बिल पर 2 स्टेजिज पर बोलने का राइट है – पहली इंट्रोडक्ट्री स्टेज और दूसरी पासिंग स्टेज । जब हम बिल पर बोल रहे थे तो डिस्कशन पर अलग–अलग लोगों ने अपने–अपने विचार रखे । उसमें स्पीकर की पावर है और उसमें आप देखोगे कि it is not a fit Bill. यह फिट इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें जोर–जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन करने बारे लिखा है । जोर–जबरदस्ती एक ऐसा वर्ड है । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : रघुवीर सिंह जी, इस समय यह विषय नहीं है ।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, यह बात तो आई.पी.सी. में भी है और जब यह आई.पी.सी. में है तो फिर इसके लिए कानून बनाने की क्या जरूरत है ? (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. कमल गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सदन में कागज फाड़े हैं और सदन में कागज फाड़ना गलत है । (विघ्न)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, कागज फाड़ने का प्रश्न नहीं है क्योंकि It is a simple paper.

Mr. Speaker: No, it is not a simple paper. After the leave for the introduction of the Bill, it has become the part of the House. वह बिल इंट्रोडक्शन की अनुमति के बाद असैम्बली की कार्यवाही का एक पार्ट बन चुका है । (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, उस समय वह बिल पूरी तरह से इंट्रोड्यूज नहीं हुआ था । It was a simple paper. (Interruption)

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, बिल के इंट्रोडक्शन की अनुमति होने के बाद ही उस पर चर्चा हुई थी ।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, जब तक बिल पास नहीं होता तब तक वह लीगल डॉक्यूमैंट नहीं बनता । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, बिल के इंट्रोड्यूज होने की अनुमति के बाद भी वह एक लीगल डॉक्यूमैंट बन जाता है ।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, अगर बिल के इंट्रोड्यूज होने की अनुमति के बाद वह एक लीगल डॉक्यूमैंट बन जाता है तो हमें इसका सबूत दिखा दीजिए ।

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, अगर बिल के इंट्रोड्यूज होने की अनुमति के बाद वह एक लीगल डॉक्यूमैंट नहीं बनता है तो आप हमें इसका सबूत दिखा दीजिए । (शोर एवं व्यवधान)

Shri Anil Vij : Speaker Sir, it is the property of the House. When leave has been granted to introduce the Bill in the House, it is the property of the House.

Mr. Speaker : Every Bill is a constitutional paper.

(इस समय इण्डियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य डॉ. रघुवीर सिंह कादियान, श्री जगबीर सिंह मलिक और श्रीमती शकुंतला खटक सदन की वैल में आ गए और अध्यक्ष महोदय से इस बारे में तर्क–वितर्क करने लगे ।)

डॉ. कमल गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सदन में एक शर्मनाक एक्ट किया है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, बिल के इंट्रोड्यूज होने की अनुमति के बाद वह एक लीगल डॉक्यूमैंट बन चुका है । अतः अब आप सदन से माफी मांगिये । माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी कहा है कि सदन में आपने जो एक्ट किया है वह गलत किया है । सदन की मर्यादा बनाए रखना बहुत जरूरी है । आपने जो काम किया है वह गैर–जिम्मेदाराना है । वह सदन की मर्यादा के बिल्कुल खिलाफ है । (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय सदन में भारतीय जनता पार्टी के भी कई माननीय सदस्य नारेबाजी करने लगे ।)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं क्योंकि आप युनानीमसली हरियाणा विधान सभा के स्पीकर चुने गए थे । आप विधान सभा में उस समय स्पीकर चुने गए थे जब मैजोरिटी की सरकार नहीं थी और 2 दलों ने सरकार बनाई थी । एक दल कहता था 75 पार और दूसरा दल कहता था यमुना पार । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, इस बात का आपके कार्य से क्या मतलब है ? सरकार तो मैजोरिटी की ही है । कोई भी सरकार बनती है तो वह मैजोरिटी से ही बनती है । अतः हमारी सरकार भी मैजोरिटी की सरकार है । कोई भी व्यक्ति अल्पमत की सरकार से स्पीकर नहीं बन सकता ।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं । उस समय आपने कहा था कि मैं सभी को अपनी दो आंखों से देखूंगा । मेरा कहना है कि आप मुझे दो आंखों से न सही एक आंख से ही देख लो । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, मैंने यह भी कहा था कि मैं सदन की मर्यादा भंग नहीं होने दूंगा ।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, हम भी सदन की मर्यादा को भंग नहीं करेंगे । मैं सदन को बताना चाहता हूं कि कल भी मुझ पर कटाक्ष किये गए थे कि मुझ पर एक्शन होना चाहिए। मेरे ऊपर जिन माननीय सदस्यों ने कटाक्ष किया, उनके बारे में मेरा कहना है कि जब मैं चौधरी देवी लाल जी के पीछे बैठता था तो उन माननीय सदस्यों का उस वक्त जन्म भी नहीं हुआ था। स्पीकर सर, हम भी मर्यादाओं में रहकर अपनी बात रखते हैं और उसमें अगर सदन में कोई ऐसी बात हुई है, जैसी आपकी फीलिंग है तो मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं। मैं सदन से ऊपर नहीं हूं। मैं सदन का 90 वां हिस्सा हूं। यहां पर हर सदस्य प्रजातंत्र में अपने हल्के के लोगों को रिप्रजैंट करता है और मैं भी अपने हल्के के लोगों को रिप्रजैंट करता हूं। अगर आप इस तरह की कोई बात फील करते हैं तो मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं। आप जो भी फैसला लेना चाहते हैं, वह ले सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, मैंने इस संबंध में पहले ही आपको चेतावनी दी है।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, आपने इस संबंध में क्या फैसला किया है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान साहब, आपने जो कार्य किया है, अगर उस पर आप पश्चाताप करते हैं तो उसको कंसीडर किया जा सकता है।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः स्पीकर सर, मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं और इससे ऊपर कोई पश्चाताप नहीं है। यह समझने की बात है।

श्री अध्यक्षः कादियान जी, आपने सदन का अपमान किया है।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः स्पीकर सर, वह सिर्फ एक कागज था। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, आपने सदन में बिल को फाड़ा है, इसलिए आपके इस कार्य से सदन का अपमान हुआ है।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः स्पीकर सर, वह एक प्रिंटिड कागज था।

श्री अध्यक्षः कादियान जी, आपके लिए वह सिर्फ एक कागज होगा, लेकिन वह सदन में प्रस्तुत किया हुआ एक डाक्यूमैंट था और उस पर सदन में चर्चा हो रही है।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, अगर कोई ऐसी बात रूल बुक में है तो उसके बारे में बता दें कि वह लीगल डाक्यूमैंट था। इसके बाद आप जो फैसला करेंगे वह मुझे मंजूर होगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, सदन में कोई भी डाक्यूमैंट फाड़ना सदन की अवमानना है।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः स्पीकर सर, (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 अभय सिंह यादवः स्पीकर सर, माननीय सदस्य डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान जी खुद स्पीकर रह चुके हैं। ये जिस रूल बुक की बात कर रहे हैं उसमें से पढकर स्वयं ही बता दें कि सदन में डाक्यूमैंट को फाड़ने का अधिकार कौन देता है ?

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः स्पीकर सर, as and when कोई बिल इन्ट्रोड्यूस होता है तो that is not a legal document.

डॉ0 अभय सिंह यादवः स्पीकर सर, माननीय सदस्य यह बात रूल बुक में से पढ़कर बता दें कि पास किये हुए बिल को भी फाड़ने का अधिकार कौन सा रूल देता है ?

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः स्पीकर सर, मेरा कहना यह है कि वह लीगल डाक्यूमैंट नहीं था।

श्री अध्यक्षः कादियान जी, वह कागज नहीं था बल्कि वह लीगल डाक्यूमैंट था।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः स्पीकर सर, मैंने यहां पर 3 कृषि काले कानूनों को फाड़ा था क्योंकि वह हिन्दुस्तान के किसानों के ऊपर अटैक था। उनसे किसानों की आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाती।

श्री अध्यक्षः कादियान जी, आपकी कागज फाड़ने की प्रवृत्ति है, उसको बन्द करना पड़ेगा।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः स्पीकर सर, मैं आज भी कहता हूं कि मैंने 3 काले कृषि कानूनों को फाड़ा था।

श्री अनिल विजः स्पीकर सर, (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः स्पीकर सर, मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या संबंधित बिल इन्ट्रोड्यूस हो गया था ?

श्री अध्यक्षः गीता जी, वह बिल इन्ट्रोड्यूस होने की अनुमति हो गयी थी, उसके बाद ही उस पर बहस शुरू हुई है।

श्री आफताब अहमदः स्पीकर सर, आपके द्वारा बिल इन्ट्रोड्यूस नहीं बोला गया था।

श्री अध्यक्षः आफताब जी, बिल इन्ट्रोड्यूस होने के बाद ही उस पर चर्चा होती है। उससे पहले बिल पर चर्चा नहीं होती।

Shri Anil Vij: Speaker Sir, he is continuously disobeying the chair. मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस संबंध में अपना फैसला सुना दें।

श्री जगबीर सिंह मलिकः स्पीकर सर, माननीय मंत्री जी को पॉजीटिव बातें करनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विजः स्पीकर सर, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस संबंध में अपना फैसला सुना दें। इस तरह से हाउस नहीं चल सकता है।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः स्पीकर सर, आप पहले मेरी दलील सुन लें।

मोहम्मद इलियासः स्पीकर सर, मुझे भी अपनी बात रखने के लिए समय दिया जाए।

श्री अध्यक्षः सभी माननीय सदस्यगण बैठ जाएं। पहले मुझे इस संबंध में फैसला करने दें। कादियान जी, अब अपनी बात रखेंगे।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः स्पीकर सर, हाउस के अन्दर जो इस तरह की बात हुई है और आपस में माननीय सदस्यों की भी तकरार और तकलीफ हुई है। इसमें मेरा सब्मिशन यह है कि कोई रूल बुक यह नहीं कहती कि बिल इन्ट्रोडक्शन के बाद वह लीगल डॉक्यूमैंट है। अगर वह लीगल डॉक्यूमैंट है तो मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं।

श्री अध्यक्ष : डॉ. साहब, यह भावनाओं की कद्र की बात नहीं है। आपने हाउस की मर्यादा का हनन किया है। (विघ्न) मैंने इस बिल को इंट्रोड्यूस करने की परमीशन दी है और उसके बाद ही इस पर चर्चा शुरू हुई है।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, इससे एक हिस्टोरिकल फैक्ट आयेगा।

श्री अध्यक्ष : डॉ. साहब, हां बिल्कुल।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, हिस्टोरिकल फैक्ट यह है कि एक ऐसा बिल, ऐसा पेपर जो विभाजनकारी नीतियों को दर्शाता है, ठीक नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डॉ. साहब, आपके लिए यह बिल कागज का टुकड़ा हो सकता है। वह आपके लिए कुछ भी हो सकता है लेकिन हाउस के लिए वह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है और यह सदन का पेपर भी है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, इस बात पर तो देश बंट गया था। इसी बात पर विभाजनकारी नीतियों की नीयत स्मैल करती है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डॉ. साहब, विभाजनकारी नीतियां आपकी होंगी लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मेरा काम सदन की मर्यादा को बनाये रखना है। (शोर एवं व्यवधान) मैं सदन को बाधित करने वाली किसी भी कार्रवाई को अलाऊ नहीं करूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, हम राष्ट्र भक्त लोग हैं। हम सब हिन्दुस्तानी हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डॉ. साहब, आपकी राष्ट्रभक्ति पर क्वैश्चन कौन खड़ा कर रहा है? आप जिस प्रकार से रिएक्ट कर रहे हो और आपका जिस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, वह मैं समझता हूँ कि आपकी अनुभवी राजनीतिज्ञता के हिसाब से नहीं होना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, आपकी 73 साल उम्र हो गई है। आपकी नॉलेज में ऐसा कोई केस आया हो तो बताओ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डॉ. साहब, मेरी नॉलेज में तो बहुत केसिज हैं, मैं उनके बारे में आपको बाद में बता दूंगा। मुझे यहां पर बताने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इस बारे में बाद में बता दूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी नॉलेज में बहुत सारे केसिज है तो आप उन केसिज में से कम से कम एक केस को यहां सदन में कोट करके दिखाओ, मैं तब मानूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डॉ. साहब, सदन की कुछ मर्यादायें होती हैं और यह हम सब का कर्त्तव्य है कि हम उन मर्यादाओं का अच्छी तरह से पालन करे। प्लीज, आप बैठ

जायें और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दें। डॉ. साहब यह सदन की मर्यादा का मामला है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलराज कुंडू : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कुंडू जी, प्लीज आप बैठ जायें, मुझे पहले इनके मामले पर कोई निर्णय करने दो। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1987 से इस हाउस का मैम्बर हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डॉ. साहब, तभी तो मुझे इस बात का दुख है कि आप जैसे सीनियर सदस्य जो स्पीकर भी रहे हैं, अगर वह सीनियर सदस्य इस प्रकार का व्यवहार करे तो ठीक नहीं है। अगर कोई नया सदस्य ऐसा करता तो शायद कुछ और बात होती। आप जैसे नेता इस महान सदन के सीनियर सदस्य हैं और आप खुद इस हाउस के स्पीकर भी रहे हैं। अगर आप ऐसा व्यवहार करेंगे तो फिर बाकी माननीय सदस्यों के लिए बहुत ही गलत मैसेज जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य उदाहरण पूछ रहे हैं। मैं इनको वर्ष 2021 का ताजा उदाहरण बताना चाहूंगा और मैं यह बात बहुत जिम्मेवारी के साथ बता रहा हूं। जिस पर एक्शन भी चल रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुख्यमंत्री जी, एक मिनट पहले मुझे इनके मामले पर निर्णय करने दो आप इनके बारे में बाद में बता देना। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो बात करनी थी वह यह है कि मैंने जो रिएक्ट किया है वह मैंने मार्यादाओं के अनुरूप किया है। मैंने कोई काम मर्यादा से बाहर नहीं किया है। मैंने जो डॉक्यूमैंट फाड़ा है, वह विभाजनकारी नीतियों की स्मैल करता है। इस तरह के कानून विधान सभा में नहीं आने चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डॉ. साहब, मेरा निर्णय यह है कि आपने एक लीगल डॉक्यूमैंट को फाड़ने का काम किया है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, हजारों साल का तानाबाना तोड़ने का काम किया गया है। आरक्षण के नाम पर एक और 35 बिरादरी का नारा दिया गया था। जात पात के नाम पर देश को बांटने का काम किया गया। (शोर एवं व्यवधान)

आप लोग यहां जात पात के नाम पर बैठे हुए हो। आप जातपात के नाम पर बांटने वाले लोग हैं, धर्म के नाम पर बांटने वाले लोग हैं।

श्री अध्यक्ष : डॉ. साहब, आपकी इस बात का इस बिल के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) मैं आपसे कह रहा हूं कि इस बिल से आपकी इस बात का कोई सम्बन्ध नहीं है। न तो यह बिल विभाजन करने वाला है और न ही रोकने वाला है।

शहरी स्थानीय निकाय एवं आवासीय मंत्री (डॉ. कमल गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, आपने जो निर्णय लिया है उसकी पालना की जाये।

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, आप कहते हो कि सदन का कंटेम्प्ट हुआ है। इस बारे में मैं आपके सामने आपकी रूल बुक के हिसाब से ही बताना चाहूंगा कि आप जो फैसला कर रहे हैं, उस फैसले में प्रिज्यूडिस इमीडियटली यह है.....। (विघ्न) मैं इसे पढ़ देता हूं। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, आप इस पर कोई चर्चा नहीं कर सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

परिवहन मंत्री (पंडित मूल चन्द शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, बतरा जी, सदन को गुमराह कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, आप स्ट्रेट–वे किसी मैम्बर को एक्सपैल करने के लिए चेतावनी नहीं दे सकते ।

श्री अध्यक्षः सदन की गरिमा और मर्यादा को बनाए रखने के लिए किसी भी सदस्य को बाहर निकाला जा सकता है, यह स्पीकर का अधिकार है । (शोर एवं व्यवधान)

Shri Bharat Bhushan Batra: If it is contempt of the House, this matter should be referred to the Privileges Committee then you take a decision thereon. If you are taking straightway decision then it is against the principles of natural justice. (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Yes, I am taking a decision because it is within my purview**,** सदन की गरिमा और मर्यादा को बनाए रखने के लिए किसी भी विधायक को या कोई भी जो हाऊस में डिस्टरबैंस करता है, उसको हाऊस से बाहर निकालने का अधिकार स्पीकर के पास है । यह अधिकार स्पीकर के पास है।

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि यह मामला प्रिविलेजिज कमेटी को मूव करो इसलिए मैं इनको ही कहना चाहता हूं कि ये रूल 97 पढ़ लें । हरियाणा विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बंधी नियमों के नियम 97 (x) **जो** 'Rules to be observed by Members' से सम्बन्धित है, it says-

" 97 Whilst assembly is sitting, a Member-

(i) to (ix) xxx xxx xxx

(x) [5][shall not tear off documents in the House in protest.]"

अगर आप कहते हैं कि रूल्ज फॉलो नहीं हो रहे हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि इन्होंने रूल्ज कमेटी के मैम्बर होते हुए रिसैंटली इस बारे में ओब्जर्वेशन दी है । (शोर एवं व्यवधान) अगर ये चाहते हैं कि हाऊस में सदस्य ने जो पेपर फाड़े हैं तो इसको प्रिविलेज के तौर पर डील किया जाए । (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो आप इस मामले को जरूर प्रिविलेज कमेटी में भेजने का काम करें । (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, अगर आप इस मैटर को प्रिविलेज कमेटी में भेजकर मेरी सदस्यता खत्म करना चाहते हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि मैं एक महीने के बाद यहीं इनकी छाती पर मूंग दलूंगा । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, मैं आपको लास्ट टाइम कह रहा हूं कि आप सदन से माफी मांगें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय इनको बाहर निकाला जाए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप वत्सः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी इस प्रकार धमकी नहीं दे सकते ।(शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय कांग्रेस पार्टी के सदन में उपस्थित सभी सदस्य तथा ट्रेजरी बैंचिज की तरफ के भी कई सदस्य अपनी–अपनी सीटों पर खड़े होकर एक दूसरे पर आरोप–प्रत्यारोप करने लगें)

श्री अध्यक्षः कादियान साहब, आप हाउस से माफी मांगे अन्यथा मुझे आपके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय,..... (शोर एवं व्यवधान)

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने हाऊस की गरिमा को तोड़ने का काम किया है इसलिए रूल्ज 280 के तहत मैं चाहूंगा कि आप एक कमेटी बनाकर माननीय सदस्य ने जो हाउस की गरिमा को तोड़ा है इसके विरूद्व भी रूल 280 के तहत एक प्रिवीलेज मोशन मूव करने का काम करें । (शोर एवं व्यवधान)

सदस्य का निलंबन

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मुझे माननीय संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

> ''कि डॉ. रघुबीर सिंह कादियान, विधायक को उनके दुर्व्यवहार, अति अनुत्तरदायी व्यवहार, इस महान सदन के सदस्य के अनुचित होने तथा सदन में उनके बहुत अनियमित आचरण के लिए वर्तमान सत्र की शेष बैठकों के लिए सदन की सेवा से निलंबित किया जाये।''

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

> ''कि डॉ. रघुबीर सिंह कादियान, विधायक को उनके दुर्व्यवहार, अति अनुत्तरदायी व्यवहार, इस महान सदन के सदस्य के अनुचित होने तथा सदन में उनके बहुत अनियमित आचरण के लिए वर्तमान सत्र की शेष बैठकों के लिए सदन की सेवा से निलंबित किया जाये।''

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

> ''कि डॉ. रघुबीर सिंह कादियान, विधायक को उनके दुर्व्यवहार, अति अनुत्तरदायी व्यवहार, इस महान सदन के सदस्य के अनुचित होने तथा सदन में उनके बहुत अनियमित आचरण के लिए वर्तमान सत्र की शेष बैठकों के लिए सदन की सेवा से निलंबित किया जाये।''

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

श्री भारत भूषण बतरा : स्पीकर सर, (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप वत्स : स्पीकर सर, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मार्शल, आप सस्पैंड किये गये सदस्य डॉ. रघुवीर सिंह कादियान जी को हाउस से बाहर निकालें।

(कुछ समय पश्चात् डॉ. रघुवीर सिंह कादियान स्वयं ही सदन से बाहर चले गए।)

वॉक–आऊट

(इस समय इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदन में उपस्थित सभी सदस्य डॉ. रघुवीर सिंह कादियान को सैशन की शेष अवधि के लिए सस्पैंड किये जाने के विरोधस्वरूप सदन से वॉक–आउट कर गये।)

विधान–कार्य (पुनरारम्भ)

दि हरियाणा प्रिवैंशन ऑफ अनलॉफुल कंवर्जन ऑफ रिलीजन बिल, 2022 (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय गृहमंत्री हरियाणा विधिविरूद्ध धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक, 2022 पुरःस्थापित करेंगे।

गृह मंत्री (श्री अनिल विज) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा विधिविरूद्ध धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक, 2022 पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, हरियाणा विधिविरूद्ध धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक, 2022 पुरःस्थापित हुआ।

(विधेयक पुरःस्थापित हुआ)

———

(2) दि हरियाणा प्रोहिबिशन ऑफ चेंज ऑफ पब्लिक यूटीलिटीज बिल, 2022

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय उप मुख्यमंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि हरियाणा लोकोपयोगिताओं के परिवर्तन का प्रतिषेध विधेयक, 2022 पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ–

> कि हरियाणा लोकोपयोगिताओं के परिवर्तन का प्रतिषेध विधेयक, 2022 पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

> कि हरियाणा लोकोपयोगिताओं के परिवर्तन का प्रतिषेध विधेयक, 2022 पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

> कि हरियाणा लोकोपयोगिताओं के परिवर्तन का प्रतिषेध विधेयक, 2022 पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
अनुमति प्रदान की गई।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय उप मुख्यमंत्री हरियाणा लोकोपयोगिताओं के परिवर्तन का प्रतिषेध विधेयक, 2022 पुरःस्थापित करेंगे।

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा लोकोपयोगिताओं के परिवर्तन का प्रतिषेध विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, हरियाणा लोकोपयोगिताओं के परिवर्तन का प्रतिषेध विधेयक, 2022 पुरःस्थापित हुआ।

(विधेयक पुरःस्थापित हुआ)

वर्ष 2021–22 के लिए अनुपूरक अनुमान (तीसरी किस्त) प्रस्तुत करना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय वित्त मंत्री वर्ष 2021–22 के लिए अनुपुरक अनुमान (तीसरी किस्त) प्रस्तुत करेंगे।

वित्त मंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2021–22 के लिए अनुपुरक अनुमान (तीसरी किस्त) प्रस्तुत करता हूं।

प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब श्री सुभाष सुधा, चेयरपर्सन, प्राक्कलन समिति, वर्ष 2021–22 के लिए अनुपुरक अनुमानों (तीसरी किस्त) पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

Chairperson, Committee on Estimates (Shri Subhash Sudha) : Sir, I beg to present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates (Third Instalment) for the year 2021-22.

वर्ष 2021–22 के लिए अनुपूरक अनुमानों (तीसरी किस्त) की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

13:00 बजे

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 2021–22 के लिए अनुपूरक अनुमानों (तीसरी किस्त) पर चर्चा तथा मतदान होगा। पिछली प्रथानुसार और सदन का समय बचाने के लिए ऑर्डर पेपर पर रखी गई सभी डिमाण्ड्ज (संख्या 3, 6, 15, 19, 20, 27, 28, 32 तथा 35) एक साथ पढ़ी गई तथा मूव की गई समझी जायेंगी। माननीय सदस्यगण, किसी भी डिमाण्ड पर चर्चा हरियाणा विधान सभा की प्रक्रिया

तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 201 के तहत ही कर सकते हैं लेकिन बोलने से पहले वे अपनी डिमाण्ड का नम्बर बता दें जिस पर वे बोलना चाहते हैं।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए **1,000 रूपये** से अधिक न हो, मांग संख्या **3—सामान्य प्रशासन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **868,45,11,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या 6—**वित्त** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए **1,000 रूपये** से अधिक न हो, मांग संख्या **15—स्थानीय शासन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1,000 रूपये** से अधिक न हो, मांग संख्या **19—अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **900,00,00,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **20—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **4,000 रूपये** तथा पूंजीगत खर्च के लिए **2,000 रूपये** से अधिक न हो, मांग संख्या **27—कृषि** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए **3,000 रूपये** से अधिक न हो, मांग संख्या **28— पशु पालन तथा डेयरी विकास** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए **1,000 रूपये** से अधिक न हो, मांग संख्या **32—ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **2,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **35–पर्यटन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(कोई सदस्य बोलने के लिए खड़ा नहीं हुआ।)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब विभिन्न डिमाण्ड्ज को सदन में वोटिंग के लिए रखा जायेगा।

मांग संख्या : 03

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए **1,000 रूपये** से अधिक न हो, मांग संख्या **03–सामान्य प्रशासन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

मांग संख्या : 06

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **868,45,11,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **06–वित्त** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

मांग संख्या : 15

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए **1,000 रूपये** से अधिक न हो, मांग संख्या **15–स्थानीय शासन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

मांग संख्या : 19

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1,000 रूपये** से अधिक न हो, मांग संख्या **19–अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

मांग संख्या : 20

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **900,00,00,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **20–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

मांग संख्या : 27

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **4,000 रूपये** तथा पूंजीगत खर्च के लिए **2,000 रूपये** से अधिक न हो, मांग संख्या **27–कृषि** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

मांग संख्या : 28

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए **3,000 रूपये** से अधिक न हो, मांग संख्या **28– पशु पालन तथा डेयरी विकास** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

मांग संख्या : 32 तथा 35

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए **1,000 रूपये** से अधिक न हो, मांग संख्या **32–ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **2,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **35–पर्यटन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

नियम 121 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 121 के अधीन नियम 231, 233, 235 और 266 को निलंबित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं –

कि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231, 233, 235 तथा 266 के उपबंध जहां तक कि वे :–

(i) लोक लेखा समिति,

(ii) प्राक्कलन समिति,

(iii) लोक उपक्रमों संबंधी समिति, तथा

(iv) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए समिति,

के गठन से संबंधित हैं, को वर्ष 2022–2023 के लिए निलंबित किया जाए ।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं –

कि यह सदन अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा को प्राधिकृत करता है कि वह सदन में विभिन्न दलों/ग्रुपों की अनुपातिक संख्या को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2022–2023 के लिए पूर्वोक्त समितियों के सदस्यों को नामजद करें ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231, 233, 235 तथा 266 के उपबंध जहां तक कि वे :–

i. लोक लेखा समिति,

ii. प्राक्कलन समिति,

iii. लोक उपक्रमों संबंधी समिति, तथा

iv. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए समिति,

के गठन से संबंधित हैं, को वर्ष 2022–2023 के लिए निलंबित किया जाए ।

यह भी प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि यह सदन, अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा को प्राधिकृत करता है कि वह सदन में विभिन्न दलों/ग्रुपों की अनुपातिक संख्या को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2022–2023 के लिए पूर्वोक्त समितियों के सदस्यों को नामजद करें ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231, 233, 235 तथा 266 के उपबंध जहां तक कि वेः–

(i) लोक लेखा समिति,

(ii) प्राक्कलन समिति,

(iii) लोक उपक्रमों संबंधी समिति, तथा

(iv) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए समिति, के गठन से संबंधित हैं, को वर्ष 2022–2023 के लिए निलंबित किया जाये।

यह भी प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

> कि यह सदन अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा को प्राधिकृत करता है कि वह सदन में विभिन्न दलों/ग्रुपों की अनुपातिक संख्या को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2022–2023 के लिए पूर्वोक्त समितियों के सदस्यों को नामजद करें।

(प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भ

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भ होगा। श्री हरविन्द्र कल्याण, विधायक राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपने विचार रखेंगे।

श्री हरविन्द्र कल्याण (घरौंडा) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं इस अभिभाषण में सरकार के पिछले कार्यकाल को मिला कर लगभग सवा 7 सालों के सफर की जो उपलब्धियां हैं उनको खास तौर पर देखता हूं। जिसकी कल्पना मुख्यमंत्री जी ने उस समय में की थी और आज भी उसके ऊपर वे काम कर रहे हैं कि कैसे सुशासन युक्त आधुनिक हरियाणा हो और जो भेदभाव से परे हो तथा सभी को समान अवसर और अधिकार मिलें, उस दिशा में सरकार ने बहुत गम्भीरता से काम किया है। अगर मैं उस समय के शुरूआती दिनों की बातों को याद करूं तो मुख्य रूप से कुछ बातें ध्यान में आती हैं। कुछ वे बातें जो उस समय मुख्यमंत्री जी बोला करते थे और ऐसी कुछ बातें जो बहुत ही अनुभवी हमारे सम्मानित विपक्ष के सदस्य जो आम तौर पर कटाक्ष के रूप में टिप्पणियां किया करते थे। अध्यक्ष महोदय, जहां मुख्यमंत्री जी के सम्बोधन में आम तौर पर पारदर्शिता का जिक्र हुआ करता था, मैरिट पर नौकरियां देने की बात, म्हारा गांव–जगमग गांव, 24 घंटे गांवों में बिजली, हरियाणा एक हरियाणवी एक, अन्त्योदय योजना, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ऑनलाईन ट्रांसफर, ऑनलाईन सेवाएं देने की बातें हुआ करती थी और दूसरी ओर विपक्ष की ओर से जब भी बातें होती थी तो एक टिप्पणी खास तौर पर उनकी तरफ से होती थी और वह खास तौर पर मुख्यमंत्री जी के बारे में होती थी कि मुख्यमंत्री अनुभवहीन हैं। मैं समझता हूं कि सब अलग–अलग मानसिकताओं से अलग–अलग सोच से किसी भी चीज की परिभाषा तय करते हैं मगर मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने यह सिद्ध करके

दिखा दिया कि वे अनुभवहीन नहीं हैं। मैं यहां पर उस समय के विपक्ष को पूरा गलत भी नहीं कहूंगा क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने स्वयं के लिए बहुत ही सख्त सिलेबस तय किया था। हम सत्ता पक्ष के विधायक भी उस समय आपस में बात किया करते थे कि इतने सारे काम ऐसी परम्पराओं के बीच में, ऐसे हालात के बीच में, ऐसी राजनीतिक धारणायें और ऐसे जो हालात थे, उसमें कैसे यह सब सम्भव होगा? मगर अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने उनकी इस टिप्पणी का कभी भी शब्दों से जवाब नहीं दिया, उन्होंने अपने कामों से जवाब दिया है। उन्होंने सत्ता के अनुभव को परिभाषित भी किया है। उन्होंने बिना भेदभाव के पूरे हरियाणा प्रदेश को एक परिवार मान कर काम किया है। उन्होंने हर वर्ग की बेहतरी के लिए काम किया और उन्होंने व्यवस्थाओं को सुधारा है। उनके अथक प्रयासों से आज हम इस माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी देखते हैं कि 5569 गांवों में आज 24 घंटे बिजली मिल रही है। खेती और व्यवस्थित हो उसके लिए मेरी फसल–मेरा ब्यौरा, भावांतर भरपाई योजना, मेरा पानी–मेरी विरासत, माइक्रो इरीगेशन, और एम. एस.पी. पर 12 फसलों की रिकॉर्ड खरीद हुई है। पिछले वर्ष लगभग 27 करोड़ रुपये से भी अधिक राशि सीधी किसानों के खातों में गई है। उसके साथ–साथ जहां तक रिकॉर्ड मुआवजा और प्रोत्साहन राशि का जिक्र किया गया है उससे पिछले समय में ग्रामीण विकास को काफी बढ़ावा मिला है। आज महाग्राम योजना और ऐसी कितनी ही योजनाओं पर काम चल रहा है। हरियाणा पोंड अथोरिटी ने लगभग 4554 तालाबों के पुनर्वास और नवीनीकरण की योजना बनाकर उन पर काम शुरू कर दिया है। आज जो ई–गवरनैंस को बढ़ावा मिला है वह हरियाणा प्रदेश के लिए बड़े फख्र की बात है आज 43 विभागों के 214 काडर में ऑनलाईन ट्रांसफर पॉलिसी लागू हो चुकी है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से आने वाले समय में सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लोगों को घर बैठे लाभ मिलेगा। स्पीकर सर, इसी परिवार पहचान पत्र के माध्यम से लगभग 11 लाख परिवारों को भी चिन्हित कर लिया गया है जिनकी मुख्यमंत्री अन्त्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत आमदन को बढ़ाने का काम किया जाएगा। मेरे घरौंडा ब्लॉक में भी कल इस मुख्यमंत्री अन्त्योदय परिवार उत्थान मेले का दूसरा चरण होने वाला है। अब जो समय चल रहा है उसमें हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों की याद में जहां अम्बाला के अन्दर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। वहीं गुरू गोबिन्द सिंह जी के साहिबजादों का जन्मदिन 26

दिसम्बर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का फैसला हुआ है। अध्यक्ष महोदय, अगर मैं ओलम्पिक्स की बात करूं, पैरा ओलम्पिक्स की बात करूं तो जहां नीरज चौपड़ा और अन्य सभी हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया है। वहीं हरियाणा सरकार ने भी खिलाड़ियों को 53 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि देकर उनका हौंसला बढ़ाने का काम किया है। अगर मैं हरियाणा पुलिस की हैल्प लाईन सेवा डायल–112 की बात करूं तो इससे पुलिस तंत्र मजबूत हुआ है। आज इस नम्बर पर कॉल करने के 15 मिनट के अन्दर–अन्दर सहायता पहुंचती है। समाज को इसका बहुत लाभ हुआ है। इसी के साथ–साथ पुलिस फोर्स में महिलाओं की भागीदारी साढ़े पांच प्रतिशत से बढ़कर अभी नौ प्रतिशत हो चुकी है और इसको 15 प्रतिशत तक ले जाने का टारगैट रखा गया है। इसी के साथ–साथ महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं। स्पीकर सर, समस्याओं का समाधान पहली बार देखने को मिला है क्योंकि आज तक अलग–अलग विषयों में जो पुरानी समस्याएं रही हैं उन समस्याओं को सुलझाने का कोई गम्भीर प्रयास किसी सरकार ने नहीं किया था। जहां तक शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और ऊर्जा की बात है, तो इन सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। सरकार का विशेष फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज हम चाहे सड़कों की बात करें और उनमें चाहे वह नेशनल हाईवेज हैं, चाहे वह स्टेट हाईवेज हैं, चाहे हम रेलवे की बात करें, चाहे हम रेपिड मैट्रो की बात करें, चाहे हम एयर की बात करें, आज सभी क्षेत्रों में सरकार बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। यहां तक कि हमारी सरकार द्वारा अलग–अलग क्षेत्रों में जो पहल की गई हैं, उनको अलग–अलग समय पर केन्द्र सरकार ने भी सराहा है। अन्य राज्यों ने भी उन पहलों को अपने राज्यों में अपनाया है। कुछ ऐसी योजनाएं भी हैं जैसे लाल डोरा मुक्त योजना की बात है उसको केन्द्र सरकार ने भी स्वामित्व योजना के तौर पर पूरे देश में लागू किया है। स्पीकर सर, कोरोना महामारी का एक मुश्किल दौर दुनिया ने देखा है, हम सभी ने देखा है। जिस तरीके से उस समय में हरियाणा सरकार ने समाज के सहयोग से व्यवस्थाओं को संभाला है वह भी अति सराहनीय है। स्पीकर सर, अगर मैं इसके ऊपर बात करूंगा तो इतने विषय हैं कि वे विषय खत्म नहीं होंगे। मगर मैं अपने इलाके के कुछ कामों के लिए आज मुख्यमंत्री जी का विशेष आभार करना चाहूंगा। हमारे करनाल जिले में करनाल शहर के वेस्टर्न बाईपास के प्रथम चरण का कार्य शुरू हो चुका है। इस्टर्न बाईपास

की योजना भी सिरे चढ़ चुकी है उस पर भी काम हुआ है। रैपिड रेल प्रोजैक्ट जो दिल्ली से पानीपत तक था अब पानीपत से घरोंडा होते हुए करनाल तक उसका विस्तार किया जा चुका है अर्थात उसकी योजना को भी आगे बढ़ाया जा चुका है जोकि काबिले तारीफ है। स्पीकर सर, हमारे इलाके ने बहुत सी समस्याओं को देखा है, उनका समाधान भी हुआ है और इस प्रकार हमारे इलाके ने विकास के नए आयामों को भी देखने का काम किया है। वैसे तो भिन्न–भिन्न विषयों पर समय–समय पर चर्चा होती रहती है और उनके समाधान भी निकलते हैं। उसी परिपेक्ष्य में मैं स्पीकर सर, आपके माध्यम से अपने इलाके की यमुना बैल्ट के लिए सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूँ। मेरे इलाके की यमुना बैल्ट के साथ घरोंडा विधान सभा का एरिया भी लगता है और इंद्री विधान सभा का एरिया भी लगता है। हमारे यहां पर एक नया ब्लॉक बनाया गया है जिसको कुंजपुरा ब्लॉक कहा जाता है। अगर यहां पर एक नई आई.टी.आई. और एक नया कॉलेज खोलने के लिए सरकार कोई योजना बनाती है तो इससे न केवल घरोड़ा विधान सभा क्षेत्र बल्कि इंद्री विधान सभा क्षेत्र के साथ–साथ यमुना बैल्ट के मुख्य शहरों से दूर–दराज लगते लगभग 40 गांवों को भी फायदा मिलेगा। स्पीकर सर, विपक्ष के बहुत ही अनुभवी सदस्य जोकि अब इस सदन में मौजूद नहीं हैं, बावजूद इसके मैं उन्हें इस सदन के माध्यम से यह बात जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने तो ऐसी व्यवस्थाओं को सुधारने का काम किया है जिनको अभी तक चुनौतीपूर्ण कार्य माना जाता था परन्तु विपक्ष के हमारे साथियों ने उनकी प्रशंसा करने की बजाय, हर विषय को बेवजह मुद्दा बनाने का काम किया और देश व प्रदेश के लिए अत्यंत गंभीर विषयों पर भी हमारे विपक्ष के साथी राजनीति करने से बाज नहीं आये। कल विपक्ष के बहुत ही अनुभवी और सीनियर सदस्य ने काल्पनिक घोटालों की एक लंबी लिस्ट बनाकर सदन में पढ़कर सुनाने का काम किया लेकिन इस तरह की काल्पनिक बातों से कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि हमारी प्रदेश की जनता सब कुछ जानती है। स्पीकर सर, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, नीयत, सोच और काम करने की शैली, इन सबको हरियाणा प्रदेश की जनता का मूक समर्थन प्राप्त है और मुख्यमंत्री जी को भी उनके ईमानदार नेतृत्व के लिए हमारे प्रदेश की जनता उन्हें आशीर्वाद भी देती है। स्पीकर सर, अंत में मैं सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के व्यक्तित्व के संदर्भ में कुछ लाइनें पढ़कर अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगाः–

''किसी की तारीफ का मोहताज नहीं–उसका तो बस काम बोलता है, तुम चाहे कितना भी करो विरोध–फिर भी असलियत यह है कि औरों के साथ–साथ, वह तुम्हारा भी भला चाहता है।''

स्पीकर सर, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री लक्ष्मण सिंह यादव (कोसली): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए अवसर दिया उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। हमारे धर्मग्रंथों में शासक का प्रथम कर्त्तव्य प्रजा को सुखी करना माना गया है। गोस्वामी तुलसी दास जी ने भी श्रीरामचरितमानस में लिखा है किः–

दैहिक दैविक भौतिक तापा–राम राज नहिं काहु व्यापा।

अर्थात राम राज्य में मनुष्य शारीरिक संसारिक और दैवीय परेशानी से मुक्त होता है। यही वर्तमान सुशासन का मूल मंत्र भी है। मेरी सरकार ने इसी मूल मंत्र पर चलते हुए पुरानी जर्जर प्रशासनिक व्यवस्थाओं में आमूल–चूल परिवर्तन किए हैं। भौतिक विकास के साथ–साथ जीवन के सभी मानदंडों को विकसित करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। मेरी सरकार ने ऐसे बदलाव किए हैं जिन्हें अन्य प्रदेशों व केन्द्र सरकार ने भी अनुसरण करने का काम किया है। गरीब से गरीब व्यक्ति का जीवन स्तर उपर उठाने के उद्देश्य से मेरी सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की है। गांवों को लाल डोरा मुक्त करने की हरियाणा की योजना को केन्द्र सरकार ने भी स्वामित्व योजना के रूप में पूरे देश में लागू करने का काम किया है। मेरा पानी–मेरी विरासत योजना का अध्ययन करने के लिए भी एक केन्द्रीय टीम ने प्रदेश का दौरा किया है। सुशासन के अभियान में कोई भी विभाग अथवा क्षेत्र ऐसा नहीं बचा जिसमें सुशासन की पहल न की गई हो। मेरी सरकार ने मानवीय हस्तक्षेप को कम करने के लिए ई–गवर्नेंस की सहायता से नई व्यवस्था भी बनाई है जिसमें भ्रटाचार पर अंकुश लगा है। आज नई ई– व्यवस्था से कोई भी नागरिक सरलता से अपना हक प्राप्त कर सकता है। प्रदेश के कमजोर, गरीब व आम आदमी को भी आज प्रगति के लाभ मिल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने इसके साथ–साथ कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा सामाजिक सुरक्षा आदि हर क्षेत्र में भी ई–गवर्नेंस की नई–नई पहलें की हैं। ई–गवर्नेंस का यह अभियान अब परिवार पहचान पत्र तक पहुँच चुका है। इस

एकमात्र दस्तावेज से लोगों को सभी सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ घर बैठे ही मिल रहा है। इस प्रकार से किसी को भी अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, अब जन्म–मृत्यु का डेटा भी ऑटो अपडेट किया जा रहा है। वर्ष 2019 में एक कंपनी की मोबाईल को लेकर ऐड आती थी कि 'कर लो दुनिया मुट्ठी में' और सरकार का एक नारा था 'सरकार आपके द्वार' लेकिन हमारी सरकार ने 570 ऐसी योजनाएं ई–गवर्नेंस के माध्यम से मोबाईल तक पहुँचा दी है और वह मोबाईल आज लोगों की जेब में है। मेरे कहने का भावार्थ यह है कि अब तक सरकार कहती थी कि 'सरकार आपके द्वार' लेकिन मैं कहता हूँ कि 'सरकार आपकी जेब' है। लोग इस प्रकार से सभी सरकारी सेवाओं का लाभ घर बैठे–बैठे ले सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से जनता के प्रति प्रशासन की जवाबदेही तय करने और समय पर सर्विस डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिये पिछले दिनों 'ऑटो अपील सॉफ्टवेयर' (आस) शुरू किया गया है। इसमें 570 सेवाओं को जोड़ा गया है। अध्यक्ष महोदय, आवेदक को यदि निर्धारित समय में सेवा नहीं मिलती है तो उसकी अपील स्वतः ही उच्चाधिकारी को और फिर 'सेवा का अधिकार आयोग' को भी चली जाती है। पारदर्शिता एवं स्थायित्व बढ़ाने के लिए 'ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी' 43 विभागों के 214 काडर में लागू की जा चुकी है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूँ कि–

'ऑटो अपील सॉफ्टवेयर 'आस' है, न्यारा, जवाबदेही का अनूठा अहसास है, न्यारा
ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, कर्मचारियों का विश्वास है, न्यारा।'

अध्यक्ष महोदय, मैं इसी के साथ अपने क्षेत्र की कुछ समस्याएं सदन के पटल पर रखना चाहता हूँ। पशु अस्पताल के बारे में कहना चाहता हूँ कि कृषि क्षेत्र में आर्थिक सहायता के लिये पशु पालन में किसानों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मैं कहता हूँ कि पशु अस्पताल जगह–जगह खोले जायें लेकिन पशु अस्पताल खोलने की कंडीशन 3 हजार पशुओं को लेकर है। मैं चाहता हूँ कि पशु अस्पताल खोलने की कंडीशन में पशुओं की संख्या इसको 1500 या 2000 की जाये ताकि पशु अस्पताल खोलने में कोई दिक्कत न आये। इसी तरह से नहरों पर आवागमन के लिये पुलों का निर्माण किया जाये और घोड़ा पुली का भी निर्माण किया जाये। किसानों को बहुत दूर तक जाना पड़ता है और फिर वापिस वहीं पर आना होता है। जोहड़ों का गंदा पानी हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। अध्यक्ष

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस समस्या को देखते हुए तुरंत पॉन्ड अथॉरिटी का निर्माण किया है, उसमें तीव्र गति से काम होना चाहिए। जो भी गांव में जोहड़ व तालाब हैं यदि उसमें गंदा पानी है तो उसको साफ करवाने का काम सरकार को करवाना चाहिए। रैन वॉटर का अलग से प्रबंध होना चाहिए और सीवरेज के पानी का अलग से प्रबंध होना चाहिए तभी इस समस्या पर निजात पाई जा सकती है। अध्यक्ष महोदय, आपको अच्छी तरह से पता है कि हमारे यहां पर वॉटर लैवल बहुत नीचे है। हमारे यहां लगभग 600–700 फीट तक पानी मिलता है। अध्यक्ष महोदय, अरावली की पहाड़ियां होने के कारण यदि हम चैक डैम बना लेंगे तो बरसात के दिनों में इसका फायदा हो जायेगा और हमारा वॉटर लैवल भी मैंटेंड रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सपना भी है कि आखिरी टेल तक पानी पहुँचे। यह सपना तभी साकार होगा जब इसके साथ–साथ हरित क्रांति को भी बढ़ावा देंगे अर्थात् हम जगह–जगह पर पेड़ पौधे लगाने का भी काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने चार करम के रास्ते 25 किलोमीटर के दिये थे, मैं चाहता हूँ कि इसको बढ़ाकर 50 किलोमीटर तक किये जाये। भूमि अधिग्रहण में बदलाव किया जाये ताकि जितने भी बाईपास की घोषणा की गई थी वह आसानी से बन सकें और आम जनमानस को आवागमन में आसानी हो जाये। अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकारी घोषणाओं को धरातल पर जरूर उतारना चाहिए और उन्हें पूरा करना चाहिए तभी लोगों को फायदा पहुँचना शुरू होगा। इसी तरह से वृद्धावस्था सम्मान पैंशन की जो इंकम स्लैब है वह 2 लाख रुपये रखी गई है, जिससे बहुतों की पैंशन कटने वाली है। मैं चाहता हूँ कि इस स्लैब को भी 2 लाख रुपये की जगह 4 या 5 लाख रुपये किया जाये ताकि वृद्धजनों का सम्मान भी बरकरार रह सके । कोसली विधान सभा क्षेत्र के जखाला, लिलोड़, बोहका, नांगल, भगवानपुर, धवाना गांवों में 33 के.वी. के ट्रांसफार्मर पास किये गये हैं लेकिन इनमें दिक्कत आ रही है । इसके लिए पहले तो पंचायत प्रस्ताव पास कर देती थी और उसके आधार पर ही बिजली विभाग पावर हाउस लगा देता था लेकिन आज नियम बदल गए हैं । अब उस जमीन को पहले तो बिजली विभाग को ट्रांसफर करना होगा और उसके लिए बिजली विभाग को पैसे देने पड़ेंगे । इस प्रोसैस में तो सालों का समय लग जाएगा । अतः इस समस्या का निवारण करते हुए पहले की तरह पावर हाउस लगाए जाएं । इसी तरह से आज बाइपास में भी दिक्कत आ रही है ।

भूमि अधिग्रहण कानून के अंतर्गत भूमि खरीदने में काफी दिक्कत आ रही है जिससे रोड नहीं बन पाते हैं, इसलिए इस कानून में भी बदलाव करना चाहिए । हम उम्मीद करते हैं कि फ्लां बाइपास जल्दी बन जाएगा लेकिन भूमि के लिए किसान ज्यादा मुआवजा राशि मांग लेते है । इससे बाइपास का निर्माण कार्य रूक जाता है। अभी सदन में खराब फसल के मुआवजे की बात उठी थी । मेरा निवेदन है कि अधिकारियों ने रेवाड़ी और महेन्द्रगढ़ को इग्नोर करने का प्रयास किया है । हमारे क्षेत्र के अनेक गांवों में कपास, बाजरा, गेहूं आदि फसलें पानी खड़ा होने की वजह से खराब हो गई । मेरा कोसली विधान सभा क्षेत्र झज्जर से भी अटैच है और दादरी से भी अटैच है तो मैं पूछना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में गिरदावरी क्यों नहीं की गई ? इसमें अधिकारियों ने गड़बड़ की है । जब सारा एरिया जलमग्न हो गया तो उसमें परसैंटेज कहां–से पैदा हो गई ? अतः मेरा निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में पुनः गिरदावरी की जाए और जिन अधिकारियों ने अपने कार्य में लापरवाही बरती है उनको भी सजायाफ्ता करें । अब मैं एस.सी./एस.टी. एक्ट के बारे में बात करना चाहूंगा । हमारे एरिया में राजस्थान, गुजरात, पंजाब और उत्तर प्रदेश से भी बहुएं ब्याहकर लाई जाती हैं । उनका राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड आदि हरियाणा प्रदेश के बन जाते हैं । इसके बावजूद उनको हरियाणा में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता । अतः सरकार इस ओर भी ध्यान दे । अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सदन में बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं । सभी को राम–राम । जय हिन्द । जय भारत । अध्यक्ष महोदय, अपने हल्के की कुछ मांगों के बारे में मैं हाउस में कह नहीं पाया । मैं उनको सदन के पटल पर रख देता हूं । मेरा निवेदन है कि आप उन्हें कार्यवाही का हिस्सा बनवा देना ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आप अपने कागजात सदन के पटल पर रख दीजिए । मैं उन्हें कार्यवाही का हिस्सा बनवा दूंगा ।

***श्री लक्ष्मण सिंह यादव :** अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने कोसली विधान सभा क्षेत्र की सिंचाई विभाग से संबंधित मांगों के बारे में आपको और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखा हुआ है । मेरे क्षेत्र में अधिकतर लोग खेती करते हैं । वहां पर पानी

———————————————————————————————————

***चेयर के आदेशानुसार उपर्युक्त लिखित स्पीच को प्रोसीडिंग्ज का पार्ट बनाया गया ।**

का स्तर प्रतिदिन गिरता जा रहा है । अतः आपसे निवेदन है कि कोसली विधान सभा क्षेत्र के सिंचाई विभाग से संबंधित कार्यों को जल्द–से–जल्द पूरा करवाने का कष्ट करें । अब मैं कोसली विधान सभा क्षेत्र की सिंचाई विभाग से संबंधित मांगें रखना चाहूंगा ।

1. धवाना डिस्ट्रीब्यूटरी के रिहैब्लिटेशन 0 से 14.700 किलोमीटर तक का काम करवाया जाए जिससे जाटूसाना, हालूहेड़ा, ढोकिया, बेरली खुर्द, बेरली कलां, चौकी नं. 2, नांगल, औलांत व बुड़ोली गांवों के ग्रामवासियों को लाभ मिल सके ।

2. धवाना डिस्ट्रीब्यूटरी के रिहैब्लिटेशन 14.700 से 23.375 किलोमीटर तक का काम करवाया जाए जिससे बुडोली, लुहाना, धवाना, ढ़ाणी ठेठरबाद, मन्दोला व श्रीनगर गांवों के ग्रामवासियों को लाभ मिल सके ।

3. सीहा माइनर के रिहैब्लिटेशन 0 से 1.120 किलोमीटर टेल तक का काम करवाया जाए जिससे लुहाना व सीहा गांवों के ग्रामवासियों को लाभ मिल सके ।

4. खालेटा माइनर के रिहैब्लिटेशन 0 से 1.685 किलोमीटर टेल तक का काम करवाया जाए जिससे लुहाना व खालेटा गांवों के ग्रामवासियों को लाभ मिल सके ।

5. धवाना के रिहैब्लिटेशन 0 से 3.334 किलोमीटर टेल तक का काम करवाया जाए जिससे धवाना व मंदोला गांवों के ग्रामवासियों को लाभ मिल सके ।

6. जौला माइनर के रिहैब्लिटेशन 0 से 2.750 किलोमीटर टेल तक का काम करवाया जाए जिससे ढ़ाणी कोलाना व मन्दोला गांवों के ग्रामवासियों को लाभ मिल सके ।

7. बोहका डिस्ट्रीब्यूटरी के रिहैब्लिटेशन 0 से 3.498 किलोमीटर टेल तक का काम करवाया जाए जिससे बोहका गांव के ग्रामवासियों को लाभ मिल सके ।

8. जखाला डिस्ट्रीब्यूटरी के रिहैब्लिटेशन 0 से 10.930 किलोमीटर टेल तक का काम करवाया जाए जिससे साल्हावास, छववा,, मलेसियावास, गुगोढ, जखाला, मुबारिकपुर व मुन्दड़ा गांवों के ग्रामवासियों को लाभ मिल सके ।

9. मुन्दड़ा माइनर के रिहैब्लिटेशन 0 से 1.810 किलोमीटर टेल तक का काम करवाया जाए जिससे मुन्दड़ा गांवों के ग्रामवासियों को लाभ मिल सके ।

10. धनिया माइनर के रिहैब्लिटेशन 0 से 2.134 किलोमीटर टेल तक का काम और सभी ब्रिज रिपेयर करवाये जाएं जिससे भाकली, धनिया व साल्हावास गांवों के ग्रामवासियों को लाभ मिल सके ।

11. सूम्मा खेड़ा डिस्ट्रीब्यूटरी के रिहैब्लिटेशन 0 से 12.777 किलोमीटर टेल तक का काम और सभी ब्रिज रिपेयर करवाये जाएं जिससे जाटूसाना, लाला, रोहराई, रोछूवास, टहना, दिपालपुर, शादीपुर, राजावास व नूरपुर गांवों के ग्रामवासियों को लाभ मिल सके ।

12. जे.एल.एन. कैनाल पर 11.275 किलोमीटर पर (गुड़ियानी व नांगल पठानी की सीमा पर) काम और सभी ब्रिज रिपेयर करवाये जाएं जिससे गुड़ियानी नांगलपठानी, भोतवास भोन्दू, बालधन कलां, गोपालपुर गाजी सहित अन्य गांवों के ग्रामवासियों को लाभ मिल सके ।

13. रामगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी का बजट पास करवाना है । इसके 0 से टेल तक रिहैब्लिटेशन का काम सी.एम. अनाउंसमैंट में आ चुका है । अब इसका बजट पास करवाना है ।

14. रामपुरी डिस्ट्रीब्यूटरी के रिहैब्लिटेशन 0 से 22.098 किलोमीटर टेल तक का काम सी.एम. अनाउंसमैंट में आ चुका है । अब इसका 4.74 करोड़ रुपये का बजट पास करवाना है ।

15. झाल पी.डब्ल्यू.डी. रोड से जड्डी लिंक रोड पर नाहड़ बिड़ (झाल पी.डब्ल्यू.डी. रोड से 2 एकड़ दूरी पर) में नए पुलिए का निर्माण करवाना है । रोड नहीं बन पा रहा है ।

16. बुड़ोली में दिवाना डिस्ट्रीब्यूटरी में 12.810 किलोमीटर पर घोड़ापल्ली के लिए निर्माण करवाया जाए ।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे सादर अनुरोध है कि उपर्युक्त कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सदन आज दिनांक 4 मार्च, 2022 को दोपहर 2:30 बजे (द्वितीय बैठक) तक के लिए स्थगित किया जाता है ।

*13:28 बजे

(तत्पश्चात् सभा शुक्रवार 4 मार्च, 2022 दोपहर 2:30 बजे (द्वितीय बैठक) तक के लिए *स्थगित हुई ।)